एलाइंस एअर
ALLIANCE AIR
Connecting India

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

नए भारत की उड़ान !!

www.allianceair.in

G20
भारत 2023 INDIA

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	निगमित सूचना	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	9
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	21
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	60
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	64
7.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	101
8.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता	102
9.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	103
10.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	104
11.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां	106

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (30.12.2022 तक)

श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष
श्रीमती उषा पाढी
श्री प्रांजोल चन्द्रा
श्री दीपक सजवान

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री विनीत सूद

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अम्बर कुमार मण्डल

कम्पनी सचिव
श्रीमती शिल्पा भाटिया

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
16/275, जीवन विकास भवन
सिविल लाईंस, कानपुर–208 001

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट, कंपनी सचिव
डी–427, द्वितीय तल, पालम एक्सटेंशन
रामफल चौक, सैक्टर–7, द्वारका
नई दिल्ली–110075

बैंकर्स
पंजाब नेशनल बैंक, इंडस बैंक, ऐक्सिस बैंक एवं इंडियन ओवरसीज़ बैंक

पंजीकृत कार्यालय
एलाइंस भवन, अन्तरदेशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037.
दूरभाषः 011–25672287, वेबसाइटः www.allianceair.in
CIN: U51101DL1983GOI016518

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क,
एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम)
मुम्बई–400083.

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयर होल्डरों,

मुझे आपके समस्त कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2021–22 की 39वीं (उनतालीस) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) देश की अग्रणी अंतरर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन है, जो एयर इंडिया के नेटवर्क के साथ पूर्ण सामंजस्य में भारत में टायर II व III के शहरों हेतु सम्पर्क उपलब्ध करवाती है। कम्पनी अपने विमान बेड़े में अधिक विमानों को शामिल करके पैन इंडिया आधार पर अपने प्रचालनों के विस्तार की प्रक्रिया में है। यह विमान देश के अन्दर छोटे मार्गों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और विदेशों के लिए भी प्रचालन करेंगे।

अवलोकन–नागर विमानन उद्योग

भारत का नागर विमानन उद्योग पहले की अपेक्षा अब अधिक परिपक्व बाजार बन रहा प्रतीत होता है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) के अनुसार, भारतीय विमानन बाजार 2024 तक यात्रियों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की उम्मीद है। उद्योग की वृद्धि कई शहरों के एयरपोर्टों, उदार एफडीआई नीति, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना और क्षेत्रीय संपर्क पर जोर देना के विकास से प्रेरित है।

वर्ष 2020 के प्रारंभ और उसके बाद के वर्षों में महामारी संकट के कारण यह आशंका थी कि वैश्विक हवाई यात्रा पर व्यापक एवं अकस्मात प्रतिबंधों के कारण विमानन उद्योग को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा और ऐसा हुआ भी। आईएटीए ने 2020 की शुरुआत में विमानन उद्योग की हानि 118 बिलियन से ऊपर होने की भविष्यवाणी की थी तथापि यह 137 बिलियन से अधिक रही जिसका उद्योग पर व्यापक असर पडा। 2021 के दौरान, एयरलाइन उद्योग के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ। घरेलू यात्री बाजार पूरी तरह से वापसी कर रहा है और कई क्षेत्रों में यह स्तर पूर्व–महामारी के आंकड़ों से महज 20% दूर रह गया है। विमानन उद्योग ने महामारी के दौरान अपनी मजबूती सिद्ध कर दी है और रुक–रुक कर ही सही, उद्योग वापसी कर रहा है।

भारत का विमानन क्षेत्र महामारी के कारण मांग में हो रही लगातार कमी से उबरने की राह पर है क्योंकि कॉर्पोरेट और छुट्टियों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि, ईंधन की कीमतों में जारी उछाल और रुपये की कमजोर स्थिति से अल्पकालिक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। टीकाकरण कवरेज में विस्तार, महामारी में कमी, अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने, यात्रा प्रतिबंधों में कमी और निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की बहाली के कारण भारतीय विमानन क्षेत्र सामाजिक–आर्थिक समृद्धि का फिर से महत्वपूर्ण कारक बन गया है।

हवाई यात्रा में वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत का यात्री यातायात 188.89 मिलियन रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, भारत के एयरपोर्टों पर वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में घरेलू यात्री यातायात 166.8 मिलियन रहा जिसमें गत वर्ष के मुकाबले 58.5% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार उक्त अवधि में अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात 22.1 मिलियन रहा जो गत वर्ष की तुलना में 118% अधिक रहा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के बीच माल यातायात का सीएजीआर 2.52% रहा जो 2.70 एमएमटी से बढ़कर 3.14 एमएमटी हो गया। भारत के एयरपोर्टों पर माल ढुलाई की क्षमता वित्त वर्ष 2040 तक 17 मिलियन टन पहुंचने की आशा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, विमानों की आवाजाही की संख्या 1,757,112 थी। बढ़ते हवाई यातायात को पूरा करने के लिए, भारत सरकार एयरपोर्टों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में काम कर रही है। 2022 तक, भारत में 129 एयरपोर्ट प्रचालनरत हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2040 तक प्रचालनरत एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाकर 190–200 करने की योजना बनाई है। (स्रोतः आईबीईएफ)।

मध्यम आय–वर्ग के परिवारों के बढ़ते अनुपात, प्रमुख एयरपोर्टों पर बुनियादी ढांचे के विकास और सहायक नीति निर्माण ने सामूहिक रूप से विमानन क्षेत्र को सकारात्मक गति प्रदान की है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र के निजीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने से विमानन क्षेत्र का और विकास संभव होगा।

भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं जिसमें महामारी की पहली लहर के कम हो जाने पर घरेलू हवाई यातायात का सीमित रूप से खुल जाना, विशिष्ट देशों के साथ हवाई परिचालन की शुरुआत (तत्पश्चात 27 मार्च, 2022 से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें), हवाई अड्डों का निजीकरण और विस्तार, क्षेत्रीय संपर्क योजना–UDAN को बढ़ावा देना और देश के भीतर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेट–अप (एम.आर.ओ) का प्रोत्साहन करना शामिल था।

जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती हैं तो सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं जिसके कारण हवाई यात्रा सबसे पहले प्रभावित होता है। कुछ मायनों में कोविड–19 ने एयरलाइनों को लागत में कटौती करने के लिए मजबूर किया और लगभग सभी एयरलाइनों ने अपने बेड़े और लागत, विशेष रूप से श्रम और कैपेक्स लागत को कम कर दिया है।

भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में अन्य उद्योगों की अपेक्षा नागर विमानन उद्योग देश में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और 2024 तक ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की उम्मीद है। 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ नागर विमानन देश का दसवां सबसे बड़ा बाजार है।

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार, अगले दस वर्षों में दुनिया के 2030 तक, तीसरे सबसे बड़े हवाई यात्री बाजार के रूप भारत के चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की उम्मीद है। उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के बीच जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का हवाई परिवहन क्षेत्र (हवाई माल सहित) में एफडीआई प्रवाह 3.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार ने अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की है तथापि हवाई परिवहन सेवा और घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन हालाँकि, 49% से अधिक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। भारत के विमानन उद्योग में अगले चार वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए (4.99 बिलियन अमरीकी डॉलर) का निवेश होने की आशा है। भारत सरकार वर्ष 2026 तक विमानन नेविगेशन सेवाओं के साथ–साथ एयरपोर्ट

के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की योजना बना रही है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट बनाने का है। पैरीशेबल के लिए आने वाले वर्षों के दौरान 133 नई उड़ानों के साथ नई कार्गो उड़ानें भी 30% तक बढ़ाई जाएंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य एयरपोर्ट डेवलपर्स ने फरवरी 2022 में, एयरपोर्ट उद्योग के विकास के लिए 91,000 करोड़ रुपए (12.08 बिलियन अमरीकी डॉलर) का पूंजी परिव्यय लक्ष्य निर्धारित किया है। (स्रोतः आईबीईएफ)

मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, देश में अगले दशक में एयरपोर्ट क्षेत्र में 25 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश और 13% की यातायात में वृद्धि होगी। आकलन के अनुसार देश में संयुक्त हवाई और रेल यात्रा में हवाई यात्रा का हिस्सा 2027 तक 15.2 प्रतिशत हो जाएगा। नागर विमानन क्षेत्र में भारी निवेश की योजना को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि देश हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसके विस्तार की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि अब तक हवाई परिवहन देश के अधिकांश यात्रियों की पहुंच से बाहर रहा है। रेल यात्रा लगातार महंगी होती जा रही है। इसके विपरीत हवाई यात्रा गति के साथ आराम भी प्रदान करती है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागर विमानन को गुणवत्ता, लागत और यात्री हित पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो इसे 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने में सक्षम बनाएगा।

होल्डिंग कम्पनी में बदलाव

वित्तीय वर्ष 2021–22 के शुरूआत पर, आपकी कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। हालांकि, एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कारण और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) में एयर इंडिया लिमिटेड (एआई) के निवेश को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) में स्थानांतरित करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार), एएएएल की संपूर्ण शेयरधारिता 25 जनवरी 2022 को बुक वैल्यू पर एआई से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दी गई और आपकी कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

ईंधन की कीमतें

एयरलाइनों की प्रचालन लागत में ईंधन की कीमतें लगभग 30% से 40% होती है। वित्त वर्ष 2021–22 के आरंभ में, कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के कारण, एयरलाइंस को राहत देने के लिए ईंधन की कीमतों में कमी की गई, लेकिन बाद में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात् आपूर्ति की मांग के कारण यह लगातार बढ़ रही थी जिससे एयरलाइंस की प्रचालन लागत पर बोझ बढ़ गया है।

भारतीय उपभोक्ता मूल्य पर काफी ध्यान देते हैं और एयरलाइनों द्वारा देखा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी से मांग में तत्काल गिरावट आती है। एयरलाइन को लागत में कटौती और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यात्री सेवा में सुधार व प्रचालनों में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, भारतीय विमानन उद्योग आने वाले वर्षों में अग्रसर होने की दिशा में उच्चस्तर पर है। मार्च 2020 के बाद से, कोविड–19 प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, जिसने विमानन उद्योग को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। उम्मीद की जा सकती है कि नीतिगत वातावरण इसके विकास के लिए अनुकूल रहे ताकि उद्योग आने वाले सालों में अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके।

नई नागर विमानन नीति–क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ''उड़े देश का आम नागरिक'' (उड़ान) प्रारंभ की गई है जो 2017 से 10 वर्षों

तक चलेगी और मौजूदा हवाईअड्डों और हवाईपट्टियों को पुनःर्जीवित करने का कार्य करेगी। इस योजना के तहत बोली के प्रथम राउंड में सरकार द्वारा लगभग 128 क्षेत्रीय रूट दिए गए हैं।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के 2, 3, 3.1, 4 और 4.1 दौर में, पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में उड़ान सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य से एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को क्रमशः 325 मार्ग, 235 मार्ग, 44 मार्ग, 90 मार्ग और 156 मार्ग दिए गए हैं। इस योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को आधी सीटें रियायती दरों पर देनी होंगी जिसमें सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) या एयरलाइंस को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

आरसीएस की शुरूआत के साथ, एलाइंस एअर के लिए असेवित और अल्पसेवित एयरपोर्टों के लिए कई नए मार्ग खुल गए हैं और इसे बोली प्रक्रिया के क्रमशः 1, 2, 3, 3.1, 4 और 4.1 दौर में 17 मार्ग, 26 मार्ग, 40 मार्ग, 12 मार्ग, 16 मार्ग और 08 मार्ग (कुल 119 मार्ग) आबंटित किए गए हैं। एलाइंस एअर ने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के 4.2 दौर में भाग लिया था और इसका मार्ग आंबटन प्रतीक्षित हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला–दिल्ली क्षेत्र की पहली 'यूडीएएन' उड़ान का शुभारंभ किया और एलाइंस एअर को लॉन्च वाहक होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। एलाइंस एअर द्वारा 31 मार्च, 2022 तक 79 मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं और बोली लगाने के पहले दौर में दिए गए सभी मार्गों पर संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। भारत सरकार के सहयोग से फिक्की द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2018 के तहत, एलाइंस एअर को **आरसीएस के तहत''सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर''** का विजेता घोषित किया गया है। इसके अलावा, एलाइंस एअर को विंग्स इंडिया 2022 में आरसीएस उड़ान योजना के तहत ''सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ऑपरेटर'' का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

एलाइंस एअर ने वर्ल्ड एविएशन फेस्टिवल वर्चुअल वीक 19 से 23 अप्रैल 2021 में भाग लिया जो लंदन, यूके में आयोजित एविएशन एंड ट्रैवल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था।

आरसीएस उड़ान ने 22 नवंबर 2021 को सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए। एलाइंस एअर ने माननीय नागर विमानन मंत्री और मंत्रालय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में झारसुगुड़ा में उड़ान उत्सव में भाग लिया। इस विशेष अवसर पर एलाइंस एअर द्वारा झारसुगुड़ा के युवा और वरिष्ठ स्थानीय निवासियों को उड़ान के आनंद का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। एलाइंस एअर को भारत सरकार की उड़ान योजना की सफलता के लिए निरंतर सेवा और समर्थन हेतु 'चैंपियन ऑफ उड़ान' के रूप में प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

चूंकि असेवित व अल्पसेवित मार्गों पर प्रचालन हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे टायर 2/3 के शहरों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन में वृद्धि होगी। अपने युवा एटीआर विमान बेड़े की मदद से एलाइंस एअर क्षेत्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान ले सकती है। अतः कम्पनी की आरसीएस बिडिंग के अगले चरण में भी तत्परता से भाग लेने की योजना है।

वर्ष के दौरान कम्पनी का निष्पादन

वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए कंपनी की कर पश्चात निवल हानि 447.39 करोड़ रु. थी, जबकि वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कर के बाद निवल हानि 359.93 करोड़ रु. थी। एटीएफ की कीमतों और रखरखाव के खर्चों में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से घाटे में 87.46 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के वार्षिक खातों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- वर्ष 2020–21 में 453.54 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2021–22 में प्रचालन राजस्व में 717.53 करोड़ रुपये (लगभग 58.21% वृद्धि) की वृद्धि हुई। हालांकि, कोविड–19 के कारण 2020–21 के दौरान लगाए गए उड़ान प्रचालन में प्रतिबंधों को सरकार द्वारा कम कर दिया गया, लेकिन मई 2021 से जुलाई 2021 तक

देश में आई दूसरी लहर और उसके बाद जनवरी' 2022 में महामारी की तीसरी लहर के कारण लक्षित प्रचालन प्राप्त नहीं किया जा सका।

- वर्ष 2020–21 में 29,248 ब्लॉक घंटे (लगभग 32.10% वृद्धि) की तुलना में वर्ष 2021–22 में वास्तविक ब्लॉक घंटों में 38,636 की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 में प्रति यात्री आय 3,193/–रुपये के मुकाबले वर्ष 2021–22 में बढ़कर 3,612/–रु. हो गई।
- ईंधन की लागत में वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 90.93 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि एटीएफ दरों में घातीय वृद्धि के साथ–साथ परिचालन में 32.10% की वृद्धि के कारण है (औसत एटीएफ दर वर्ष 2021–22 में बढ़कर 63,429.74 रुपये प्रति केएल हो गई, जो वित्त वर्ष 2020–21 में 38,571.71 रुपये प्रति केएल थी जिसमें लगभग 64.45% की दर से वृद्धि हुई।
- प्रचालन व्यय वर्ष 2020–21 में 206.42 करोड रुपये से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 304.73 करोड़ रुपये हुआ। मुख्य रूप से विमान रखरखाव शुल्क में वृद्धि के कारण ब्लॉक घंटे में 32% की वृद्धि हुई। 23.37 करोड़ रुपये के रखरखाव शुल्क में अतिरिक्त वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुईः
    - वर्ष 2021–22 के दौरान एचएसआई (हॉट सेक्शन इंस्पेक्शन) की लागत में 10.42 करोड़ रु. (लगभग 48%) 11 एचएसआई (हॉट सेक्शन इंस्पेक्शन) की वृद्धि के पश्चात् वित्त वर्ष 2021–22 में 31.72 करोड़ रुपये की राशि संचालित की गई जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में 7 एचएसआई की लागत 21.30 करोड़ रु. थी।
    - वर्ष 2020–21 में 3.19 करोड़ रुपये की तुलना में 2021–22 में 11.12 करोड़ लंबी अवधि के लीज़ वाले इंजनों और ओईएम से अल्पावधि लीज़ पर लिए गए इंजनों की वापसी के कारण लीज़ पर दिए गए इंजनों के उपयोग शुल्क की लागत में 7.93 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
    - जीएमएसए व्यय में वर्ष 2020–21 में 33.88 रुपये की तुलना में वर्ष 2021–22 में 38.63 रुपए अर्थात 4.75 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जोकि वर्ष 2020–21 के दौरान एटीआर द्वारा प्रदान की गई कोविड राहत को वापस लेने के कारण हुई।
- वर्ष 2020–21 में कुल व्यय 819.32 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 1,170.54 करोड़ रु. हो गया। प्रचालन लागत के अलावा, वित्त लागत में वृद्धि नकारात्मक आरओई के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप लीज़ देयता पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव पड़ा।
- वर्ष 2020–21 में 551.546 मिलियन एएसकेएम के मुकाबले वर्ष 2021–22 में एएसकेएम 766.358 मिलियन थी। वर्ष 2020–21 में 282.639 मिलियन आरपीकेएम के मुकाबले वर्ष 2021–22 में आरपीकेएम 498.000 मिलियन है। वर्ष 2020–21 में 7.1 के मुकाबले वर्ष 2021–22 में प्रति आरपीकेएम यील्ड 7.81 थी। वर्ष 2020–21 में यात्री लोड फैक्टर 57% के मुकाबले वर्ष 2021–22 में 65% था।

भावी योजनाएं

वर्तमान में, कंपनी के पास 18 एटीआर 72–600, 1 एटीआर 42–600 और 1 डोर्नियर डीओ–228 विमानों का बेड़ा है, जो 50 स्टेशनों के नेटवर्क पर (6 सितंबर, 2022 तक) प्रतिदिन लगभग 65 उड़ानें प्रचालित की जाती हैं। कंपनी ने अप्रैल 2022 माह में भारत में निर्मित डोर्नियर 228 विमान शामिल किया है और जुलाई 2022 माह में एक एटीआर 42–600 को अपने बेड़े में शामिल किया है। एलाइंस एअर ने वर्ष 2022–23 में एक और नए एटीआर 42–600 और 01 (एक) डोर्नियर डीओ–228 को अपने विमान बेड़े में शामिल करने की भी योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2019–2020 में, कंपनी ने

अपने नेटवर्क का विस्तार किया और पड़ोसी देशों तक अपना नेटवर्क को बढ़ाया, हालांकि, कोविड प्रतिबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को बंद कर दिया गया। एलाइंस एअर ने सितंबर 2022 के अंत तक श्रीलंका में अपने अंतरराष्ट्रीय प्रचालन को पुनः आरंभ करने की योजना बनाई है।

एलाइंस एअर ने वित्त वर्ष 2021–22 के मध्य में अपने प्रचालन को पूर्ण रूप से पुनः प्रारंभ कर दिया है। कंपनी को आगामी वर्षों में अपने वित्तीय मापदंडों को उलटने और परिचालन लाभ में वापस आने की भी उम्मीद है। एलाइंस एअर की वर्ष 2022–23 में पूरे भारत में और 16 आरसीएस रूट जोड़ने की भी योजना है। एलाइंस एअर भारत के उच्च चुनौतीपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतम उड़ानें प्रचालित करने वाली एकमात्र अग्रणी एयरलाइन है। निकट भविष्य में, एलाइंस एअर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही घरेलू क्षेत्र में अपने उड़ान प्रचालन का विस्तार करने के लिए नए अवसरों की प्रतीक्षा कर रही है।

निगमित प्रशासन

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग, (डीपीई) द्वारा निगमित प्रशासन पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया। निगमित प्रशासन पर तिमाही रिटर्न/वार्षिक रिटर्न निर्धारित समय में संबंधित अधिकारियों के पास जमा किए गए।

धन्यवाद प्रस्ताव

मैं, एयर इंडिया लि. (उस समय होल्डिंग कम्पनी) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, महानिदेशक नागर विमानन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए सम्पूर्ण सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंक तथा नियामक एजेंसियों सहित सभी अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे और कम्पनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं, बोर्ड के अपनी सभी सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं, कम्पनी के सभी कर्मचारियों को एलाइंस एअर को यात्रियों की पहली पसंद बनाने में उनके योगदान व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

बोर्ड की ओर से, सदैव की भांति, मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

हस्ता./–
(विक्रम देव दत्त)
अध्यक्ष

विज़न

प्रमुख अंतरर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन होना, एयर इंडिया के नेटवर्क के साथ संपूर्ण तालमेल से भारत के टायर II व टायर III के शहरों के बीच सम्पर्क उपलब्ध करवाना व दक्षिण एशियाई शहरों को एलाइंस एअर नेटवर्क के साथ जोड़ना।

लक्ष्य व उद्देश्य

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइन

ग्राहक

- सुरक्षित, विश्वसीय एवं समय पर सेवाएं प्रदान करना।
- ग्राहकों को सर्वोत्तम संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाना।
- एयरलाइन बाजार में नये यात्री बेस की संभावना खोजना।
- मुख्य अंतरदेशीय व अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक अबाध यात्रा हेतु मैट्रो शहरों व आगे वन–स्टॉप सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

प्रक्रियाएं

- सुरक्षा एवं कुशलता के मानकों में निरंतर सुधार करना।
- नए एवं आधुनिक विमान बेड़े का प्रचालन व अनुरक्षण।
- एयर इंडिया के मुख्य नेटवर्क के साथ संयोजन में सर्वोत्तम एवं संर्वधित कुशल नेटवर्क उपलब्ध करवाना।
- आर्थिक स्रोतों का सृजन।
- क्षेत्रीय शार्ट–हॉल एयरलाइन प्रचालक की छवि व प्रतिस्पर्धात्मक बाजार प्रतिष्ठा में वृद्धि

मार्ग–नेटवर्क

- सघन रेल यातायात से प्रतिस्पर्धा
- मेट्रो व आगे तीव्र क्षेत्रीय सम्पर्क की अपेक्षाओं को पूरा करना
- वायु सम्पर्क से अछूते शहरों में सम्पर्क उपलब्ध करवाना।

लोग

- अत्यधिक प्रेरित एवं व्यावसायिक टीम का निर्माण करना।
- पारदर्शिता एवं नैतिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखना।
- जिम्मेदार निगमित नागरिक बनना।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. (एएएएल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर 39वीं (उनतालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कम्पनी का वित्तीय निष्पादन

गत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन इस प्रकार हैं :–

वित्तीय निष्पादन

(रु. मिलियन में)

विवरण	**2021–22**	**2020–21**
प्रचालन राजस्व		
निर्धारित राजस्व	4,283.89	2,535.79
गैर निर्धारित राजस्व	2,862.82	1,988.29
अन्य प्रचालन राजस्व	28.57	11.31
अन्य आय	65.81	56.88
कुल राजस्व	7,241.10	4,592.27
कुल व्यय	11,705.43	8,193.21
कर व्यय	13.00	-
अन्य व्यापक आय	3.71	1.62
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(4,464.33)	(3,600.94)
वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) व्यापक आय	(4,473.92)	(3,599.32)
शेयर पूंजी	4,022.50	4,022.50

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 4,592.27 मिलियन रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी का कुल राजस्व 7,241.10 मिलियन रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 8,193.21 मिलियन रुपये की कुल खर्च की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल खर्च 11,705.43 मिलियन रुपये था। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3,600.94 मिलियन रुपये के निवल हानि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर पूर्व निवल हानि 4,464.33 मिलियन रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3,599.32 मिलियन रुपये की निवल हानि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर और व्यापक आय के बाद निवल हानि 4,473.92 मिलियन रुपये रही।

कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी एक वैश्विक चुनौती बनी रही जिसने दुनिया भर में व्यवधान पैदा किया। वित्त वर्ष 2022 के पहले तीन महीनों में, महामारी की दूसरी लहर ने भारत के चिकित्सा ढांचे को चरमरा दिया।

हालाँकि, दुनिया भर के देशों ने टीकाकरण कवरेज पर ध्यान केंद्रित किया और कोविड–19 के प्रभाव को कम करने और आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहनों को लागू किया।

कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड–19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी ने उपयोग किए गए अनुमानों पर संवेदनशील विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर उम्मीद है कि इन संपत्तियों की अग्रणी राशि वसूल की जाएगी।

हालांकि, कंपनी के प्रचालन पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव की पूर्ण सीमा, और वित्तीय मेट्रिक्स उन भौगोलिक क्षेत्रों में भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा जहां कंपनी प्रचालित होती है, और सरकारी, विनियामक और कंपनी की प्रतिक्रियाएं, जो अत्यधिक हैं अनिश्चित और इस समय अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, हालांकि, हम अपनी संपत्ति पर प्रभाव का आकलन करना जारी रखेंगे और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी सामग्री परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करेंगे।

कम्पनी के मामलों की स्थिति के बारे में सूचना

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) एयर इंडिया लिमिटेड (एआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एआई के विनिवेश और एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार, एएएएल की संपूर्ण शेयरधारिता को 25 जनवरी 2022 को एआई से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) में स्थानांतरित कर दिया गया था और तत्पश्चात् एएएएल, 25 जनवरी 2022 से एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

कंपनी हवाई परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें भारत में मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के अंत तक कंपनी के पास 18 एटीआर–72–600 विमानों का बेड़ा है।

कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को देखें।

शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

31 मार्च, 2022 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

<u>जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी</u>

31 मार्च, 2022 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 402.25 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

कम्पनी के नाम में परिवर्तन

कंपनी का नाम एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड से परिवर्तित कर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड कर दिया गया है, जो 7 मार्च 2020 से प्रभावी है।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई हो।

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। हालाँकि, एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कारण, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड में, एयर इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण शेयर धारिता को 25 जनवरी 2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। नतीजतन, आपकी कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम) एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

लाभांश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 123 के अनुसार कम्पनी की संचित हानि को देखते हुए किसी लाभांश पर विचार नहीं किया गया है।

दावे नहीं किए गए लाभांश को इन्वेस्टर एजूकेशन और प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करना

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते चूंकि पिछले वर्षों में अप्रदत्त/अदावाकृत कोई भी लाभांश नहीं दिया गया।

रिजर्व में स्थानांतरित राशि

संचित हानि को देखते हुए, वर्ष के दौरान कम्पनी के बोर्ड द्वारा रिजर्व में, कोई भी राशि स्थानांतरित ना करने का निर्णय लिया गया।

मानव संसाधन

वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारी क्षमता, कॉन्ट्रैक्चूअल कर्मचारियों की संख्या 849 (843) थी, जिसमें मूल कम्पनी एयर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर आए 2 (8), एआईईएसएल से प्रतिनियुक्ति पर आए 10 (16) और आईएएफ से प्रतिनियुक्ति पर आए 05 कर्मचारी शामिल नहीं हैं। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 849 संविदात्मक कर्मचारियों में से 256 (30.15%) महिला कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2022 को कम्पनी में कैडर वार 199 पायलट, 157 केबिन कर्मी, और 493 अन्य वर्गों के कर्मचारी रहे।

क्षेत्रवार 31 मार्च, 2022 को 506 कर्मचारी उत्तरी क्षेत्र, 70 कर्मचारी पश्चिमी क्षेत्र, 122 कर्मचारी पूर्वी क्षेत्र और 151 कर्मचारी दक्षिणी क्षेत्र में हैं।

31 मार्च, 2022 को एटीआर 72–600 बेड़े में 25 विदेशी पायलट हैं। वर्तमान में मार्च, 2022 तक एलाइंस एअर में 25 विदेशी पायलटों के स्थान पर 18 विदेशी पायलट हैं। लागत में कटौती के उपायों और प्रवासी पायलटों पर निर्भरता से बचने के लिए और भारतीय कमांडर की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के कारण ही वर्तमान में विदेशी पायलटों की संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया है। कम्पनी का प्रयास है कि विमान बेड़े के अनुपात में कमांडरों की न्यूनतम आवश्यक क्षमता को बनाए रखने के लिए विदेशी पायलटों की संख्या न्यूनतम रखी जाए।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार व वर्ष 1991 और 1996 में संशोधित निर्देशों के साथ आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अ.ज.ज./अ.पि.वर्ग–31 मार्च, 2022 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
849	109	12.84	37	4.36	156	18.37

राजभाषा कार्यान्वयन–हिन्दी का प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास हेतु हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया व समारोह आयोजित कर विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए।

राजकोष में अंशदान

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 123.30 मिलियन रुपए (69.00 मिलियन रुपए) का अंशदान दिया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकारों के प्रावधानों का कम्पनी में अनुपालन, सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रही है।

आवेदनों और अपीलों के समय पर निपटान के लिए कम्पनी में सीपीआईओ (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) और अपीलीय प्राधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान 43 अनुरोध/2 अपील प्राप्त हुए। एलाइंस एअर से संबंधित सभी आरटीआई अनुरोध/अपील का वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निपटान कर दिया गया है।

सहायक कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों/सम्बद्ध कम्पनियों से संबंधित सूचना

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं

धारा 134 (3)(1) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 से बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई सामग्री परिवर्तन नहीं हुआ है जिसने इसे प्रभावित किया हो।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की (स्थगित व पुनःस्थगित बैठकों सहित) 8 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड स्ट्रैंथ	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	10.06.2021	5	5
2	14.07.2021	5	5
3	22.10.2021	5	5
4	30.12.2021	5	5
5	14.01.2022	5	4
6	25.01.2022	5	5
7	11.02.2022	3	3
8	09.03.2022	4	3

निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कम्पनी के निदेशक मंडल पुष्टि करते हैंः–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व फ्रॉड की रोकथाम व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) कम्पनी के अनलिस्टिड होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ड.) लागू नहीं।

(च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा समुचित प्रणाली बनाई गई है तथा इस प्रकार की प्रणाली समुचित है तथा प्रभाव पूर्ण ढ़ग से कार्य कर रही है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में 4 निदेशक हैं कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सरकारी निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है।

नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के दिनांक 31.12.2021 और 11.02.2022 के का.ज्ञा. द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के कारण क्रमशः 11 फरवरी 2022 और 9 मार्च 2022 को आयोजित 173वीं और 174वीं बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च 2022 तक लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य थे :

निदेशकों के नाम	समिति में पद	निदेशकों की श्रेणी
श्रीमती उषा पाढी	अध्यक्ष	सरकारी नामित निदेशक
श्री विक्रम देव दत्त	सदस्य	अध्यक्ष (नामित निदेशक)
श्री प्रांजोल चन्द्रा	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक
श्री दीपक सजवान	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक

बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के तहत दिनांक 13—07—2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 880(ई) के द्वारा एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक गैर—सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा **मैसर्स एस के कपूर एण्ड कम्पनी** को वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक, दिल्ली नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां जिन पर प्रबंध वर्ग के उत्तर सहित स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित है, की रिपोर्ट संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणी पर नोट स्वतः स्पष्ट हैं, और इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के तहत अपेक्षित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार बोर्ड ने **मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स,** कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2021—22 की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों रिपोर्ट की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

ऋण, गारंटी व निवेश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई गारन्टी व निवेश नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीक समावेशन से संबंधित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं।

(क) ऊर्जा का संरक्षण—

प्रबंधन सभी प्रचालन स्तरों पर विशेष रूप से विमानन टर्बाइन ईंधन जो विमानन गतिविधि के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पर ऊर्जा के संरक्षण की गंभीरता के प्रति अत्यधिक जागरूक है। जब भी संभव हो ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में इंजन और एयरफ्रेम का रखरखाव, उड़ान योजना, प्रचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण, नियमित विश्लेषण आदि शामिल हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण–

(i) **प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास–** गतिशीलता समाधानों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कार्यबल प्रभावी ढंग से, कहीं से भी और कुशलता से काम कर सके।

(ii) **उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन** जैसे लाभ प्राप्त हुए हैं। निश्चित बुनियादी ढाँचे से साझा क्लाउड बुनियादी ढाँचे में जाने और टेल्को के वायरलेस/गतिशीलता विकल्पों को शामिल करने से लागत में बचत प्राप्त हुई है।

(iii) **आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)**

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरणः विमान संचार पता और रिपोर्टिंग प्रणाली (एसीएआरएस)।

(ख) आयात का वर्षः 2021–2022

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई हैः प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के चरण में है और दिसंबर 2022 तक लागू होने की उम्मीद है।

(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण क्या है औरः यह प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइन के अनुसार है।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्ययः कोई नहीं

(ग) विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

		चालू वर्ष 2021–22 (मिलियन रु. में)	**पिछले वर्ष 2020–21 (मिलियन रु. में)**
क)	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात (सीआईएफ) पर व्यय**		
	– विमान पूर्जे और औजार	**151.27**	272.51
	– पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर एयरफ्रेम रोटेबल एवं एरो इंजीनियरिंग रोटेबल	**5.86**	159.21
ख)	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय**		
	– आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट	**165.46**	152.45
	– स्वदेशी पूर्जे	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**
ग)	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	– इंटरलाइन राजस्व	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**
घ)	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	– विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार	**3706.75**	2922.62
	– भंडार और उपस्करों की खरीद	**157.13**	431.72
	– तकनीकी साहित्य	**22.45**	46.54
	– प्रशिक्षण और यात्रा	**1.32**	0.22
	– विधिक प्रभार	**2.38**	**कोई नहीं**
	– ईंधन एवं अवतरण/पार्किंग	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**

जमा

वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कम्पनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रचालन व गोइंग कंसर्न पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश नियामकों या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नहीं किए गए।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभ अर्जित न किए जाने के कारण, कम्पनी पर लागू नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

वर्ष 2021–2022 के दौरान कम्पनी में रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

i संबंधित 01 वर्ष (केस बंद) के दौरान यौन उत्पीड़न की शून्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ii 90 दिनों से अधिक लम्बित मामलों की संख्या शून्य है।

iii यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्याः

सामान्यतः सामान्य जागरुकता कार्यक्रम आवधिक रुप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर ''क्या करें और क्या ना करें,'' यौन उत्पीड़न संबंधी पोस्टर सभी कार्यस्थलों पर डिस्पले किए गए।

iv कम्पनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार शिकायतों के निपटान व संगठन में जागरूकता लाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

निगमित प्रशासन

कम्पनी द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलवा निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को **अनुलग्नक–क** में संलग्न किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

चूंकि एएएल का राजस्व एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश तक उसकी मूल कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जुड़ा हुआ था और कैपिंग निगरानी नीति स्थापित करके एजेंटों, क्रेडिट कार्डों आदि के माध्यम से बिक्री के मामले में मूल कंपनी के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन नीति थी, बैंक गारंटी नीति, वेब पोर्टल से जुड़े जोखिम इंजन के माध्यम से जोखिम की निगरानी, एएएल के 100 प्रतिशत सहायक होने के कारण उच्च व्यावसायिक जोखिम का खतरा नहीं था। इसलिए, कंपनी के पास अभी तक कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं थी, क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले जोखिम के तत्व बहुत कम थे।

हालांकि, एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कारण कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

वार्षिक रिर्टन का सार

कम्पनी नियम 2014 के नियम 12(1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92(3) के प्रावधानों के तहत वार्षिक रिर्टन का सार फार्म एमजीटी 9 **अनुलग्नक–ख** और एलाइंस एअर एविएशन लि. की वेबसाइट www.allianceair.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 134(3)(क) के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https:\\plone.allianceair.in\allianceair\en\assets\mgt-7\mgt-7-aaal-2021-22.pdf पर डाली जाएगी।

स्वतंत्रता की घोषणा

एएएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करेंगी।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कम्पनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुएः–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
1.	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	14 फरवरी, 2020	21 जनवरी, 2022	अध्यक्ष पद से पदमुक्त
2.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष	24 जनवरी, 2022	25 जनवरी, 2022	अध्यक्ष पद से पदमुक्त
3.	श्री विनोद एस हेजमाड़ी	निदेशक	20 नवम्बर, 2015	25 जनवरी, 2022	निदेशक पद से पदमुक्त
4.	श्रीमती मीनाक्षी मलिक	निदेशक	14 जुलाई, 2020	25 जनवरी, 2022	निदेशक पद से पदमुक्त
5.	श्री प्रांजोल चन्द्रा	निदेशक	31 अगस्त, 2018	25 जनवरी, 2022	निदेशक पद से पदमुक्त
6.	श्री प्रेम सिंह नेगी	क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एयर इंडिया लि.	07 अक्तूबर, 2019	01 मई, 2021	निदेशक पद से पदमुक्त
7.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	निदेशक*	25 जनवरी, 2022	27 जनवरी, 2022	निदेशक पद से पदमुक्त
8.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष	27 जनवरी, 2022	–	–
9.	श्रीमती उषा पाढी	निदेशक	25 जनवरी, 2022	–	–
10.	श्री प्रांजोल चन्द्रा	निदेशक	11 फरवरी, 2022	–	–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
11.	श्रीमती हरप्रीत ए.डी. सिंह	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएएल	3 नवम्बर, 2020	31 जुलाई, 2021	मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से पदमुक्त
12.	श्री विनीत सूद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एएएएल	31 जुलाई, 2021	—	—
13.	श्रीमती मंजरी वझे	कम्पनी सचिव, एएएएल	21 मार्च, 2017	14 जनवरी, 2022	कम्पनी सचिव के पद से पदमुक्त।
14.	श्रीमती शिल्पा भाटिया	कम्पनी सचिव, एएएएल	14 जनवरी, 2022	—	—

* *नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के दिनांक 31–12–2021 के का.ज्ञा. द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के कारण, बोर्ड ने 25.01.2022 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा को बोर्ड की बैठक, आगामी कार्रवाई के लिए और आम बैठक हेतु मंत्रालय/एआईएएचएल से सम्पर्क करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।*

बोर्ड की समितियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि निर्देशकों का मूल्यांकन मंत्रालय जो कि कम्पनी का प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति व उनके वेतन के लिए नीति

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ई) के तहत एलाइंस एअर एविएशन लि. को सरकारी कम्पनी होने के कारण सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. के निदेशक सरकारी/डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं जिसमें वेतन मानदंड, योग्यता निर्धारण तथा अन्य मदें भी शामिल होती हैं।

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134 (3)(ई) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं हैं। परिणाम स्वरुप धारा 178(3) के तहत निर्देशकों की नियुक्ति पर कम्पनी की नीति संबंधी विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

परिणामस्वरुप प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक व मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन तथा ऐसे अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, जिसमें कम्पनी के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा अन्य विवरण दर्शाती सूची शामित है जिन्होंने नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

संबंधित पार्टियों के साथ कॉन्ट्रेक्ट या व्यवस्था का विवरण

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया अनुसार थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों महत्वपूर्ण कार्मिकों या अन्य पद नामित व्यक्तियों के साथ कोई तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया गया, जिसका कम्पनी के हित से कोई संभावित टकराव हो।

किसी सरकारी कंपनी को आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में धारा 188 की उप–धारा (1) के पहले और दूसरे नियम से किसी अन्य सरकारी कम्पनी के साथ उसके द्वारा किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में छूट प्रदान की गई है।

सभी संबंधित पार्टी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के अनुमोदन के लिए भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

फॉर्म एओसी–2 में अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण **अनुलग्नक–ग** में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं आयी, जिसके लिए संवैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा 143(12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा समिति और/या बोर्ड को रिपोर्ट करना आवश्यक था।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग और कानूनों और विनियमों के अनुपालन में प्रचालन क्षमता, सटीकता और मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और क्षमता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है, जिसमें इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं और विनियमों का अनुपालन शामिल हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, जो आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या किसी लंबित प्रक्रिया का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया है या कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का, एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, लागत रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बोर्ड, भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की ईमानदारी से सराहना करता है और उनके निरंतर समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता है।

बोर्ड, कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं के लिए एयर इंडिया लि., एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। बोर्ड डीजीसीए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइंस एवं एजेंट का भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(विक्रम देव दत्त)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2022

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

- ❖ वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित 7,241.10 मिलियन रु. के राजस्व की तुलना में, वर्ष के दौरान अर्जित कुल राजस्व 4,592.27 मिलियन रु. रहा।

व्यय

- ❖ गत वर्ष व्यय किए गए 11,705.43 मिलियन रु. की तुलना में, वर्ष के दौरान 8,193.21 मिलियन रु. का कुल व्यय किया गया।

मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2022 को एएएएल में नियत अवधि रोजगार अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की संख्या 849 रही। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर 2 कर्मचारी, एआईईएसएल से 10 कर्मचारी और आईएएफ से 05 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध दृश्य शान्तिपूर्ण रहा।

विमान बेड़े की स्थिति

31 मार्च, 2022 को एएएएल के विमान बेड़े में विमानों की स्थिति इस प्रकार रही :–

विमान	एमएसएन	टाइप
वीटी–एआईआई	1197	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईटी	1226	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईयू	1246	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईवी	1252	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईडब्ल्यू	1272	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईएक्स	1268	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईवाई	1273	एटीआर–72–212ए
वीटी–एआईजैड	1279	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेसी	1381	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेडी	1383	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेई	1421	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएफ	1423	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेजी	1427	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएच	1434	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेजे	1439	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेके	1445	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएल	1456	एटीआर–72–212ए
वीटी–आरकेएम	1463	एटीआर–72–212ए

समय पर निष्पादन और तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता

i) वर्ष 2021–22 के दौरान समय पर निष्पादन निम्नानुसार था:

समय पर निष्पादन (ओटीपी)	
अवधि	**ओटीपी**
वित्तीय वर्ष 2021–22	81.10

ii) वर्ष 2021–22 के दौरान विमान तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता निम्नानुसार थी:

विमान	अवधि	तकनीकी प्रेषण उपयोगिता
एटीआर 72–212ए (600)	वित्तीय वर्ष 2021–22	98.94%

विमान उपयोगिता

वर्ष 2021–22 के दौरान विमान उपयोगिता इस प्रकार रही :

वित्तीय वर्ष	उड़ान घंटे उपयोगिता	ब्लॉक घंटे उपयोगिता
2021–22	30473:56	38636:22

एयरक्राफ्ट वर्कशॉप सुविधाओं का विस्तार

एआईईएसएल और एएएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू दिनांक 29–07–2013 के अनुसार, एएएल की सभी इंजीनियरिंग/रखरखाव गतिविधियां एआईईएसएल द्वारा 01 जनवरी, 2015 से की जा रही हैं।

एएएल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट वर्कशॉप सुविधा नहीं है और एआईईएसएल द्वारा इसका नियंत्रण किया जा रहा है।

विपणन पहल

वर्ष 2021–22 के दौरान निष्पादन निम्नानुसार है:

स्टेशनों की सं.: 48

प्रस्थान प्रतिदिन: 111

आरसीएस एवं वीजीएफ प्रस्थान प्रतिदिन: 53

वाणिज्य प्रस्थान प्रतिदिन: 58

राजस्व निष्पादन

माह	रेव पैक्स	यात्री यील्ड	राजस्व (करोड़)	आरसीएस+ वीजीएफ	कुल राजस्व (करोड़)
अप्रैल–21	63,147	3,073	19.40	21.29	40.70
मई–21	29,756	3,262	9.71	18.48	28.19
जून–21	52,874	3,547	18.75	21.18	39.93
जुलाई–21	70,363	3,495	24.59	24.00	48.59
अगस्त–21	80,491	3,375	27.16	23.82	50.98
सित.–21	91,031	3,423	31.16	23.48	54.63
अक्तू.–21	1,07,694	3,853	41.49	25.00	66.49
नव.–21	1,20,306	3,814	45.88	26.24	72.12
दिस.–21	1,25,358	3,916	49.09	24.60	73.69
जन.–22	79,509	3,487	27.73	25.89	53.61
फर.–22	1,11,715	3,616	40.39	22.06	62.45
मार्च–22	1,45,441	3,666	53.31	27.06	80.37
वित्तीय वर्ष 2021–22	**10,77,685**	**3,607**	**388.67**	**283.09**	**671.76**

वास्तविक सॉख्यिकी

माह	क्षमता	% सीट फैक्टर	ब्लॉक घंटे	ओटीपी
अप्रैल–21	1,27,741	50%	2,957	88%
मई–21	90,138	33%	2,025	90%
जून–21	1,05,475	51%	2,421	89%
जुलाई–21	1,22,399	57%	2,845	82%
अगस्त–21	1,30,407	62%	3,023	78%
सित.–21	1,40,902	65%	3,277	83%
अक्तू.–21	1,47,528	75%	3,516	73%
नव.–21	1,63,055	74%	3,812	66%
दिस.–21	1,69,081	75%	3,958	68%
जन.–22	1,46,672	53%	3,369	83%
फर.–22	1,46,655	77%	3,303	81%
मार्च–22	1,82,319	80%	4,131	80%
वित्तीय वर्ष 2021–22	16,72,372	65%	38,636	80%

वित्तीय वर्ष 2021–22 में नई उड़ाने आरंभ की गई

मार्ग	आवृत्ति	प्रभावी	उड़ान प्रकार
दिल्ली–अहमदाबाद–नासिक एवं वापसी	साप्ताहिक 5 उड़ानें	12 जुलाई, 2021	वाणिज्यिक
बैंगलूरु–हैदराबाद–बैंगलूरु	दैनिक	12 जुलाई, 2021	वाणिज्यिक
हैदराबाद–चेन्नै–हैदराबाद	दैनिक	29 अगस्त, 2021	वाणिज्यिक
मुम्बई–सिंधदुर्ग–मुम्बई	दैनिक	09 अक्तूबर, 2021	आरसीएस
कोलकाता–गुवाहाटी–शिलांग–आईज़ोल एवं वापसी	साप्ताहिक 4 उड़ानें	18 अक्तूबर, 2021	वीजीएफ
गुवाहाटी–शिलांग–दीमापुर एवं वापसी	साप्ताहिक 4 उड़ानें	22 नवम्बर, 2021	वीजीएफ
बैंगलूरु–गोवा–बैंगलूरु	दैनिक	26 नवम्बर, 2021	वाणिज्यिक
हैदराबाद–विजयवाड़ा–हैदराबाद	दैनिक	01 दिसम्बर, 2021	वाणिज्यिक
बैंगलूरु–विजयवाड़ा–बैंगलूरु	दैनिक	01 दिसम्बर, 2021	वाणिज्यिक
दिल्ली–लखनऊ–दिल्ली	दैनिक	17 मार्च, 2022	वाणिज्यिक
हैदराबाद–गोवा–हैदराबाद	दैनिक	27 मार्च, 2022	वाणिज्यिक
हैदराबाद–पुणे–हैदराबाद	दैनिक	27 मार्च, 2022	वाणिज्यिक
कोलकाता–रांची–कोलकाता	दैनिक	27 मार्च, 2022	वाणिज्यिक
बैंगलूरु–कोच्चि–बैंगलूरु	दैनिक	27 मार्च, 2022	वाणिज्यिक
दिल्ली–चंढ़ीगढ़–दिल्ली	दैनिक अपराह्न (अतिरिक्त)	27 मार्च, 2022	वाणिज्यिक
हैदराबाद–विजयवाड़ा–हैदराबाद	दैनिक प्रातः (अतिरिक्त)	27 मार्च, 2022	वाणिज्यिक

2022–23 हेतु योजना

वित्तीय वर्ष 2022–23 में नए प्रस्तावित मार्ग

मार्ग	उड़ान का प्रकार	आवृत्ति	आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि
मुम्बई–केसोढ़–मुम्बई	आरसीएस	साप्ताहिक 3 उड़ानें	अप्रैल, 2022
डिब्रूगढ़–पासीघाट–लीलाबाड़ी एवं वापसी	वीजीएफ	सप्ताह में दो बार	अप्रैल, 2022
जबलपुर–भोपाल–ग्वालियर–भोपाल–जबलपुर	वाणिज्यिक	साप्ताहिक 3 उड़ानें	जून, 2022
भोपाल–बिलासपुर–भोपाल	आरसीएस	साप्ताहिक 4 उड़ानें	जून, 2022

अन्य शामिल मार्ग, जिनका पता लगाया जा रहा है।

- अहमदाबाद–दीव–अहमदाबाद
- दीव–सूरत–दीव
- अहमदाबाद–कांडला–अहमदाबाद
- अहमदाबाद–दमन–अहमदाबाद
- दमन–दीव–दमन
- डिब्रूगढ़–तेजू–डिब्रूगढ़
- सिल्चर–इम्फाल–सिल्चर
- लीलाबाड़ी–तेज़पुर–लीलाबाड़ी
- शिलॉग–लीलाबाड़ी–शिलॉग
- इम्फाल–एज़वाल–इम्फाल
- भुवनेश्वर–वाराणसी–भुवनेश्वर
- दिल्ली–कोटा–दिल्ली
- दिल्ली–शिमला–दिल्ली

प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु उठाए गए उपाय

- सभी नई उड़ानों के लिए कॉल सेंटर डेटाबेस के माध्यम से लक्षित एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग अभियान।
- वीडियो अभियानों के साथ सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग।
- नई उड़ानों और प्रचारों को बढ़ावा देने के लिए ओटीए पर बैनर प्रदर्शन।
- मार्च 2022 में आरंभ किए गए कई नए मार्गों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया कवरेज।

चार्टर

- प्रतिस्पर्धी चार्टर दरों को पेश किया गया और व्यापार भागीदारों और सभी स्टेशन प्रबंधकों को सूचित किया गया। 75 उड़ानों में व्यापक प्रचार के लिए चार्टर्स पर मार्केटिंग फ्लायर बनाए गए और सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट किए गए।

उपलब्धियां

- एलाइंस एअर ने 19 से 23 अप्रैल, 2021 तक वर्ल्ड एविएशन फेस्टिवल वर्चुअल वीक में भाग लिया। एविएशन एंड ट्रैवल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था जिसे लंदन और यूके में आयोजित किया गया।
- एविएशन फेस्टिवल एशिया में ब्रांड प्रचार और प्रचार।
- बिजनेस इंडिया पत्रिका के अगस्त संस्करण में उड़ान पर एलाइंस एअर को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ब्रांडिंग और प्रश्न उत्तर इनपुट।
- 22 नवंबर 2021 को आरसीएस उड़ान ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए। एलाइंस एअर ने माननीय नागर विमानन मंत्री और मंत्रालय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में झारसुगुड़ा में उड़ान उत्सव में भाग लिया। झारसुगुड़ा में यात्रा करने की खुशी का अनुभव करने के लिए युवाओं और बुजुर्गों को अवसर प्रदान करके हमें प्रसन्नता हुई। निरंतर सेवा और समर्थन के लिए एलाइंस एअर को 'उड़ान के चैंपियन' के रूप में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

- आरसीएस उड़ान के तहत एलाइंस एअर को विंग्स इंडिया–2022 में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ऑपरेटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- स्वतंत्रता के 75 वर्ष (आजादी का अमृत महोत्सव) के शुभ अवसर पर फ्लायर्स, भाषण, समारोह और ध्वजारोहण के साथ सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रचार रचनात्मक अभियान चलाया गया
- अनुयायी जुड़ाव और ब्रांड स्मरण के लिए सोशल मीडिया पर यात्री प्रकार का अभियान।

उत्तर–पूर्व प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2021–22 में उत्तर–पूर्व में उड़ान प्रचालन

मार्ग	आवृत्ति	उड़ान प्रकार
गुवाहाटी–तेज़पुर–पासीघाट–तेज़पुर–गुवाहाटी	साप्ताहिक 3 उड़ानें	वीजीएफ
कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता	दैनिक	वीजीएफ
कोलकाता–लीलाबाड़ी–कोलकाता	दैनिक	वीजीएफ
कोलकाता–गुवाहाटी–एज़वाल–शिलॉग एवं वापसी	साप्ताहिक 4 उड़ानें	वीजीएफ
गुवाहाटी–दीमापुर–इम्फाल एवं वापसी	दैनिक	वीजीएफ
गुवाहाटी–शिलॉग–दीमापुर एवं वापसी	साप्ताहिक 4 उड़ानें	वीजीएफ

वर्ष 2021–22 के दौरान किराए

एयरलाइन द्वारा 2021–2022 के दौरान अन्य बातों के साथ संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित बाजार किराए की पेशकश की गईः

- मूल्य संवेदनशील बाजार में प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला परिवर्तनशील किराया
- ऋतु
- वीजीएफ/आरसीएस सेक्टर
- उड़ान की आवृत्ति, समय, डायरेक्ट/इन–डायरेक्ट प्रचालन, उत्पाद शक्ति, प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियां, ऋतु आदि।

प्रमोशनल योजना

एलाइंस एअर की ''फेस्टिव सीजन'' सेल 16 अक्तूबर 2021 से आरंभ होकर 20 अक्तूबर 2021 तक थी। सेल विंडो के दौरान बुकिंग करने वाले यात्री 6 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक अवधि में यात्रा कर सकते हैं।

यात्री सुविधा

- यात्रियों को सुविधाएं और भोजन सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- अग्रसक्रिय शिकायतों का समाधान भी किया गया।

तिमाही	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें	बंद शिकायतों का %
1 तिमाही	150	150	100%
2 तिमाही	278	277	99.6%
3 तिमाही	464	454	98%
4 तिमाही	450	432	96%
वित्तीय वर्ष 2021-22	1,342	1,313	98%

मितव्ययिता/अर्थव्यवस्था बचाने के उपाय

- कोविड–19 परिदृश्य के दौरान भोजन सेवा बंद की गई।
- 15 अप्रैल, 2022 से एएएल, नए पीएसएस सिस्टम (पैक्स लिंक्स) में स्थानांतरित हो गया है।
- उच्च लागत वाले लेजर प्रिंटर के कार्टेज की लागत और रुकावट को कम करने के लिए इंक टैंक के साथ कम लागत वाले प्रिंटर खरीदे गए हैं।
- बीपी/बीटी प्रिंटरों को भी लागत के 1/5वें हिस्से पर कम लागत वाले प्रिंटरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- बैंडविड्थ को 100 एमबीपी पर अपग्रेड किया गया है।

पहल

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न पहलें अपनाई गई हैं:

- कमर्शियल प्लानिंग सब सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है – जो नेटवर्क प्लानिंग, मार्ग विश्लेषण, उड़ान अनुसूची, प्रकाशन और कमर्शियल नेटवर्क शेड्यूल के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है।
- क्रू मैनेजमेंट सब सिस्टम (सीएमएसएस) जो बिना किसी उल्लंघन के स्वचालित और मैनुअल रोस्टर बनाकर कुशल क्रू प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करता है।
- एकीकृत प्रशिक्षण प्रबंधन उप प्रणाली (आईटीएमएस–ई–लर्निंग) को लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए स्टाफ प्रशिक्षण रिकॉर्ड को एकीकृत करता है कि सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक अनुपालन को पूरा करने के लिए प्रमाणन, कौशल और ज्ञान के स्तर की निगरानी और रखरखाव किया जाता है।
- प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए एयर क्रू और केबिन क्रू के लिए क्रू वेब पोर्टल।
- फ्लाइट प्लानिंग एंड डिस्पैच सिस्टम (एफडीएस) जो पूरी फ्लाइट प्लानिंग और डिस्पैच प्रोसेस को ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करता है।
- इंफो–प्रॉम्प्ट–इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (आईडीएमएस)– लैमिनार, जिसका उपयोग कागज रहित वातावरण प्रदान करने के लिए डिजिटल सामग्री के प्रबंधन के लिए किया जाता है।

कोविड का प्रभाव

कोविड की दूसरी लहर और अधिकांश राज्यों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए यात्री भार में गिरावट आई है। लागत पर अंकुश लगाने और घाटे को नियंत्रित करने के लिए, एलाइंस एअर के प्रचालन को युक्तिसंगत बनाया गया, जिससे हमने अपने परिचालनों को पुनर्गठित/कम कर दिया। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप नियोजित रद्दीकरण और कटौती के माध्यम से लागत में बचत हुई।

नागर विमानन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एलाइंस एअर ने भी 'प्रचालित क्षमता' का पालन किया।

परिपत्र की तिथि	प्रचालित करने की अनुमत क्षमता
21 मई 20	33%
26 जुलाई 20	45%
02 सितम्बर 20	60%
11 नवम्बर 20	70%
03 दिसम्बर 20	80%
28 मई 20	50%
05 जुलाई 21	65%
12 अगस्त, 21	72.50%
18 सितम्बर 21	85%
18 अक्तूबर 21	100%

वैक्सीन मूवमेंट और चार्टर्स

- वैक्सीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों के लिए कार्गो मालवाहकों को प्रचालित करने के लिए नियामक प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वैक्सीन और वैक्सीन निर्माताओं के लिए नामित फ्रेट फारवर्डर्स को उसी पर अपडेट किया गया। इस सूचना को संबंधित लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से भी सहायता ली गई।
- एलाइंस एअर द्वारा वैक्सीन मूवमेंट का समर्थन करते हुए, कोविड के दौरान 26,044 किलोग्राम/861 वैक्सीन के पैकेट पहुंचाए गए।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

- 19 अगस्त 2021 को दिल्ली–देहरादून फ्लाइट में लाइव ऑर्गन (आंखें) पहुंचाने का अभियान।
- कॉमनवेल्थ फोरम एंड अवार्ड्स 2021 ''मानवता की रक्षा, जीवन की रक्षा'' में एलाइंस एअर की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए आभासी भागीदारी और उपस्थिति।
- एलाइंस एअर, विशुद्ध रूप से समाज को एक हरित दुनिया देने में विश्वास करती है। एलाइंस एअर ने दैनिक आधार पर वृक्षारोपण के लिए कई पहल की हैं।

इंजीनियरिंग

विशिष्ट मदों/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए, बचाई गई राशि का परिमाण करते हुए, अपनाए गए किफायती उपाय और उपलब्धियां:

- 1 अक्तूबर 2021 से, इंजन रखरखाव कार्यक्रम हार्ड टाइम से ऑन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम में बदल गया और 22 दिसंबर तक इंजन घंटे के विस्तार के कारण लगभग 32 करोड रुपए की बचत हुई।
- मैसर्स एटीआर के साथ 4.75 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत के साथ जीएमएसए से बातचीत।
- इंजन ईडी 1422 के लिए शॉप विजिट किया तथा 31 लाख रुपये का क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ।
- पी एंड डब्ल्यू की लागत पर दिल्ली में बदले गए पीटी पैक, उस पर लगभग 19 लाख रुपये की बचत।
- 1.30 करोड़ रुपये वार्षिक बचत के साथ अनुकूलित विमान रखरखाव कार्यक्रम।
- एनएवी डेटा बिलिंग की समीक्षा और फिर से बातचीत के बाद 1.11 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत।
- इंजन कंडीशन ट्रेंड मॉनिटरिंग (ईसीटीएम) अनुबंध की बातचीत कर समीक्षा की गई और 11 लाख रुपये की वार्षिक बचत हुई।
- बेड़े की अधिक उपलब्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित रखरखाव पर कम टीएटी।
- सही सामग्री, सही समय पर सही जगह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी खरीद और रसद अनुभाग को सुव्यवस्थित किया गया।

विमानन ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक संक्षिप्त नोट। रखरखाव में सुधार के लिए किए गए उपायों और प्रभावित बचत को भी इंगित किया जा सकता है।

एएएएल द्वारा खरीदे गए ईंधन परीक्षक उपकरण को एटीआर–72 बेड़े में ईंधन असंतुलन के प्रबंधन हेतु एआईईएसएल को सौंप दिया गया है।

इंजीनियरिंग और रखरखाव गतिविधियों का बेस, नई शॉप, प्रमुख कार्यों, बाहरी स्टेशनों सहित विवरण

- ट्रांजिट स्टेशनों की संख्या – 48
- नाइट हॉल्ट बेस की संख्या–05 (दिल्ली, हैदराबाद कोलकाता, मुंबई और बैंगलोर)।
- दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एआईईएसएल और अन्य वैण्डर की शॉप पर एएएएल के रोटेबल पुर्जों (अग्निशमन, ऑक्सीजन की बोतलें, बैटरी, एसएससीवीआर, एसएसएफडीआर, ईएलटी, व्हील एसे, ब्रेक आदि) की सर्विस की जा रही है।

अन्य एयरलाइंस/संगठन को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं का विवरण और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

एआईईएसएल और एएएएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, सभी एएमई (प्रमाणित कर्मचारी) को अलग कर दिया गया है और एएएएल से एआईईएसएल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए विमान संबंधी सभी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण का प्रबंधन एआईईएसएल द्वारा किया जा रहा है।

विमान उपयोगिता, इंजीनियरों की उपलब्धता, नए मार्गों/सेवाओं, सुविधाओं के उपयोग आदि के संदर्भ में 2022–23 की योजना और बेड़े के विस्तार की योजना।

डोर्नियर परियोजना के लिए मैसर्स एचएएल के साथ एक विमान वीटी–केएनपी के संबंध में बातचीत आरंभ हुई है और अगले चरण में एएएएल के बेड़े में एक और डीओ–228 विमान वीटी–केएनक्यू, विमान बेड़े में शामिल हो जाएगा।

जुलाई 2022 माह में एक एटीआर 42–600 को शामिल किया गया है और कंपनी सितंबर 2022 में एक और विमान शामिल करने की योजना बना रही है।

उड़ान संरक्षा

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग प्रोएक्टिव कार्यों के तहत FOQA (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) जिसमें नियमित रूप से उड़ान डाटा की निरंतर मॉनिटरिंग आदि जैसे एसएसएफडीआर व सीवीआर तथा बेस स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच जिसमें एयरफील्ड निरीक्षण, स्पॉट चैक और रैम्प जांच की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 50 घटनाएं रिपोर्ट की गई। डीजीसीए प्रतिनिधियों सहित कंपनी के स्थायी जांच बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 49 घटनाओं की जांच की गई तथा 1 घटना की एएआईबी द्वारा जांच की जानी है।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में जबलपुर में 1 (रनवे एक्सर्सन) गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कुल 23 बर्ड हिट/हड़ताल की घटनाएं दर्ज की गईं और कोई नुकसान नहीं हुआ। संबंधित एरोड्रम अधिकारियों के साथ–साथ इन घटनाओं के बारे में डीजीसीए को सुधारात्मक उपायों के लिए सूचित किया गया।

विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान सुरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए :

- पूरे संगठन में गुणवत्ता आश्वासन और एसएमएस के लिए एसक्यूएमएस (सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) खरीदा गया है और सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- बेस स्टेशन (दिल्ली)/18, लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच अनुमोदित सुरक्षा लेखा परीक्षा योजना 2021–22 के अनुसार की गई।

- एटीआर 72–600 विमान बेड़े की लोड और ट्रिम शीट के अनुसार उड़ान बेड़े की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जा रही है।
- प्रशिक्षण सत्र के दौरान एफओक्यूए प्रवृत्तियों को महत्व देने के लिए तिमाही आधार पर प्रशिक्षण विभाग के साथ साझा किया गया।
- FOQA कार्यक्रम के अनुसार केबिन क्रू को सचेत/एडवाइज्ड किया जाता है।
- एसएजी (सुरक्षा कार्रवाई समूह) की बैठकें हर महीने आयोजित की जाती हैं और कर्मचारियों द्वारा पाए गए किसी भी खतरे पर स्वैच्छिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुल 44 स्वैच्छिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए और उन्हें वर्ष 2021–22 में बन्द किया गया।
- स्थायी जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।
- अगस्त एवं दिसम्बर 2021 माह में इन–हाउस एसआरएम/एसआरबीएम आयोजित किए गए।

प्रचालन

विमानन ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक संक्षिप्त नोट। उड़ान मार्गों को छोटा करने, उड़ानों के अनुकूलन, उड़ान तकनीक में सुधार/रखरखाव और प्रभावित बचत के लिए किए गए उपायों को भी इंगित किया गया है।

प्रचालन विभाग द्वारा ईंधन बचत के लिए किए गए उपायः

1. एलाइंस एअर की सभी उड़ानों के लिए पिछले छः महीनों में मैनुअल उड़ान योजना के बजाय कम्प्यूटरीकृत उड़ान योजना (सीएफपी) लागू की गई।

   सीएफपी वास्तविक हवा, यात्रा की दूरी और विमान के वास्तविक वजन के आधार पर गंतव्य तक उड़ान भरने के लिए उड़ान स्तर का अनुकूलन करता है, परिणामस्वरूप समग्र ईंधन खपत कम हो जाती है। सीएफपी वास्तविक टेकऑफ वजन के आधार पर गंतव्य के लिए उड़ान भरने के लिए आवश्यक सटीक ईंधन की भी भविष्यवाणी करता है, जिससे अतिरिक्त ईंधन ले जाने से बचा जाता है जो उच्च पेलोड विशेष रूप से आरटीओडब्ल्यू प्रतिबंधित रनवे है।

2. एलाइंस एअर की सभी उड़ानों (एटीआर 72–600 विमान) में अवतरण गति को संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10400 किलोग्राम प्रति सप्ताह (800 उड़ानें प्रति सप्ताह) ईंधन की बचत हुई और लागत में लगभग 11.7 लाख रु. की प्रति सप्ताह बचत हुई। यह परिवर्तन फ्लाइट क्रू को स्थिर दृष्टिकोणों को उड़ाने में भी मदद करता है।

3. विकल्पों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे गंतव्य से न्यूनतम दूरी पर हों। इसलिए ब्लॉक ईंधन की आवश्यकता कम हो जाती है जो उच्च पे लोड और ईंधन की बचत को सक्षम बनाता है।

4. ईंधन टैंकरिंग की अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है और प्रचालन विभाग द्वारा हर पखवाड़े में ईंधन टैंकरिंग परिपत्र जारी किया जा रहा है। प्रत्येक स्टेशन पर ईंधन की सटीक, अद्यतन और संशोधित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन और वित्त विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय किया जा रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेक्टर वाणिज्यिक उड़ान या आरसीएस उड़ान के रूप में प्रचालित किया जा रहा है या नहीं।

5. चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर होटल मोड के बजाय ग्राउंड कूलिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ईंधन की खपत कम हो रही है।

6. पायलटों को जहां तक संभव हो स्ट्रेट इन अप्रोच/विजुअल अप्रोच प्रचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे विमान द्वारा तय किए गए ट्रैक मील कम हो जाते हैं।

7. एटीसी प्रक्रियाओं के पालन में एलाइंस एअर कॉकपिट क्रू द्वारा पोस्ट लैंडिंग में सिंगल इंजन टैक्सी का पालन किया जा रहा है।

8. कॉकपिट चालक दल को खंड के स्तर के बजाय अवरोह के शीर्ष से निरंतर अवतरण तकनीक को प्रोत्साहित किया जाता है जो ईंधन की बचत में सहायता करता है। यह आवाज़ कम करने के नियमों में भी मदद करता है।

ईंधन टैंकरिंगः

प्रत्येक एयरपोर्ट पर विमान ईंधन की कीमत कई कारणों से भिन्न होती है। ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त मात्रा में ईंधन लिया जाता है जहां ईंधन की कीमत सस्ती होती है और इसे ईंधन टैंकरिंग के रूप में जाना जाता है।

एटीआर 72–600 में ईंधन टैंकरिंग बहुत ही सीमित तरीके से संभव है और केवल तभी जब पे लोड (लोड शर्तों के तहत) बिना किसी वजन सीमा को पार किए अनुमति दे रहा हो।

एलाइंस एअर का प्रचालन विभाग, वित्त विभाग के सहयोग से एलाइंस एअर के परिचालन वाले प्रत्येक स्टेशन पर हर पखवाड़े ईंधन की कीमत का मूल्यांकन करता है। सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद, ईंधन मूल्य अंतर और सेक्टर की लंबाई के आधार पर, ईंधन टैंकरिंग सेक्टरों की पहचान की जाती है और पेलोड की अनुमति होने पर ईंधन टैंकरिंग करने के लिए फ्लाइट क्रू और फ्लाइट डिस्पैचर्स को प्रचालन परिपत्र जारी किया जाता है।

वर्तमान में 34 सेक्टरों के लिए ईंधन टैंकरिंग की सिफारिश की गई है और ईंधन टैंकरिंग लागत बचत के परिणामस्वरूप प्रति माह लगभग 35–40 लाख रुपए की बचत हो रही है।

कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की विमान प्रकार–वार संख्या, प्रशिक्षण के उड़ान घंटे और प्रशिक्षण पैटर्न में बदलाव, यदि कोई हो।

प्रशिक्षित कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या

क्र. सं.	प्रशिक्षित/अपग्रेडेड पायलटों (एटीआर 72–600) की संख्या					
	(पी1) (ट्रांजिसन कप्तानों सहित)	पी2	डीई	टीआरआई	एसएफआई	एलटीसी
1	27	23	2	2	2	9

प्रतिभागियों–पायलटों/केबिन क्रू आदि की संख्या के साथ निष्पादन/तकनीकी/अनुमोदन पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण की संख्या

पायलट ग्राउंड ट्रेनिंग विवरण				
क्र. सं.	एटीआर–72–600 टाइप प्रशिक्षण	कप्तानों की संख्या(पी1)	को–पायलटों की संख्या(पी2)	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या
1	एटीआर 72–600 रिकरंट स्थल प्रशिक्षण	61	86	23
2	एटीआर 72–600 एक्सटेंडेड पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	14	8	6
3	एटीआर 72–600 एलटीसी पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	12	0	8
4	एटीआर 72–600 टीआरआई पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	2	0	3
5	एटीआर 72–600 नये कप्तानों का ओसीसी पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	10	11	4
6	एटीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम	8	2	2
7	एटीआर 72–600 पीआईसी पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	0	12	5
8	एटीआर 72–500 से एटीआर 72–600 भिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	1	1
9	एटीआर 72–600 एसएफआई ट्रेन ट्रेनर प्रशिक्षण पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	3	0	2

क्र. सं.	डीओ–228 टाइप प्रशिक्षण	कप्तानों की संख्या(पी1)	को–पायलटों की संख्या(पी2)	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या
1	डीओ–228 नये कप्तानों का ओसीसी पुनःश्चर्या प्रशिक्षण	5	0	1
2	डीओ–228 ट्रेन ट्रेनर प्रशिक्षण	2	0	1

केबिन क्रू स्थल प्रशिक्षण ब्यौरा		
प्रशिक्षण का प्रकार	**आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या**	**उम्मीदवारों की संख्या**
प्रारंभिक प्रशिक्षण	1	17
डीजीआर प्रशिक्षण	33	133
पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम	21	171
एवसेक प्रशिक्षण	47	105
लाईफ जैकेट ड्रिल	12	79

बेड़े के संदर्भ में पायलटों की आवश्यकता और कमी, यदि कोई हो।

वर्तमान में एटीआर 72–600 के बेड़े में पायलटों की कोई कमी नहीं है। हालांकि, एलाइंस एअर के बेड़े में दो (2) एटीआर 42–600 विमानों को देखते हुए, टाइप रेटेड कप्तानों के लिए हर महीने वॉक–इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्तमान में एलाइंस एअर के पे रोल पर भारतीय अनुबंध पर 18 विदेशी पायलट हैं। 31 दिसंबर 2022 की ना.वि.मं. की समय सीमा से पहले भारतीय कमांडरों के साथ विदेशी कप्तानों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डोर्नियर– 228: वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पांच (5) कप्तानों को समझौता ज्ञापन के अनुसार एलाइंस एअर में शामिल किया गया है। 18 अप्रैल 2022 से डीओ 228 फ्लीट पर सीमित परिचालन शुरू हो गया है। डीओ 228 फ्लीट पर चालक दल की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती में तेजी लाई जा रही है।

एलाइंस एअर के पास दो (2) डीओ 228 विमान हैं जिनके लिए प्रति विमान न्यूनतम 3 सेट की आवश्यकता होती है, इसलिए कुल 12 कॉकपिट क्रू की आवश्यकता होती है। शेष क्रू की भर्ती ओपन मार्केट से वॉक इन के जरिए की जा रही है।

क्रू उपयोग के विशेष संदर्भ में टाइप–वार और क्षेत्र–वार केबिन/कॉकपिट क्रू उपयोग पर एक नोट।

कॉकपिट क्रू/केबिन क्रू का उपयोग केवल एटीआर 72–600 प्रकार के विमानों पर किया गया।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कॉकपिट क्रू और केबिन क्रू उपयोगिता आधार इस प्रकार से है:

माह	दिल्ली (DEL)			हैदराबाद (HYD)		
	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू
अप्रैल–21	64:02	65:24	39:01	59:05	65:30	40:17
मई–21	55:54	49:46	32:44	19:32	39:34	17:10
जून–21	51:28	42:01	32:17	35:03	35:48	23:08
जुलाई–21	59:09	44:17	35:41	43:13	34:48	25:21
अगस्त–21	63:57	41:20	37:19	48:27	38:08	27:03
सितम्बर–21	64:13	42:53	39:11	47:28	44:35	30:21
अक्तूबर–21	68:21	49:42	43:43	49:24	50:25	31:58
नवम्बर–21	66:06	52:16	50:07	58:33	54:59	38:07

माह	दिल्ली (DEL)			हैदराबाद (HYD)		
	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू
दिसम्बर–21	66:53	43:38	45:52	73:52	71:27	49:14
जनवरी–22	51:50	44:24	37:48	56:30	44:30	37:13
फरवरी–22	49:40	45:05	36:37	54:02	41:34	37:12
मार्च–22	65:39	62:39	50:33	72:53	63:00	58:28

माह	बैंग्लूरु (BLR)			मुम्बई (BOM)		
	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू
अप्रैल–21	58:23	58:32	41:34	49:17	47:22	21:10
मई–21	42:52	47:20	37:33	20:11	17:02	09:30
जून–21	44:22	59:10	34:30	35:46	30:06	15:26
जुलाई–21	53:42	53:31	47:37	52:01	28:32	21:00
अगस्त–21	61:06	50:49	45:04	41:11	28:20	25:36
सितम्बर–21	65:02	54:26	53:59	54:02	26:23	30:40
अक्तूबर–21	61:17	47:03	41:11	51:57	40:24	45:48
नवम्बर–21	60:22	55:03	40:49	62:55	45:35	48:06
दिसम्बर–21	81:14	76:44	63:14	69:16	48:21	41:14
जनवरी–22	66:36	59:32	52:15	65:39	60:05	40:18
फरवरी–22	55:51	50:01	52:48	50:54	44:15	36:57
मार्च–22	77:46	54:04	57:54	56:12	51:34	43:47

माह	कोलकाता (CCU)		
	कमांडर	फर्स्ट आफिसर	केबिन क्रू
अप्रैल–21	84:44	57:30	35:07
मई–21	46:39	36:53	28:10
जून–21	53:26	49:51	39:02
जुलाई–21	64:15	61:32	44:37
अगस्त–21	69:45	54:18	46:20
सितम्बर–21	80:24	59:42	50:19
अक्तूबर–21	63:01	49:04	54:43
नवम्बर–21	69:28	58:47	56:39
दिसम्बर–21	72:41	61:37	52:52
जनवरी–22	73:12	69:44	52:36
फरवरी–22	61:33	55:03	47:47
मार्च–22	71:42	63:18	54:32

विभिन्न आर्थिक उपायों को अपनाया गया और विशिष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया

प्रचालन विभाग द्वारा अपनाए गए प्रमुख आर्थिक उपाय निम्नानुसार हैंः–

- ईंधन/ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायः ईंधन टैंकरिंग की बारीकी से निगरानी की जा रही है और ईंधन टैंकरिंग परिपत्र महीने में दो बार जारी किए जाते हैं।
- क्रू के अधिकतम उपयोग हेतु उपलब्धता की निगरानी की जाती है।

- विदेशी पायलटों की चरणबद्धता लीव रोटेशन को बदलकर पायलटों की उपलब्धता लाने के लिए एक्सपैट अनुबंध को बदल दिया गया, 1200 अमेरिकी डॉलर से 77000 रुपये के रहने वाले भत्ते में कमी और आगे की बचत हेतु 22000 रुपये का यात्रा भत्ता पेश किया गया था। फिर अंतिम चरण में इन पायलटों को भारतीय अनुबंध की पेशकश की जा रही है। वर्तमान में एलाइंस एअर के पे रोल पर भारतीय अनुबंध पर 18 विदेशी पायलट हैं। भारतीय कमांडरों के साथ विदेशी पायलटों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- परिवहन और होटल से संबंधित लागत में कटौती के लिए क्रू की क्लबिंग की जाती है।
- उपलब्धता के अनुसार कॉकपिट क्रू का अधिकतम उपयोग।
- उड़ान प्रचालन के लिए एसओडी गतिविधि की निगरानी। हम एसओडी मूवमेंट को कम करने में सफल रहे हैं।
- बेस को स्वतंत्र बनाने के लिए कॉकपिट और केबिन क्रू की स्थायी पोस्टिंग ताकि होटल और एसओडी से बचा जा सके।
- एसओडी यात्रा को कम करने के लिए वेबेक्स/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित करना।
- चार्टर प्रचालन के लिए विपणन और अन्य विभागों को पूर्ण समर्थन, यहां तक कि अल्प सूचना पर भी, ताकि कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जा सके।
- एवीएसईसी प्रशिक्षण जहां तक संभव हो संबंधित स्थानों पर किया जा रहा है ताकि होटल और एसओडी से बचा जा सके।
- 12 अप्रैल 2022 को डोर्नियर प्रोजक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और डिब्रूगढ़ बेस से 18 अपैल 2022 से इसका वाणिज्यिक परिचालन आरंभ हुआ। एलाइंस एअर में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के 03 पायलटों को अरुणाचल प्रदेश के एएलजी में डोर्नियर प्रचालन हेतु लिया गया। एलाइंस एअर द्वारा बेड़े में अपने चालक दल की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी और समय प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।
- एलाइंस एअर में पहली बार एयरलाइन टाइप रेटिंग प्रोग्राम (एटीआरपी) आरंभ किया गया है, जहां पायलटों की पूरी तरह की रेटिंग इन हाउस की जाएगी। यह एयरलाइन के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- क्रू और स्टाफ के लिए कोविड कटौती अभी भी जारी है। पायलटों के सहयोग के कारण कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है।
- प्रचालन विभाग में डोर्नियर परिचालन के लिए कोई अतिरिक्त मानव शक्ति नहीं रखी गई है।
- कॉकपिट और केबिन क्रू की भर्ती पर प्रचालन विभाग द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है और इसे परिचालन आवश्यकता और भविष्य की योजना के अनुसार किया जा रहा है। कंपनी में कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं है।
- पिछले वर्षों में हम 19 भारतीय कमांडर की तुलना में 64 भारतीय कमांडर शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं।
- कुल 4 टीआरआई और 4 डीई हैं।

विमान उपयोग, पायलटों की उपलब्धता, नए मार्गों/सेवाओं, सुविधाओं के उपयोग आदि के विशेष संदर्भ में वर्ष 2022–23 की योजना।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए विमान उपयोग की योजना

क. एटीआर 72–16.5 विमान (9 घंटे प्रतिदिन)

ख. एटीआर 42–2 विमान (8 घंटे प्रतिदिन)

ग. डोर्नियर 228–2 विमान (6 घंटे प्रतिदिन)

कुल– 20.5 विमान

गोइंग कर्सन

भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता एयर इंडिया लिमिटेड से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गई है और 25 जनवरी 2022 से एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के बोर्ड को भी पुनर्गठित किया गया है। परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) की नई मूल कंपनी/होल्डिंग कंपनी बन गई है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआईएएचएल सहित नागर विमानन मंत्रालय के तीन निदेशक शामिल हैं। नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दैनिक परिचालन गतिविधियों को छोड़कर, बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित सभी निर्णयों को निष्पादित किया जा रहा है।

कंपनी अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है, जिसे विनिवेश के बाद कंपनी को पूरी तरह से चालू रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कंपनी ने अपनी प्रचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं। चूंकि कंपनी को प्रचालन और वित्तीय निष्पादन में सुधार की अपेक्षा है और कंपनी को पूर्ण रूप से भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे और निवल महत्व को ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किए गए हैं। –मिटने लायक

कंपनी भारत सरकार की योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे एयरपोर्टों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त नए एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी द्वारा जीते गए कुल उड़ान मार्ग अब 117 हैं। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक 81 मार्गों पर परिचालन किया, जो 31 मार्च 2021 तक 73 मार्ग थे। वर्ष 2021–22 में एएएएल द्वारा प्रचालित कुल मार्ग में से, लगभग 69% उड़ान योजना के तहत थे। एलाइंस एअर उड़ान क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि एएएएल उड़ान योजना के तहत प्रचालन पर लाभ प्राप्त कर रही है।

एलाइंस एअर ने शिमला और अन्य आरसीएस क्षेत्रों में परिचालन के लिए दो एटीआर 42–600 को परिचालन लीज़ पर लेने के लिए एक समझौता किया है।

''मेक इन इंडिया'' के भारत के माननीय प्रधान मंत्री के सपने को पूरा करने के लिए मार्च 2022 से व्यावसायिक प्रचालन में डोर्नियर उड़ान परिचालित करने के लिए एलाइंस एअर द्वारा एक और मील का पत्थर हासिल किया गया है।

नगर विमानन मंत्रालय के निर्देशानुसार, एलाइंस एअर ने अप्रैल 2022 से अरुणांचल प्रदेश के विभिन्न हवाई क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के साथ हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रचालन प्रारंभ किया है।

वीजीएफ व्यवस्था के तहत, ना.वि.मं. तीन साल की अवधि के लिए योजना हेतु सहमत हो गया है और एलाइंस एअर निश्चित और परिवर्तनीय दोनों लागतों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है जो लगभग वार्षिक 86 करोड़ रुपए है।

उपरोक्त मॉडल न केवल 9.74 करोड़ रुपये प्रति माह के कुल राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करता है बल्कि परियोजना की लाभप्रदता भी सुनिश्चित करता है।

एलाइंस एअरटर्न अराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया में का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। कोविड 19 के बाद, नवंबर 2021 से, एएएएल रिकवरी की राह पर है और ईबीआईटी सकारात्मक रुझान दर्शाता है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और उसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

जोखिम न्यूनीकरण नीति

कम्पनी द्वारा निरन्तर जोखिम धारणाओं को मॉनीटर किया जाता है तथा विविध क्षेत्रों के जोखिम को कम करने हेतु निवारक कार्रवाई की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने, जैसे कर अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि हेतु वर्ष 2021–22 के लिए मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी, चार्टरित लेखापाल, नई दिल्ली को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

अनुलग्नक–क

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निगमित प्रशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं :

1. निगमित प्रशासन कोड पर कंपनी का दर्शन

कंपनी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दृढ़ता से विश्वास करती है और लगातार अभ्यास करती रही है। कंपनी की प्रतिष्ठा को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों द्वारा आकार दिया गया है। कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रकटीकरण करना और कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है।

2. निदेशक मंडल

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसके निदेशक भारत सरकार के परामर्श से होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष के आगमन पर, एएएएल, एयर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। हालांकि, एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कारण और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) में एयर इंडिया लिमिटेड (एआई) के निवेश को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) में स्थानांतरित करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार), एएएएल की संपूर्ण शेयरधारिता 25 जनवरी 2022 को बुक वैल्यू पर एआई से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दी गई और एएएएल एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। इसके पश्चात्, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 31 दिसंबर 2021 और 11 फरवरी 2022 के का.ज्ञा. द्वारा एएएएल के बोर्ड के पुनर्गठन के निर्णय से अवगत कराया है। तदनुसार, एएएएल के बोर्ड का पुनर्गठन 25 जनवरी 2022 और 11 फरवरी, 2022 को किया गया।

एएएएल के बोर्ड की संरचना एमओसीए के आदेश दिनांक 11–02–2022 द्वारा निर्धारित की गई है।

31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम
1	श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लि.	अध्यक्ष
2	श्रीमती उषा पाढी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	सरकारी नामित निदेशक
3	श्री प्रांजोल चंद्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	सरकारी नामित निदेशक
4	श्री दीपक सजवान उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सरकारी नामित निदेशक

श्री विक्रम देव दत्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया को 24 जनवरी, 2022 से श्री राजीव बंसल के स्थान पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और श्री राजीव बंसल 21 जनवरी 2022 से अध्यक्ष पद से पदमुक्त हुए। बोर्ड श्री राजीव बंसल द्वारा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है।

नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के दिनांक 31–12–2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के कारण, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

i. श्री विक्रम देव दत्त 25 जनवरी 2022 से अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हुए। बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में श्री विक्रम देव दत्त द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की गई।

ii. श्री विनोद हेजमाडी, श्री प्रांजोल चंद्रा और श्रीमती मीनाक्षी मलिक 25 जनवरी 2022 से निदेशक के पद से पदमुक्त हुए। बोर्ड द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की गई।

iii. श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और श्रीमती उषा पाढी को 25 जनवरी 2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री विक्रम देव दत्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को 27 जनवरी, 2022 से श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड बोर्ड श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है।

श्री प्रांजोल चंद्रा को नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 11 फरवरी, 2022 के आदेश संख्या 17046/56/2019–एआई द्वारा 11 फरवरी 2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की गई। कंपनी के निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा करने हेतु बोर्ड ने वर्ष के दौरान आठ बार बैठकें कीं।

3. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में एयर इंडिया, मुख्यालय या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के कारण, निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बैठकें पहले से निर्धारित की जाती हैं। आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में, प्रस्तावों को सर्कुलेसन द्वारा पारित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की जाती है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप मेंदिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सभी जानकारियों तक पहुंच होती है और वे एजेंडे में चर्चा हेतु किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिएवरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों को आवधिक तौर पर बोर्ड में रखा जाता है। कंपनी के मामलों को बेहतर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने हेतु, बोर्ड के कुछ मामलों को, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बोर्ड की समितियों को सौंपा जाता है।

बोर्ड की बैठकों, सामान्य वार्षिक बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों के निदेशक पद और समितियों में पोज़ीशन का ब्यौरा इस प्रकार है :

बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित तिथि के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई:

10 जून 2021(167वीं बैठक)
14 जुलाई 2021(168वीं बैठक)
22 अक्तूबर 2021 (169वीं बैठक)
30 दिसम्बर 2021 (170वीं बैठक)
14 जनवरी 2022 (171वीं बैठक)
25 जनवरी 2022 (172वीं बैठक)
11 फरवरी 2022 (173वीं बैठक)
09 मार्च 2022 (174वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड / शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों का उपस्थिति सहित विवरण।

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्री राजीव बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एयर इंडिया लि. अध्यक्ष (21 जनवरी, 2022 से अध्यक्ष के पद से पदमुक्त)	सिविल इंजीनियर, आईआईटी दिल्ली, फाईनेंस में डिप्लोमा, आईसीएफएआई हैदराबाद, ईएक्सई मास्टर्स इन इन्टेल बिजनेस आईआईएफटी, दिल्ली	8	5	जी हां
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एयर इंडिया लि. (24 जनवरी, 2022 से प्रभावी) अध्यक्ष (24 जनवरी, 2022 को नियुक्ति और 25 जनवरी, 2022 को अध्यक्ष पद से पदमुक्त)	बीटेक एवं पीजीडीएम, आईएएस (यूटी:93)	8	1*	जी नहीं
श्री एस. के. मिश्रा प्रबंध निदेशक एआईएएचएल (11 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक प्रभावी) निदेशक (25 जनवरी, 2022 को नियुक्ति और 27 जनवरी, 2022 से निदेशक पद से पदमुक्त रहे)	एमटेक (एप्लाइड जियोलॉजी) एमए (सार्वजनिक नीति) आईआरएस (आईटी:1990)	8	1	जी नहीं

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्री विनोद हेजमाड़ी निदेशक– (वित्त) एयर इंडिया लि. (25 जनवरी, 2022 से निदेशक पद से पदमुक्त रहे)	बी. कॉम, एसीए	8	6	जी हां
श्रीमती मीनाक्षी मलिक, निदेशक (वाणिज्य), एयर इंडिया लि. (25 जनवरी, 2022 से निदेशक पद से पदमुक्त रहे)	साइंस में स्नातक एवं प्रबंधन (एमबीए) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	8	5	जी हां
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लि. 27 जनवरी, 2022 से प्रभावी अध्यक्ष (27 जनवरी, 2022 से अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति)	बीटेक एवं पीजीडीएम, आईएएस (यूटीः93)	8	2**	जी नहीं
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय (25 जनवरी, 2022 से निदेशक के पद से पदमुक्त एवं 11 फरवरी, 2022 से निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति)	बी.ई. मैकेनिकल	8	6	जी हां
श्री दीपक सजवान उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय निदेशक	स्नातकोत्तर	8	8	जी हां

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्रीमती उषा पाढी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (25 जनवरी, 2022 से निदेशक के पद पर नियुक्ति)	इंजीनियरिंग (सिविल) में स्नातक, विश्वेशवराया तकनीकी विश्वविद्यालय, कनार्टक, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्टरेशन (एमपीए), बिरमघम विश्वविद्यालय, यू.के.	8	3	जी नहीं

*एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री विक्रम देव दत्त ने पहली बैठक में भाग लिया।

**एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री विक्रम देव दत्त ने 2 बैठकों में भाग लिया

बोर्ड समितियों के निदेशक और सदस्यता

कंपनी के निदेशकों द्वारा गठित विभिन्न समितियों में निदेशक और सदस्यता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री राजीव बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एयर इंडिया लि. अध्यक्ष (21 जनवरी, 2022 से अध्यक्ष के पद से पदमुक्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एयर इंडिया लिमिटेड पार्ट–टाइम अध्यक्ष एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) एयर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल) होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) निदेशक एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड भारत यंत्र निगम लि.	एआईएल सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एआईएएसएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति, एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एयर इंडिया लि. (24 जनवरी, 2022 से प्रभावी) अध्यक्ष (24 जनवरी, 2022 को नियुक्ति और 25 जनवरी, 2022 से अध्यक्ष के पद से पदमुक्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया लि. 27 जनवरी, 2022 तक निदेशक पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	–

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री एस. के. मिश्रा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय एवं प्रबंध निदेशक, एआईएएचएल (दिनांक 11 जनवरी, 2022 से 27 जनवरी, 2022 तक) (दिनांक 25 जनवरी, 2022 में नियुक्ति एवं 27 जनवरी, 2022 से निदेशक के पद से पदमुक्त।)	निदेशक एयर इंडिया लिमिटेड 27.01.2022 तक एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. एआई एसैट्स होल्डिग लि. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 27.01.2022 तक	एआईएल अध्यक्ष नामित एवं पारिश्रमिक समिति कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति उड़ान संरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति चयन समिति शेयर आबंटन समिति एआईएएसएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति एआईईएसएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईएएचएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री विनोद हेजमाड़ी निदेशक– (वित्त) एयर इंडिया लि. निदेशक (25 जनवरी, 2022 से निदेशक पद से पदमुक्त)	निदेशक एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड 25.01.2022 तक एयर इंडिया लि. एआई एक्सप्रैस लि.(एआईएक्सएल) एआई सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) 31.12.2021 तक	एएएल अध्यक्ष एचआर समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति उड़ान संरक्षा समिति एआईएक्सएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा एवं वित्त समिति एचआर एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
		एआईएल अध्यक्ष लागत कटौती समिति सदस्य एचआर समिति कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता विकास समिति, शेयर आबंटन समिति उड़ान संरक्षा समिति एआईसैट्स अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
श्रीमती मीनाक्षी मलिक, निदेशक (वाणिज्य), एयर इंडिया लि. (14 जुलाई, 2020 में नियुक्ति और 25 जनवरी, 2022 से निदेशक पद से पदमुक्त)	निदेशक एयर इंडिया लि. (एआईएल) एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) 12.01.2022 तक	–
श्री प्रांजोल चन्द्रा* निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय (25 जनवरी, 2022 से निदेशक के पद से पदमुक्त एवं 11 फरवरी, 2022 से निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति)	निदेशक होटल कॉरेपोशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई)	एएएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 27 जनवरी, 2022 से प्रभावी अध्यक्ष (27 जनवरी, 2022 से अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति)	अध्यक्ष एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एएएसएल) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) एआई एसैट्स होल्डिग लि. निदेशक पोर्टब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लि.	एएएल अध्यक्ष एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति एएएसएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	समितियों में सदस्यता
		एआईईएसएल अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति, एआईएएचएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री दीपक सजवान उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचसीआई) एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (13 जनवरी, 2022 से 11 फरवरी 2022 तक)	एएएएल सदस्य लेखा परीक्षा समिति एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति एचसीआई सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्रीमती उषा पाढी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय (25 जनवरी, 2022 से निदेशक के पद पर नियुक्ति)	निदेशक रोहिणी हैलीपोर्ट लि. पवन हंस लि.	एएएएल अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति सदस्य एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति पवन हंस लि. सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

*श्री प्रांजोल चंद्रा 25 जनवरी 2022 से लेखापरीक्षा समिति और उड़ान संरक्षा समिति के अध्यक्ष पद से और एचआर समिति के सदस्य पद से पदमुक्त हुए।

4. आचार संहिता

निगमित प्रशासन पर सीपीएसई के लिए जारी डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा, रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5. लेखा परीक्षा समिति

निगमित प्रशासन प्रक्रिया के भाग के रूप में व कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई के मार्गदर्शन के अनुपालन के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) के दिनांक

31.12.2021 एवं 11.02.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निदेशक मंडल के पुनर्गठन के कारण, क्रमशः 11 फरवरी 2022 और 9 मार्च 2022 को आयोजित 173वीं एवं 174वीं बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

31 मार्च, 2022 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्रीमती उषा पाढी	अध्यक्ष
श्री विक्रम देव दत्त	सदस्य
श्री प्रांजोल चन्द्रा	सदस्य
श्री दीपक सजवान	सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- नियुक्ति, पारिश्रमिक और कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन व लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा व मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक व बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह तय करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।
- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करना।
- वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कम्पनी के लेन–देन का अनुमोदन या तदन्तर कोई संशोधन करना।
- अन्तर कारपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहां कहीं भी आवश्यक हो कम्पनी के उपक्रमों या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- पब्लिक ऑफर के माध्यम से एकत्र किए गए धन के अंतिम उपयोग की मॉनिटरिंग करना और संबंधित मामले।
- बोर्ड द्वारा वांछित अन्य मामलों पर विचार करना।

अन्य मुद्दों के साथ–साथ कम्पनी के वार्षिक लेखों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर तीन बैठकें आयोजित की गई।

14 जुलाई, 2021 (22वीं बैठक)

22 अक्तूबर, 2021 (23वीं बैठक)

17 फरवरी, 2022 (24वीं बैठक)

09 मार्च, 2022 (25वीं बैठक)

लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्यों के नाम	**बैठक में उपस्थिति की सं.**
श्री राजीव बंसल*	2
श्री प्रांजोल चन्द्रा**	3
श्री विनोद हेजमाड़ी**	2
श्री दीपक सजवान	4
श्रीमती उषा पाढी	2
श्री विक्रम देव दत्त	2

* 21 जनवरी, 2022 से स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से पदमुक्त।

** बोर्ड के पुनर्गठन के कारण, 25 जनवरी 2022 से श्री प्रांजोल चंद्रा अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के पद पर और श्री विनोद हेजमाड़ी 25 जनवरी 2022 से निदेशक/सदस्य के पद से पदमुक्त।

6. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक सामान्य बैठक

	बैठक की तिथि एवं समय	**स्थान**
36वीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 सितम्बर, 2019 को 1500 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001
असाधारण सामान्य बैठक	11 फरवरी, 2020 को दोपहर 1200 बजे	बोर्ड रूम, एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़, नई दिल्ली–110001
37वीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 दिसम्बर, 2020 को 1130 बजे	वीडियो कान्फ्रसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित
38वीं वार्षिक सामान्य बैठक	12 नवम्बर, 2021 को 1130 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
असाधारण सामान्य बैठक	27 जनवरी, 2022 को दोपहर 1200 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

7. प्रकटीकरण और सांविधिक अनुपालन

निदेशक के हित, संबंधित पार्टी लेनदेन, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं और समय–समय पर निदेशक मंडल के समक्ष निर्णय लेने के लिए रखे गए हैं, बोर्ड के साथ व्यवसाय को संभालने के लिए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल की स्पष्ट नीति और नामित अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ मायने रखता है। खुलासे, सूचना, आबंटन और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में फाइलिंग समयबद्ध तरीके से की गई है और कोई लंबित मामला नहीं है। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–2022 दोनों के लिए डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत आती है।

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–

(विक्रम देव दत्त)

अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 16 सितम्बर, 2022

आचार संहिता

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

हस्ता./-
(विनीत सूद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2022

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

हम **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला।

कम्पनी की लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे दूसरे रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी में, एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने एतद्धीन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया है एवं अनुपालन प्रणाली उस सीमा तक स्थापित है जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्ट में है:–

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध करवाए गए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों, फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमः

(ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम–**लागू नहीं**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत तैयार उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन तैयार नियम व विनियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार –**लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः –**लागू नहीं**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं संबंधी मदें) विनियम, 2018

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

(ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति को जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ व्यापार।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करना) विनियम, 2021

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुर्नखरीद) विनियम, 2018

(vi) अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग के लिए लागू) के तहत अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है, हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है।

(क) एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ख) कैरिज बाई एक्ट, 1972 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ग) एयरक्राफ्ट (खतरनाक माल की ढुलाई) नियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम

(घ) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं

(ड.) टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975

(च) एयरक्राफ्ट (सुरक्षा) एक्ट 2011

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(ज) पर्यावरण संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम।

(झ) एंटी–हाईजैकिंग एक्ट, 1982/1994

(ट) सुप्ररेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982

(ठ) उपदान अधिनियम एवं नियम, 1972

(ड) अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

(ढ) बोनस अधिनियम, 1965

(ण) मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान

(त) रोजगार कार्यालय अधिनियम

(थ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(द) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारत के कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015–**लागू नहीं।**

(iii) सीपीएसई के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा के तहत वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानको आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें आयोजित करने का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट विधिवत रुप से सात दिन पहले अग्रिम भेजे गए और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है।

असहमत सदस्यों के विचारों को बहुमत के निर्णय के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और यदि कोई हो तो उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्य नहीं थे।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट**
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी 2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 626/2019

हस्ता./–
सीएस पूनम
पार्टनर
एसीएस नं.: 37303
सीपी नं.: 24827
यूडीआईएनः A037303D000987703

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर, 2022

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **''अनुलग्नक क''** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

मेरी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा व निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय का उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/अवलोकन/कमियों को शामिल नहीं कर रही है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद है या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट**
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी 2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 626/2019

हस्ता./–
सीएस पूनम
पार्टनर
एसीएस नं.: 37303
सीपी नं.: 24827
यूडीआईएनः A037303D000987703

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर, 2022

वर्ष 2021–22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक रिटर्न से उद्धरण

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष

का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1	सीआईएन	यू51101डीएल1983जीओआई016518
2	पंजीकरण की तारीख	13/09/1983
3	कंपनी का नाम	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	'एलाइंस भवन' अन्तर्देशीय टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल–1, नई दिल्ली–110037
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं
7	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम) मुम्बई–400083.

II. **कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां** (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का%
1	यात्री, भोजन तथा माल के वहन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्व के सभी देशों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन करना ।	511	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण :

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएन	होल्डिंग/ सहायक/ संबंद्ध	शेयरों का %	लागू धारा
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, दूसरी मंजिल, एयर इंडिया, आरक्षण बिल्डिंग, सफरदजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110 003.	यू74999डीएल2018जीओआई328865	होल्डिंग	100%	2(46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न
(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा):

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2021 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2022 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	वर्ष के दौरान	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) वैयक्तिक/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय*	40,224,993	7	40,225,000	100	40,225,000	0	40,225,000	100	0.00
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता	**40,224,993**	**7**	**40,225,000**	**100**	**40,225,000**	**0**	**40,225,000**	**100**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) म्युचुअल फंड/ यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2021 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2022 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2021 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2022 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पदधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) हिंदु अविभाजित परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) क्लीयरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) विदेशी निकाय – डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (2):–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**40,224,993**	**7**	**40,225,000**	**100**	**40,225,000**	**0**	**40,225,000**	**100**	-

* बॉडी कॉर्पोरेट नामिती के माध्यम से 100% शेयर होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास है।

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1	अपने नामितियों सहित एयर इंडिया लिमिटेड	4,02,25,000	100	शून्य	-	-	-	100
2	अपने नामितियों सहित एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-	-	-	4,02,25,000	100	शून्य	100

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)

एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के परिणामस्वरूप, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड में एयर इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण शेयरधारिता को 25.01.2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया।

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**वर्ष के आरंभ में**				
	एयर इंडिया लिमिटेड	4,02,25,000	100		-
	वर्ष के अंत में				
	एयर इंडिया लिमिटेड			**शून्य**	**शून्य**
2.	वर्ष के आरंभ में				
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में				
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड			**4,02,25,000**	**100**

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न :
(निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा): लागू नहीं

क्र. सं.	पहले 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**लागू नहीं**				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिताः

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	शून्य				
	(नोटः इक्विटी शेयर केवल एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के नामितियों के पास हैं, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं)				

V. ऋणग्रस्तता– ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
	राशि भारतीय मुद्रा में	**राशि भारतीय मुद्रा में**	**राशि भारतीय मुद्रा में**	**राशि भारतीय मुद्रा में**
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	20,65,72,26,817.88	-	20,65,72,26,817.88
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**-**	**20,65,72,26,817.88**	**-**	**20,65,72,26,817.88**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-		-	
*जोड़	-	3,66,34,66,161.32	-	3,25,05,48,600.32
*कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	**-**	**3,66,34,66,161.32**	**-**	**3,25,05,48,600.32**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
i) मूल राशि	-	22,48,34,91,016.97	-	22,47,46,28,325.98
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	-	1,83,72,01,962.22	-	1,43,31,47,092.22
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**-**	**24,32,06,92,979.19**	**-**	**23,90,77,75,418.20**

*** पूर्व आंकड़े इंड एएस के अनुसार पुनः दिए गए हैं। पूर्वावधि मदों को संगत गत वर्ष में लिया गया है।**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक:

(अंकों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन	-	-	-	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-	-
	कुल (क)	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-	-	-	-	-

* वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी में सीईओ के अलावा कोई प्रबंधकीय, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं। केएमपी के तहत सीईओ का विवरण प्रदान किया गया है।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख) = (1+2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमा	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी		कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कुल
		श्रीमती हरप्रीत ए.डी. सिंह (01.04.2021 से 31.07.2021)	**श्री विनीत सूद (31.07.2021 से 31.03.2022)**	**श्रीमती शिल्पा भाटिया (14.01.2022 से 31.03.2022)**	**श्री अम्बर कुमार मंडल**	
1	सकल वेतन	10,65,699	27,44,887	3,69,703	17,10,000	58,90,289
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी		कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कुल
		श्रीमती हरप्रीत ए.डी. सिंह (01.04.2021 से 31.07.2021)	श्री विनीत सूद (31.07.2021 से 31.03.2022)	श्रीमती शिल्पा भाटिया (14.01.2022 से 31.03.2022)	श्री अम्बर कुमार मंडल	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-
	कुल	**10,65,699**	**27,44,887**	**3,69,703**	**17,10,000**	**58,90,289**

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाए गए कंपाउंडिंग जुर्माने का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी– शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशक– शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी– शून्य					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(विक्रम देव दत्त)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर, 2022

वर्ष 2021–22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक– ग

फॉर्म संख्या एओसी–2 (अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कतिपय आर्म लैंथ संव्यवहार शामिल हैं।

1. संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित व्यवस्था या संव्यवहार, नहीं किए गए हैं, जो कि आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं।

2. आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के अधीन कम्पनी द्वारा किए गए सभी संबंधित अनुबंध / व्यवस्था / संव्यवहार, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे। जिन्हें दिनांक 22 अक्तूबर 2021 को कंपनी द्वारा आयोजित 169वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल) के साथ उसके संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	लेन–देन की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि मिलियन रु. में
एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) (बहीखातों के अनुसार 20.01.2022 तक होल्डिंग कंपनी होने के नाते)	एयर इंडिया लि. से प्राप्त व्यय / सेवाएं	1 अप्रैल 2021 से 20 जनवरी 2022	एयर इंडिया लि. से प्राप्त व्यय / सेवाएं	
	1. हैंडलिंग			25.05
	2. एसओडी			4.61
	3. कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय			112.78
	4. निगमित गारंटी प्रभार			16.81
	5. एआईएल द्वारा प्रभारित ब्याज			1,433.15
	6. बीमा			9.57
	7. अन्य व्यय			6.03
	8. अमूर्त संपत्ति की खरीद			2.15
	कुल			**1610.15**
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) (21 जनवरी 2022 से होल्डिंग कंपनी होने के नाते)	**व्यय**			
	1. ब्याज	21 जनवरी, 2022 से 31 मार्च 2022	व्यय	404.05
	कुल			**404.05**
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) (12.01.2022 तक एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी तत्पश्चात् एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय** 1. मरम्मत अन्य 2. मानव शक्ति 3. ब्याज	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022	व्यय	499.22 50.81 134.59
	कुल			**684.62**

संबंधित पक्ष का नाम और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल) के साथ उसके संबंध की प्रकृति	**लेन–देन की प्रकृति**	**लेन–देन की अवधि**	**लेन–देन की मुख्य शर्तें**	**राशि मिलियन रु. में**
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) पूर्व में एअर इडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. के नाम से जानी जाती है। (13.01.2022 तक एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी तत्पश्चात् एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	व्यय	
	हैंडलिंग प्रभार			191.29
	ब्याज			70.18
	कुल			**261.47**
एयर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एयर इंडिया लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2021 से 20 जनवरी, 2022	व्यय	0.003
	इन्वेंटरी का स्थानांतरण			
	कुल			**0.003**
(एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि. (एयर इंडिया लि. का संयुक्त उद्यम)	**व्यय**	1 अप्रैल 2021–20 जनवरी 2022	व्यय	
	हैंडलिंग प्रभार			118.67
	कुल			**118.67**
भारतीय होटल निगम (11.01.2022 तक एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी तत्पश्चात् एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	व्यय	0.43
	होटल आवास			
	कुल			**0.43**

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(विक्रम देव दत्त)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर, 2022

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** की वर्ष 31 मार्च, 2022 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

i) गैर–चालू परिसंपत्ति

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – 20.78 करोड़ रु. {नोट 2 (क)}

वर्ष 2020–21 के दौरान, मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा से एयरो इंजन रोटेबल्स की खरीद के लिए 14.68 करोड़ रुपये (1,95,000 अमरीकी डॉलर) की राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत पूंजीकृत किया गया था। नए इंजन की कुल लागत 23.43 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष 2020–21 के दौरान इस नए इंजन को, दो पुराने इंजनों के प्रतिस्थापन में 14.68 करोड़ रुपये की अंतिम मूल्य पर खरीदा था। इसे 23.43 करोड रुपये की शुद्ध निपटान राशि के स्थान पर 14.68 करोड़ रुपये में बुक किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 8.13 करोड़ रुपए न्यूनोक्ति, अन्य इक्विटी में 8.55 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति एवं मूल्यह्रास में 0.42 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है, जिसके कारण चालू वर्ष के लिए हानि में 0.42 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति लेखांकित की गई है। इस मुद्दे पर वर्ष 2020–21 के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, किन्तु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता. /–
(दीपक कपूर)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितम्बर, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** की वर्ष 31 मार्च, 2022 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।	

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ **i) गैर चालू परिसंपत्ति** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण–20.78 करोड़ रु. {नोट 2 (क)}** वर्ष 2020–21 के दौरान, मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा से एयरो इंजन रोटेबल्स की खरीद के लिए 14.68 करोड़ रुपये (1,95,000 अमरीकी डॉलर) की राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत पूंजीकृत किया गया था। नए इंजन की कुल लागत 23.43 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष 2020–21 के दौरान इस नए इंजन को, दो पुराने इंजनों के प्रतिस्थापन में 14.68 करोड़ रुपये की अंतिम मूल्य पर खरीदा था। इसे 23.43 करोड रुपये की शुद्ध निपटान राशि के स्थान पर 14.68 करोड़ रुपये में बुक किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 8.13 करोड़ रुपए न्यूनोक्ति, अन्य इक्विटी में 8.55 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति एवं मूल्यह्रास में 0.42 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है, जिसके कारण चालू वर्ष के लिए हानि में 0.42 करोड रुपए की न्यूनोक्ति लेखांकित की गई है। इस मुद्दे पर वर्ष 2020–21 के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, किन्तु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	**क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ** **i) गैर चालू परिसंपत्ति** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण–20.78 करोड़ रु. {नोट 2 (क)}** कंपनी की नीति के अनुसार और लेखा मानकों के अनुसार, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत चालानों के आधार पर खरीदी गई किसी भी पूंजीगत वस्तु को लेखा पुस्तकों में लेखांकित किया जाना चाहिए। हमें मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा से इंजन नंबर ईडी–1881 की खरीद के लिए 1.95 मिलियन अमरीकी डालर के चालान प्राप्त हुए हैं। इस बात की सराहना की जा सकती है कि एयरलाइन उद्योग में बाजार की स्थिति और संबंधित विक्रेता को दिए गए वर्तमान/भविष्य के प्रतिबद्ध व्यवसाय के आधार पर कैटलॉग मूल्य और वास्तविक खरीद मूल्य में हमेशा व्यापक भिन्नता होती है। खरीद मूल्य दोनों पक्षों द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की गई वार्ता और अन्य भावी प्रतिबद्धताओं के आधार पर निकाला गया था। उक्त मामले में, मैसर्स प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा 1.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चालान उठाए गए हैं और नियमों के अनुसार, कंपनी ने निर्माता द्वारा उठाए गए चालान मूल्य पर इंजन के पूंजीकरण के लिए विचार किया है। जैसा कि पैरा में उल्लेख किया गया है, इंजन की अदला–बदली एक अलग घटना है और इसका इस खरीद से कोई सरोकार नहीं है। विचाराधीन इंजन क्रमांक सं. 121163 और 121261, एटीआर–42 विमान से संबंधित थे, जिसे मैसर्स एब्रिक से लीज़ पर लिया गया था। लीज़ समझौते के अनुसार, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद विमान लीज़कर्ता को वापस कर दिया जाएगा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, पुनर्वितरण की लागत बहुत अधिक मानी जाती थी, इसलिए, प्रबंधन ने विमान के पुनर्वितरण के बदले मुआवजे के लिए लीज़कर्ता के साथ बातचीत शुरू की। मुआवजे की राशि पर दोनों पक्षों द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुए विधिवत सहमति व्यक्त की गई थी कि विमान पहले ही अपने लाइफ सर्कल का उपभोग कर चुका है और भविष्य में प्रचालित नहीं किया जा सकता है। लीज़कर्ता को भुगतान की गई मुआवजे राशि को वर्ष 2015–16 में रि–डिलीवरी लागत के रूप में दर्ज किया गया था।

	विमान को स्क्रैप के रूप में कोलकाता में खड़ा किया गया था और बाद में, प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् इसे एमएसटीसी लिमिटेड को बेच दिया गया है। एलाइंस एअर के लेखा बहियों में इस विमान के लिए कोई मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है। प्रेट एंड व्हिटनी को इंजन की वापसी एलाइंस एअर द्वारा किया गया एक सौदा है जो उनके साथ कुल व्यावसायिक भागीदारी पर विचार कर रहा है और किसी विशेष घटना के लिए उल्लिखित नहीं है। सरकारी लेखापरीक्षक ने इंजन को 23.43 करोड रु. की लागत मूल्य पर बुक करने की सिफारिश की है।. लागत मूल्य विक्रेता द्वारा उठाए प्रस्तुत बीजक राशि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस मामले में चालान का मूल्य पी एंड डब्ल्यूसी (इंजन का ओईएम) द्वारा जारी 1.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और एएएएल ने इसे चालान मूल्य के आधार पर बुक किया है, जो आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार है। उपरोक्त के मद्देनजर, एलाइंस एअर द्वारा की गई कार्रवाई को लेखा नीति और दिशानिर्देशों को नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2022 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की **''वित्तीय विवरणियों के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों''** में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी

अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा रिकार्ड के समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग

प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणियां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणीयों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं

अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।

हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।

मामले का महत्व

निम्नलिखित नोट पर ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः

नोट सं. 42 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के कारण कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई।

वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कि SARS-CoV-2 (''कोविड–19'') महामारी के कारण कंपनी के प्रचालन और परिणाम पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में बताते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

अन्य मामलों संबंधी पैरा

कार्गो कमीशन के शून्य मिलियन रुपए (पिछले वर्षः शून्य मिलियन रुपए) यात्री कमीशन के 44.73 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 40.65 मिलियन रुपए), पीजीपी को एमएसएफ कमीशन के 18.96 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 18.06 मिलियन रुपए), क्रेडिट कार्ड पर बैंक शुल्क के 58.46 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 16.83 मिलियन रुपए) को एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर व आउटसोर्स एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर लेखांकित किया गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में शामिल है कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त किया था (इसे यहां आगे 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' कहा जाएगा), और निदेशक की रिपोर्ट में शामिल सूचनाओं में अनुबंध, प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण (जिसे यहां आगे 'अन्य रिपोर्ट' कहा जाएगा) शामिल है। अन्य रिपोर्टों के, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के पश्चात्, प्राप्त होने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है।

लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की गई, यदि अन्य सूचना पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

दूसरी रिपोर्ट पढ़ते समय यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया हैं।

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और ''**अनुलग्नक ''ख'',** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. (क) अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

   (ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है।

   (ग) कंपनी का कोई भी शाखा कार्यालय नहीं है जो बही खातों का रखरखाव करता है इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।

   (घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता के साथ अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है।

   (च) हमें वित्तीय लेनदेन या कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी मामले पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

   (छ) 31 मार्च, 2022 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2022 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ज) हमारे पास बही खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

(झ) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(ट) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

क. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2022 तक लंबित लिटिगेशन के प्रभाव का प्रकटन अपने वित्तीय विवरणों में किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 30 का संदर्भ लें।

ख. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो इसलिए कंपनी ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

ग. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

घ. (i) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस शपथ के साथ, लिखित रूप में रिकार्ड की गई या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ (''मध्यस्थ'') को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के रूप में) के रूप में प्रदान नहीं की गई है कि मध्यस्थः

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में, चिहि्न्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश।
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करें या प्रदान किए जाने की संभावना।

(ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियां') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, चाहे लिखित रूप में लेखांकित या अन्यथा, इस संज्ञान के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, कि कंपनीः

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (''अंतिम लाभार्थी'')
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना; तथा

(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (घ) (i) और (घ) (ii) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

ड. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है; इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता. / –
(वी.बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक क''

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के खातों पर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में।

(i) (क) (क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं जिसमें परिमाणात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्थिति शामिल है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्विवार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वास्तविक सत्यापन करती है। वर्ष के दौरान दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर वास्तविक सत्यापन किया गया था, जहां गैर–महत्वपूर्ण प्रकृति की कुछ विसंगतियां पाई गईं थीं और उन्हें लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(i)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति संयंत्र और उपस्कर (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन कंपनी द्वारा इस अवधि के दौरान नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ड.) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दरसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया द्विवार्षिक आधार पर निष्पादित की जाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में दरसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया, जिसमें 52.22 मिलियन रुपये की कमी और 5.22 मिलियन रुपये का अतिरेक पाया गया था। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के लंबित होने के कारण, वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं. 32 (ख) में संदर्भित अनुसार लेखा बहियों में उक्त कमियों के लिए 15.86 मिलियन रुपए के मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त 31.13 मिलियन रूपए का निवल प्रावधान किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित रूप में कोई निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, खंड 3(iii)(क) से (छ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(vi) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) (क) लेखा बहियों की हमारी जांच तथा कंपनी के रिकार्डों के आधार पर हमने अवलोकन किया है कि कंपनी ने भविष्य निधि और टीडीएस को छोड़कर, माल और सेवाकर, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकरणों के पास अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं की राशि को नियमित रूप से जमा कराया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने अप्रैल से अगस्त तक भविष्य निधि की बकाया राशि जमा करने में अनियमितता की थी जिसे बाद में उपयुक्त प्राधिकरणों के पास ब्याज सहित जमा किया गया।

स्रोत पर कर कटौती नियमित रूप से जमा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2022 तक धारा 192 के तहत स्रोत पर कर कटौती सितंबर महीने के 12.92 मिलियन रुपये की राशि 6 महीने से अधिक समय से बकाया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण कोई वैधानिक देय राशि लंबित नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(vii)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन–देन निष्पादित या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में लेखा बहियों में आय के रूप में लेखांकिन न किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी की बहियों में, दिनांक 31 मार्च 2022 को, होल्डिंग कंपनी (मैसर्स एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) से अल्पकालिक उधार के रूप में 23345.28 मिलियन रुपये की राशि दर्शाई गई है। यह राशि एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद एआईएएचएल को स्थानांतरित की गई थी। बकाया देयों पर ब्याज को प्रभारित करने के लिए डीईए से निर्णय के लंबित होने के कारण, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने औसत बकाया राशि पर परिकलित प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का निर्णय किया है।

562.5 मिलियन रुपये की एक अन्य राशि भी अल्पकालिक ऋण के रूप में प्रदर्शित की गई है। एआईएएचएल के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार यह राशि, एआईएएचएल से प्राप्त हुई है, जिस पर 1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है। पुनर्भुगतान नियम और शर्तें के लंबित होने के कारण, इस अग्रिम को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेखांकित किया गया है।

चूँकि, दोनों ऋणों के लिए पुनर्भुगतान का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में इस खंड पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और बही खातों की पुस्तकों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई सावधिक ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के खातों की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति या उसे पूरा करने के लिए इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व से कोई धन नहीं लिया है इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड.) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच, और कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनियां में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xi)(च) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(x) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 और 188 के अनुपालन में किए गए है, और प्रचलित भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित, संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) लागू नहीं होते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।

(घ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(घ) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
कर पश्चात् निवल लाभ एवं पूर्व अन्य व्यापक आय	(4477.63)	(3600.94)
जोड़ः गैर–नकद व्यय		
मूल्यह्रास एवं परिशोधनः	2410.11	2407.79
विदेशी मुद्रा पर अप्राप्य लाभ / हानिः	(174.36)	(105.01)
वर्ष के दौरान नकद हानि	**(2241.88)**	**(1298.16)**

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, आयु अवधि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, भारत सरकार द्वारा समर्थित निदेशक मंडल और प्रबंधन संबंधी हमारे ज्ञान, का अनुमानों के निर्धारण हेतु सहायक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो

कि तुलन पत्र की तारीख को कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे पता चले कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी आने वाली अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी लाभप्रदत्ता को कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब कभी वे देय होंगी।

(xx) (क) कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए, धारा–135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3 (xx)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी द्वारा लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणियों के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लि.** के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एयर इंडिया लि. (एआईएल) एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	कोई नहीं
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइटऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि एक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	कोई नहीं

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	आर्थिक प्रभाव
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है।	कोई नहीं

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएन: 22073124AMWIMD4044

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2022

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी के यू/एस 143(5) के निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) के खातों का ऑडिट किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2022

एलाइंस एअर एविएशन लि. की वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 3 (च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग''

कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

मत

हमने 31 मार्च, 2022 के एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइटेंस नोट) तथा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकांउडेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व

निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे।

हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–ः

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है।
2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।
3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय

रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता./–
(वी.बी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2022

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट **मत** हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'')** के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 तक की अवधि का तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाते का विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश सहित और अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है। हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2022 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।	
मत का आधार हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की ''वित्तीय विवरणियों के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों'' में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त हैं। **इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी** अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति वित्तीय निष्पादन,	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
अन्य ,व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है। जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा रिकार्ड के समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो। वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोईंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोईंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं। **इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी** हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणियां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें। एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भीः	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
• वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है। • लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना। • प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोईंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोईंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोईंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।	
• प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं। हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।	
मामले का महत्व निम्नलिखित नोट पर ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः क. नोट सं. 42 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कर्सन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निरंतर संचित हानि के कारण कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गई।	नोट सं. 42 के संदर्भ में उपयुक्त प्रकटन किए गए हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के पश्चात् कम्पनी अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है जिसे अपना प्रचालन जारी रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। एलाइंस एअर टर्नअराउंड की स्थिति के समीप है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय सम्पर्क योजना का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने के लिए तैयार है। कोविड–19 के बाद, नवंबर 2021 से, एएएएल रिकवरी की राह पर है और ईबीआईटी एक सकारात्मक रुझान दिखाता है। एलाइंस एअर इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने और उसके बाद लाभ को और मजबूत करने की राह पर है। आने वाले वित्तीय वर्ष में एलाइंस एअर दो डोर्नियर और दो एटीआर 42 विमानों को शामिल कर अपने विमानों के बेड़े का विस्तार करेगी। एलाइंस एअर ने अप्रैल 2022 से अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हवाई क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र के साथ हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए पहले ही सफल प्रचालन आरंभ कर दिया है।
ख. वित्तीय विवरणों के नोट सं. 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कि SARS-CoV-2 (''कोविड–19'') महामारी के कारण कंपनी के प्रचालन और परिणाम पर प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में बताते हैं। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।	संदर्भ नोट नं. 54, उपयुक्त प्रकटीकरण किया गया है। कोविड–19 के कारण 2020–21 के दौरान लगाए गए उड़ान प्रचालन में प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ढील दी गई थी, लेकिन मई 2021 से अगस्त 2021 तक देश में दूसरी लहर और उसके बाद जनवरी 2022 में महामारी की तीसरी लहर के कारण, लक्षित कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
	इसके बावजूद, प्रचालन राजस्व वर्ष 2020–21 की तुलना में 453.54 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 717.53 करोड़ रुपये (लगभग 58.21% की वृद्धि) हो गया। कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो प्राप्तियों की वहन राशि पर कोविड–19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित, सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी ने उपयोग किए गए अनुमानों पर संवेदनशील विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर उम्मीद है कि इन परिसंपत्तियों की वहन राशि वसूल की जाएगी।
अन्य मामलों संबंधी पैरा कार्गो कमीशन के शून्य मिलियन रुपए (पिछले वर्षः शून्य मिलियन रुपए) यात्री कमीशन के 44.73 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 40.65 मिलियन रुपए), पीजीपी को एमएसएफ कमीशन के 18.96 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 18.06 मिलियन रुपए), क्रेडिट कार्ड पर बैंक शुल्क के 58.46 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 16.83 मिलियन रुपए) को एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर व आउटसोर्स एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर लेखांकित किया गया है। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।	नोट सं. 37 घ (iv) में उपयुक्त प्रकटन किया गया है। इस राशि को एआई और एएएल के बीच मौजूदा एमएसए के अनुसार लेखांकित किया गया है। 15 अप्रैल 2022 से एएएल अपने स्वयं के पीएसएस प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है। नई पीएसएस प्रणाली को राजस्व लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, इसलिए, वित्त वर्ष 2022–23 में सभी लेखांकन निश्चित समय सीमा के आधार पर होंगे।
इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में शामिल है कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त किया था (इसे यहां आगे 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' कहा जाएगा), और निदेशक की रिपोर्ट में शामिल सूचनाओं में अनुबंध, प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण (जिसे यहां आगे 'अन्य रिपोर्ट' कहा जाएगा) शामिल है। अन्य रिपोर्टों के, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के पश्चात्, प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल रही है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है। लेखा परीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की गई, यदि अन्य सूचना पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है और हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।	
अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट 1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार, भारत द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक "क"** में दिया गया है।	
2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और "**अनुलग्नक "ख",** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं। 3. (क) अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि : (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों। (ख) हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है। (ग) कंपनी का कोई भी शाखा कार्यालय नहीं है जो बही खातों का रखरखाव करता है इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
(घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता (के साथ अन्य व्यापक आय) और नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ खाता की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं। (ड.) हमारे मतानुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणियां कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार है। (च) हमें वित्तीय लेनदेन या कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी मामले पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। (छ) 31 मार्च, 2022 तक निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2022 को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। (ज) हमारे पास बही खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। (झ) कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें। (ट) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड के साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	
(ख) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। क. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2022 तक लंबित लिटिगेशन के प्रभाव का प्रकटन अपने वित्तीय विवरणों में किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 30 का संदर्भ लें।	

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
ख. कम्पनी ने डैरिवेटिव संविदा सहित, दीर्घावधि संविदा नहीं की जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो इसलिए कंपनी ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। ग. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था। घ.(i) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस शपथ के साथ, लिखित रूप में रिकार्ड की गई या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ (''मध्यस्थ'') को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के रूप में) के रूप में प्रदान नहीं की गई है कि मध्यस्थः • कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में, चिह्न्ति अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश या • अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करें या प्रदान किए जाने की संभावना। (ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियां') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, चाहे लिखित रूप में लेखांकित या अन्यथा, इस संज्ञान के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, कि कंपनीः • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (''अंतिम लाभार्थी'') • अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना; तथा (iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (घ) (i) और (घ) (ii) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है। ड. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है; इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क'' पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के खातों पर एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में।	
(क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं जिसमें परिमाणात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्थिति शामिल है।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	यह कथन सही है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्विवार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन करती है। वर्ष के दौरान दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर वास्तविक सत्यापन किया गया था, जहां गैर–महत्वपूर्ण प्रकृति की कुछ विसंगतियां पाई गईं थीं और उन्हें लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 32 (क) में दिए गए हैं।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(i)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति संयंत्र और उपस्कर (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन कंपनी द्वारा इस अवधि के दौरान नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ड.) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दरसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया द्विवार्षिक आधार पर निष्पादित की जाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में दरसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया, जिसमें 52.22 मिलियन रुपये की कमी और 5.22 मिलियन रुपये का अतिरेक पाया गया था। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के लंबित होने के कारण, वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं. 32 (ख) में संदर्भित अनुसार लेखा बहियों में उक्त कमियों के लिए 15.86 मिलियन रुपए के मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त 31.13 मिलियन रुपए का निवल प्रावधान किया गया है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 32 (ख) में दिए गए हैं।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित रूप में कोई निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, खंड 3(iii)(क) से (छ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(v) अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(vi) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(vi) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
(vii) (क) लेखा बहियों की हमारी जांच तथा कंपनी के रिकार्डो के आधार पर हमने अवलोकन किया है कि कंपनी ने भविष्य निधि और टीडीएस को छोड़कर, माल और सेवाकर, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकरणों के पास अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं की राशि को नियमित रूप से जमा कराया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अप्रैल से अगस्त तक भविष्य निधि की बकाया राशि जमा करने में अनियमितता की थी जिसे बाद में उपयुक्त प्राधिकरणों के पास ब्याज सहित जमा किया गया। स्रोत पर कर कटौती नियमित रूप से जमा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2022 तक धारा 192 के तहत स्रोत पर कर कटौती सितंबर महीने के 12.92 मिलियन रुपये की राशि 6 महीने से अधिक समय से बकाया है।	यह कथन सही है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण कोई वैधानिक देय राशि लंबित नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(vii)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन–देन निष्पादित या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में लेखा बहियों में आय के रूप में लेखांकित न किया गया हो।	यह कथन सही है।
(ix)(क) कंपनी की बहियों में, दिनांक 31 मार्च 2022 को, होल्डिंग कंपनी (मैसर्स एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) से अल्पकालिक उधार के रूप में 23345.28 मिलियन रुपये की राशि दर्शाई गई है। यह राशि एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद एआईएएचएल को स्थानांतरित की गई थी। बकाया देयों पर ब्याज को प्रभारित करने के लिए डीईए से निर्णय के लंबित होने के कारण, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने औसत बकाया राशि पर परिकलित प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का निर्णय किया है।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
562.5 मिलियन रुपये की एक अन्य राशि भी अल्पकालिक ऋण के रूप में प्रदर्शित की गई है। एआईएएचएल के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार यह राशि, एआईएएचएल से प्राप्त हुई है, जिस पर 1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है। पुनर्भुगतान नियम और शर्तें के लंबित होने के कारण, इस अग्रिम को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेखांकित किया गया है। चूँकि, दोनों ऋणों के लिए पुनर्भुगतान का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के मामले में इस खंड पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और बही खातों की पुस्तकों और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।	यह कथन सही है।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई सावधिक ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के खातों की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति या उसे पूरा करने के लिए इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व से कोई धन नहीं लिया है इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड.) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच, और कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनियां में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(च) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
(x)(क)कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। (ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है। यह कथन सही है।
(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या अधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। (ख) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के लिए और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। (ग) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है। यह कथन सही है। यह कथन सही है।
(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xiii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 और 188 के अनुपालन में किए गए है, और प्रचलित भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित, संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।	यह कथन सही है। समुचित प्रकटन नोट सं. 37 में दिए गए हैं।

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षा अवलोकन</th><th>प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>(xiv)(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।
(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(xvi)(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होते हैं।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(ख) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) लागू नहीं होते हैं।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(घ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(घ) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।</td><td>यह कथन सही है।</td></tr>
<tr><td>(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:
<table><tr><th>विवरण</th><th>चालू वर्ष</th><th>पिछले वर्ष</th></tr><tr><td>कर पश्चात् निवल लाभ एवं पूर्व अन्य व्यापक आय</td><td>(4477.63)</td><td>(3600.94)</td></tr><tr><td>जोड़: गैर–नकद व्यय</td><td></td><td></td></tr><tr><td>मूल्यह्रास एवं परिशोधन:</td><td>2410.11</td><td>2407.79</td></tr><tr><td>विदेशी मुद्रा पर अप्राप्य लाभ/हानि:</td><td>(174.36)</td><td>(105.01)</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान नकद हानि</td><td>(2241.88)</td><td>(1298.16)</td></tr></table></td><td>यह कथन सही है।

वर्ष के दौरान कंपनी अपनी देनदारी को पूरा करने में सक्षम रही है, हालांकि, इंड एएस 116 के अनुसार 3172.19 मिलियन रुपए की कुल राशि में से वित्त लागत के कारण लीज देनदारी और बकाया राशि पर होल्डिंग और संबंधित कंपनियों द्वारा लगाए गए ब्याज के कारण कंपनी ने 2895.44 मिलियन रुपए खर्च किए हैं।</td></tr>
</table>

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।	यह कथन सही है।
(xix)हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, आयु अवधि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, भारत सरकार द्वारा समर्थित निदेशक मंडल और प्रबंधन संबंधी हमारे ज्ञान, का अनुमानों के निर्धारण हेतु सहायक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो कि तुलन पत्र की तारीख को कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे पता चले कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी आने वाली अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।	यह कथन सही है।
तथापि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी लाभप्रदत्ता को कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब कभी वे देय होंगी।	एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के पश्चात् कम्पनी अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है जिसे अपना प्रचालन जारी रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।
(xx)(क) कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए, धारा–135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3 (xx)(क) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी द्वारा लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3 (xx)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ख'' पर प्रबंधन के उत्तर

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणियों के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	प्रबंधन के उत्तर	आर्थिक प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। तथापि कंपनी एआईएल के माध्यम से यात्री, कार्गो, सामान और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा प्रोसेसिंग के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है क्योंकि एयर इंडिया लि. (एआईएल) एआईएल की प्रणाली का उपयोग बुकिंग आदि के लिए किया गया है, जो कंपनी के आईटी सिस्टम से बाहर है। उपलब्ध रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, मूल कंपनी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा की संपूर्णता, प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन कर रही है।	यह कथन सही है। सभी लेखांकन प्रविष्टियां वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल एसएपी के माध्यम से की जाती है। इनवेंटरी और राजस्व लेखांकन में एसएपी वित्तीय मॉड्यूल के साथ इंटरफेस है। 15 अप्रैल 2022 से एएएल अपने स्वयं के पीएसएस सिस्टम में स्थानांतरित हो गया है। नई पीएसएस प्रणाली को राजस्व लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, इसलिए, वित्त वर्ष 2022–23 में सभी लेखांकन निश्चित समय सीमा के आधार पर होंगे।	कोई नहीं
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइट ऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि एक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	लागू नहीं मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है।	यह कथन सही है।	कोई नहीं

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	प्रबंधन के उत्तर	आर्थिक प्रभाव
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका लेखा–जोखा किताबों में समुचित रूप से रखा गया है।	यह कथन सही है।	कोई नहीं

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ग'' पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
एलाइंस एअर एविएशन लि. की वित्तीय विवरणियों पर हमारी रिपोर्ट में ''अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत पैरा 3 (च) में संदर्भित अनुलग्नक ''ग'' **कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**	
मत हमने 31 मार्च, 2022 के एलाइंस एअर एविएशन लि. (''कम्पनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है। हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया।	
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (गाइडेंस नोट) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे। हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण दोष मौजूद होने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	
वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु तैयार वित्तीय विवरणियों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो—:	

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाती है। 2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं। 3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।	यह कथन सही है। यह कथन सही है। यह कथन सही है।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ पर वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।	

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

		विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को मिलियन रुपये में	31 मार्च, 2021 को मिलियन रुपये में
		परिसम्पत्तियां			
		गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
1	क)	सम्पत्ति, संयत्र और उपस्कर	2(क)	**207.80**	225.94
	ख)	राइट ऑफ यूज़ परिसम्पत्तियां	2(ख)	**19,673.86**	22,055.70
	ग)	अमूर्त परिसम्पत्तियां	2(ग)	**25.80**	-
	घ)	वित्तीय परिसम्पत्तियां			
		क) व्यापार प्राप्य		**-**	-
		ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3	**847.65**	159.56
	ड़)	आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	4	**387.72**	498.03
	च)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**-**	-
	छ)	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	5	**4,434.94**	3,583.86
2		**चालू परिसम्पत्तियां**			
	क)	इनवेंटरी	6	**284.68**	291.55
	ख)	वित्तीय परिसम्पत्तियां		**-**	-
		i) व्यापार प्राप्य	7	**805.13**	636.60
		ii) नकद और नकद समकक्ष	8	**145.04**	36.87
		iii) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा	9	**867.90**	914.03
		iv) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10	**108.90**	116.77
	ग)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	11	**260.93**	267.20
		कुल परिसम्पत्तियां		**28,050.35**	**28,786.11**
		इक्विटी और देयताएं			
1		**इक्विटी**			
	क)	इक्विटी शेयर पूंजी	12	**4,022.50**	4,022.50
	ख)	अन्य इक्विटी	13	**(35,008.02)**	(30,534.10)
		देयताएं			
	(i)	**गैर चालू देयताएं**			
	क)	वित्तीय देयताएं			
		i) उधार		**-**	-
		i क) लीज़ देयताएं	14	**19,856.31**	21,954.42
		ii) व्यापार देयताएं			
		क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**-**	
		ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		**-**	
		iii) अन्य वित्तीय देयताएं			
		ख) प्रावधान	15	**677.33**	639.57
		ग) आस्थगित कर देयताएं निवल		**-**	-
		घ) अन्य गैर चालू देयताएं		**-**	-
		ii) **चालू देयताएं**			
		क) वित्तीय देयताएं			
		i) उधार	16	**23,907.78**	20,656.16
		iक) लीज़ देयताएं	17	**2,608.93**	2,252.96
		ii) व्यापार देयताएं	18		
		क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**2.41**	4.89
		ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		**11,100.56**	9,136.75
		iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	**545.83**	461.57
		ख) प्रावधान	20	**4.34**	3.82
		ग) अन्य चालू देयताएं	21	**332.38**	187.57
		कुल इक्विटी एवं देयताएं		**28,050.35**	**28,786.11**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएनः 02055541

हस्ता/–
उषा पाढी
नामित निदेशक
डीआईएनः 03348716

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरणी

	विवरण	नोट सं.	2021–22 की अवधि हेतु राशि	2020–21 की अवधि हेतु राशि
			मिलियन रुपये में	मिलियन रुपये में
I.	**राजस्व**			
1	प्रचालन से	**22**		
	i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		**4,283.90**	2,535.79
	ii) गैर अनुसूचित यातायात सेवाएं		**2,862.82**	1,988.29
	iii) अन्य प्रचालन राजस्व		**28.57**	11.31
2	अन्य आय	**23**	**65.81**	56.88
II	**कुल राजस्व (1+2)**		**7,241.10**	**4,592.27**
III	**व्यय**			
	विमान ईंधन एवं तेल		**1,697.29**	787.96
	अन्य प्रचालन व्यय	**24**	**3,037.01**	2,064.21
	स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		**-**	-
	तैयार माल की इनवेंटरी में, कार्य प्रगति पर और स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन		**-**	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	**25**	**1,262.41**	1,148.98
	वित्तीय लागत	**26**	**3,172.19**	1,406.95
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**2(क से ग)**	**2,410.11**	2,407.79
	अन्य व्यय	**27**	**126.42**	377.32
IV	**कुल व्यय**		**11,705.43**	**8,193.21**
V	**असाधारण मदों पूर्व लाभ/(हानि) और कर (II-IV)**		**(4,464.33)**	**(3,600.94)**
VI	**असाधारण मदें**		**-**	**-**
VII	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(4,464.33)**	**(3,600.94)**
VIII	**कर व्ययः**			
1	चालू कर		**-**	-
2	पूर्व वर्ष में आयकर		**13.30**	-
3	आस्थगित कर		**-**	-
IX	**वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(4,477.63)**	**(3,600.94)**
X	अन्य व्यापक आय			
	क. मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	–पारिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन		**3.71**	1.62
XI	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है।)		**(4,473.92)**	**(3,599.32)**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय (रु. में)	**28**		
	(1) मूल		**(111.31)**	(89.52)
	(2) डायल्यूटिड		**(111.31)**	(89.52)

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएनः 02055541

हस्ता/–
उषा पाढी
नामित निदेशक
डीआईएनः 03348716

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

(राशि मिलियन रु. में)

क) इक्विटी शेयर पूंजी				
01.04.2021 को शेष	पूर्वावधि शेयर में त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 को पुनः घोषित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को शेष
4,022,50	-	4,022,50	-	4,022,50

01.04.2020 को शेष	पूर्वावधि शेयर में त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनः घोषित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 को शेष
4,022,50		4,022,50		4,022,50

(राशि मिलियन रु. में)

ख)(1.) अन्य इक्विटी (चालू वर्ष)			
विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2021 को शेष	(30,539.26)	5.16	(30,534.10)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(4,477.63)	-	(4,477.63)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	3.71	3.71
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय	**(35,016.89)**	**8.87**	**(35,008.02)**
31.03.2022 को शेष	**(35,016.89)**	**8.87**	**(35,008.02)**

ख)(2.) अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष) (राशि मिलियन रु. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2020 को शेष	(26,938.32)	3.54	(26,934.78)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(3,600.94)	-	(3,600.94)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	1.62	1.62
कुल व्यापक आय	**(30,539.26)**	**5.16**	**(30,534.10)**
31.03.2021 को शेष	**(30,539.26)**	**5.16**	**(30,534.10)**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएनः 02055541

हस्ता/–
उषा पाढी
नामित निदेशक
डीआईएनः 03348716

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

	विवरण	राशि मिलियन रु. में 2021–2022		राशि मिलियन रु. में 2020–2021	
(क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लाभ–हानि विवरणी के अनुसार कर से पूर्व निवल लाभ और हानि		**(4,464.33)**		**(3,600.94)**
	जमा/(घटा) – गैर प्रचालन के लिए समायोजन व्यय/आय और गैर नगद मदें				
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**2,410.11**		2,407.79	
	प्रावधान/गैर दावा देयताएं–रिटन बैक	**(0.16)**		(1.58)	
	इंड एएस 116 के अनुसार ब्याज वित्तीय लागत व लीज़ पर विनिमय अंतर	**820.48**		(634.46)	
	ब्याज और वित्तीय लागत	**21.52**		9.60	
	जमा पर ब्याज आय	**(42.04)**		(55.30)	
	आयकर के लिए प्रावधान	**-**		-	
	अप्राप्य विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानि	**(174.36)**		(105.01)	
	बट्टे खाते वसूली	**(1.19)**		-	
	परिसम्पत्ति के निपटान पर हानि/लाभ	**0.01**		-	
	आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	**(23.61)**		-	
	हिस्से पूर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	**34.83**		(19.82)	
			3,045.59		**1,601.22**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)		**(1,418.74)**		**(1,999.72)**
	प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
	अन्य बैंक शेष	**46.14**		94.07	
	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	**(851.08)**		(479.77)	
	इनवेंटरी	**(27.97)**		25.25	
	व्यापार प्राप्य	**(167.33)**		150.95	
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**7.87**		72.44	
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां गैर चालू	**(688.10)**		117.98	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	**6.26**		(92.55)	
			(1,674.21)		**(111.62)**
	प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन				
	व्यापार देय	**2,135.32**		822.55	
	अन्य चालू देयताएं	**144.81**		(84.97)	
	लघु अवधि ऋण	**3,251.61**		3,545.08	
	लघु अवधि प्रावधान	**0.52**		1.70	
	अन्य वित्तीय देयताएं	**84.26**		(42.35)	
	दीर्घावधि प्रावधान	**12.16**	**5,628.68**	18.71	**4,260.73**
	प्रचालन से प्राप्त नकद		**2,535.73**		**2,149.38**
	घटाकरः टीडीएस सहित/(रिफंडेड) अदा किया गया आयकर		120.63		(100.76)
	प्रचालन गतिविधियों (क) से निवल नकद		**2,656.36**		**2,048.63**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
क)	स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	**(35.59)**		(160.14)	
ख)	जमा पर ब्याज आय	**42.04**		55.30	
ग)	स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	**0.19**		**-**	
	निवेश गतिविधियों (ख) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**6.64**		**(104.84)**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
क)	चालू देयता का इक्विटी में रुपांतरण	-		-	
ख)	लीज़ भुगतान	**(2,533.31)**		(2,193.07)	
ग)	ब्याज भुगतान	**(21.52)**	**(2,554.83)**	(9.60)	**(2,202.67)**
	वित्तीय गतिविधियों (ग) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद				
(घ)	**नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(हानि) (क+ख+ग)**		**108.17**		**(258.88)**

	विवरण	राशि मिलियन रु. में 2021–2022		राशि मिलियन रु. में 2020–2021	
(ड़)	**वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष**		**36.87**		**295.75**
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**145.04**		**36.87**

टिप्पणीः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर इंडएएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई है।

पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

विवरण	राशि मिलियन रु. में 2021–2022	राशि मिलियन रु. में 2020–2021
नगद और नगद समकक्ष शामिल		
बैंक में शेष		
चालू खाते में	**145.04**	36.86
हाथ में रोकड़	-	0.01
अंत शेष	**145.04**	**36.87**

टिप्पणीः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी ''नकदी प्रवाह विवरणी'' पर इंड एएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई है।

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएनः 02055541

हस्ता/–
उषा पाढी
नामित निदेशक
डीआईएनः 03348716

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2022

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के इंड एएस वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां

नोट सं. 1 महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश

इस नोट में, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची दी गई है। यह नीतियां प्रस्तुत सभी वर्षों में निरन्तर लागू की गई है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। जब तक अन्यथा न कहा गया हो लेखों के सभी आकड़े रुपए (मिलियन) में हैं।

1. कंपनी सूचना/ओवरव्यू :

पृष्ठभूमिः

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) कंपनी अधिनियम, 1956 अब पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत पंजीकृत भारत सरकार की कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कम्पनी वायु परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। कंपनी मुख्य रूप से भारत में टायर–2 और टायर–3 शहरों के बीच प्रचालन करती है। वर्ष के अंत में, कंपनी के विमान बेड़े में, 18 एटीआर 72–600 विमान हैं।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलाइंस भवन, अंतरदेशीय टर्मिनल–1, आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली –110037 पर स्थित है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय विवरणियों को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिनांक 14 जुलाई, 2022 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

2. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

(i) अनुपालन संबंधी कथन :

कंपनी के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों इंड एएस व निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2015 को जारी अधिसूचना के तहत जारी नियमों के साथ पठित के अनुसार व कंपनी अधिसूचना (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ लागू कानूनों के तहत संशोधनों व जारी अधिनियम सहित तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांत व अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणियों गोइंग कंर्सन आधार पर लेखांकन की अक्रूअल प्रणाली आधार पर तैयार की जाती है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरणियों को दिनांक 14 जुलाई, 2022 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

(ii) मापन के आधार :

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर आंका जाता है, को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर मूल लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं।

(iii) हाल की घोषणाएं :

निगमित कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने 1 अप्रैल, 2022 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया हैः

इंड एएस 16 – इच्छित उपयोग से प्राप्ति

संशोधन मुख्य रूप से एक इकाई को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, उत्पादित वस्तुओं को बेचने से प्राप्त राशि में कटौती करने से रोकते हैं, जबकि कंपनी अपने इच्छित उपयोग के लिए संपत्ति तैयार कर रही है। इसके बजाय, एक प्रतिष्ठान ऐसी बिक्री प्राप्ति और संबंधित लागतों को लाभ या हानि में मान्यता देगा। कंपनी को यह उम्मीद है कि इन संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों में उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इंड एएस 37 – एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में 'लागतें जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं' शामिल हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है और कंपनी को यह उम्मीद है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा

इंड एएस 109 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई में कौन सी फीस शामिल है जब यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है या नहीं, यह आकलन करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का '10 प्रतिशत' परीक्षण लागू करता है। कंपनी को उम्मीद है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इंड एएस 116 – इंड एएस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन लीज़ प्रोत्साहनों के निर्वाह के संबंध में किसी भी संभावित भ्रम को हल करने के लिए लीज़कर्ता द्वारा लीजहोल्ड सुधारों की प्रतिपूर्ति के वर्णन को हटा देता है, जो कि उस दृष्टांत में लीज़ प्रोत्साहनों का वर्णन करने के तरीके के कारण उत्पन्न हो सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध वर्ग ने निर्णय, आकलन तथा पूर्वानुमान का उपयोग किया है जिससे लेखांकन नीतियां तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की रिपोर्ट की गई राशियां प्रभावित हुई हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों तथा अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो लेखांकन आकलनों में संशोधन को प्रत्याशित रूप से मान्य किया जाता है।

आकलनों तथा निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों (संबंधित लेखांकन नीतियों में उल्लेखानुसार) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है :

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के उपयोगी अवधि तथा शेष मूल्य का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीबद्ध किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन।

ग) निवेश संपत्ति के रूप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार।

घ) विक्रय के लिए रखी गैर चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।

ड.) पुनः डिलीवरी की लागतका आंकलन।

च) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान व वसूली की संभावना के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता।

छ) परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान एवं मापन।

ज) लीज़ वर्गीकरण निश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्णय।

झ) उचित मूल्यों तथा प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।

ट) कराधान विवादों तथा कानूनी दावों के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों का आउटफलो अपेक्षित होगा, इसकी संभावना निश्चित करने के लिए निर्णय लेना अपेक्षित होता है।

ठ) वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापन।

3. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे दी गई लेखांकन नीतियां, इन वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई सभी अवधियों पर समान रूप से लागू की गई है।

I. प्रचालन चक्र तथा चालू व गैर चालू वर्गीकरण

चालू–गैर चालू वर्गीकरण

वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों व देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

कंपनी सेवा क्षेत्र में है, कंपनी का कोई विशेष प्रचालन चक्र नहीं है तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को ''प्रचालन साइकल'' के रूप में अपनाया गया है।

II संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. प्रारंभिक पहचान व मापन

क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की कीमत को परिसम्पत्ति के रुप में मान्य किया जाता है, यदि

(i) संभावना है कि, भविष्य में मद से संबंधित आर्थिक लागत ईकाई को प्राप्त हों, व

(ii) मद की लागत विश्वसनीय रुप से मापी जा सके।

ख) परिसम्पत्ति के रुप में मान्यता हेतु योग्य होने के लिए सम्पत्ति, संयत्र, संरचना व उपकरण की मद को लागत पर मापना होगा।

सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

(i) व्यापार छूट व रिबेट घटाने के बाद, आयात शुल्क व गैर–धन वापसी योग्य क्रय कर सहित, उसका क्रय मूल्य;

(ii) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण व उसे लोकेशन तक लाने में लगी अनुशंगिक लागत व प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत प्रकार के प्रचालन करने में आवश्यक रुप से सक्षम होना और जहां लागू हो, लिए गए ऋण पर ब्याज, व इसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु संबंधित परिसम्पत्ति को कार्य करने लायक स्थिति तक लाने की तिथि तक।

ग) यदि किसी सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण की मदों के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी अवधि भिन्न–भिन्न है, तो उनकी गणना अलग सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण के अलग घटक के रुप में की जाती है।

ख. अगामी मान्यता व मापन

अगामी लागत, परिसम्पत्ति की कैरिंग राशि में शामिल होती है या अलग परिसम्पत्ति के रुप में मान्य की जाती है, जैसा समुचित हो, जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में व्यय से संबंधित आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे व मद की लागत का मापन विश्वसनीय रुप से किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत व अनुरक्षण को खर्च किए जाने के समय लाभ व हानि विवरणियों में प्रकाशित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा इंड एएस 16 ''सम्पत्ति, संयत्र व उपकरण'' के अनुसार कॉस्ट मॉडल अपनाया गया है व संपत्ति, संयत्र व उपकरण का मापन लागत आधार पर, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

ग. मूल्यह्रास / परिशोधन

क) मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II (अन्यथा उल्लेख होने की स्थितियों को छोड़कर) में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी अवधि के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के उपयोगी अवधि की समीक्षा की जाती है।

ख) किसी संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के जीवन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में प्रावधान नहीं किया गया है, तो मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए उनका निर्धारण तकनीकी रूप से क्वालीफाइड व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **रोटेबल्स :**

विमानों के विमान रोटेबल्स को खरीद के संगत वर्ष से, संबंधित विमान बेड़े के, औसतन शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

2. **स्थल सहायता उपस्कर (जीएसई)**

लीज़ पर लिए गए एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, का प्रावधान, प्रयोग की तिथि से, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में, विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित होती है।

ग) इंजन तथा एयरफ्रेम से संबंधित प्रमुख अनुसूची ओवरहॉल लागतों को अलग घटक के रूप में दर्शाया जाता है तथा प्रमुख ओवरहॉल के बीच प्रत्याशित जीवन पर मूल्यह्वासित किया जाता है।

घ) आधुनिकीकरण/परिवर्तन पर प्रमुख संशोधनों/साज–सज्जा पर, लगाई गई लागत को उपयोगी जीवन पर मूल्यह्यसित किया जाता है।

च) अवधि के दौरान खरीदी गई/बेची गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रो–राटा आधार पर की जाती है।

मूल्यह्यस को निम्न उपयोगी जीवन आधार पर प्रभारित किया गया है।

परिसम्पत्तियों का विवरण	**उपयोगी जीवन**
संयत्र व उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
डाटा प्रोसिंग उपकरण	3 वर्ष
स्थल सहायता उपकरण (एटीआर)	उपरोक्त पॉलिसी II ग ख (2) के अनुसार
चिकित्सा उपकरण	15 वर्ष
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज़ अवधि पर आधारित
एयरो इंजन रोटेबल	लीज़ अवधि पर आधारित

घ. अमान्यकरण

संपति, संयत्र व उपकरण की कोई मद व प्रारंभ में मान्य किसी महत्वपूर्ण भाग को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से, भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की स्थिति में– अमान्य किया जाता है। संपत्ति, संयत्र या उपकरण के (संपत्ति, संयत्र व उपकरण के निवल निपटान प्राप्तियों/व फेयर वेल्यू व संपत्ति, संयत्र व उपकरण की कैरिंग राशि के अंतर पर गणना की जाती है) को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि को, संपत्ति व उपकरण के अमान्य किए जाने पर लाभ व हानि विवरणी में शामिल किया जाता है। भिन्न घटक के रूप में गणना किए गए घटक की कैरिंग राशि को बदलने या संपत्ति, संयत्र व उपकरण, जिससे घटक संबंधित है के अमान्य होने पर अमान्य किया जाता है।

ड. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमिक आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन दो वर्ष में किया जा सके। प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो तो, का रिकॉर्ड के साथ मिलान किया जाता है और तदनुसार, यदि कोई लेखा कार्रवाई हो, तो बहीखातों में की जाती है।

III. विक्रय के लिए अभिनिर्धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए अभिनिर्धारित श्रेणी में तब रखा जाता है जब उनके निरंतर उपयोग के बजाय उनकी वर्तमान स्थिति में उनका विक्रय करने से प्रमुख रूप से उनका मूल्य बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी परिसंपत्तियों का निवल बही मूल्य, स्थिर परिसंपत्तियों से "विक्रय के लिए अभिनिर्धारित" परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाता है तथा इनका निवल मूल्य इनके स्वीकृत मूल्य या उचित मूल्य में से विक्रय की लागत घटाकर अंकित किया जाता है। परिसम्पतियों के विक्रय के लिए अभिनिर्धारण श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने पर, मूल्यह्वास प्रदान नहीं किया जाता।

क्षति हानि को, परिसंपत्ति की किसी आरंभिक या तदंनदर विक्रय कीमत घटाकर उचित मूल्य पर, राइट–डाउन हेतु, मान्य किया जाता है। लाभ को उचित मूल्य में, परिसंपत्ति के विक्रय की कीमत घटाकर, परंतु पूर्व में मान्य किए गए किसी संचित क्षति हानि से अधिक नहीं, किसी पूर्ववर्ती वृद्धि हेतु मान्य किया जाता है।

IV. अमूर्त परिसंपत्तियां :

क. आरंभिक मान्यता व मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण व उन्हें मान्य तभी किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से संबंधित अपेक्षित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हों और परिसंपत्ति की कीमत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियां अर्जन लागत पर रिकार्ड की जाती हैं जिसमें अर्जन तथा स्थापना से संबंधित आनुशंगिक लागत सम्मिलित होती हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति की कीमत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क व गैर धन वापसी क्रय कर सहित, व्यापार छूट व रिबेट घटाकर व परिसंपत्ति के अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसे तैयार करने में हुए सीधे व्यय, शामिल है।

कंपनी द्वारा अर्जित की गई अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनका सीमित उपयोगी जीवन होता है, को लागत पर मान्यता दी जाती है। बाद की माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानियों पर की जाती है।

ख. आगामी लागत व मापन

आगामी लागत को पूंजीकृत किया जाता है जब वह भविष्य में विशिष्ट परिसंपत्ति जिससे वह संबंधित है, के आर्थिक लाभ में वृद्धि करें। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अन्य सभी व्ययों को लाभ व हानि विवरणी में, व्यय करने के समय, मान्य किया जाता है।

ग. परिशोधन

जिन अमूर्त परिसंपत्तियां का निर्धारित उपयोगी अवधि है, अनुबंध अवधि के अनुसार कानूनी अधिकार की अवधि में स्ट्रैट–लाइन विधि पर परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और निर्धारित उपयोगी अवधि के साथ अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

इंड–एएस 38 के पैराग्राफ 107 के अनुसार अनंत उपयोगी अवधि वाली एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, हालांकि, प्रबंधन द्वारा समय–समय पर क्षति के लिए इन परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो क्षति की जाती है।

निश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की रेजीडयूल वेल्यू को शून्य माना जाता है।

निश्चित उपयोगी अवधि के साथ अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन वार्षिक वसूली के लिए किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि उनकी अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक वहन राशि को एक क्षति के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. अमान्यकरण

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य किया जाए :

क) निपटान पर, या

ख) जब उसके प्रयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य करने से हुए लाभ या हानि को अमूर्त परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्ति व कैरिंग राशि के अन्तर के रूप में मापा जाता है व परिसंपत्ति के अमान्य होने पर लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

V. लीज़

कंपनी द्वारा लीज़ देयताओं की गणना हेतु निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए गए—

समान परिसंपत्तियों के समान आर्थिक वातावरण में, अंतिम तिथि को समान परिस्थितियों में, लीज़ के पोर्टफोलियो के लिए एकल औसत छूट दर का प्रयोग।

क. पट्टाकर्ता के रूप में:

कंपनी अनुबंध के प्रांरभ में ही निर्धारण करती है कि क्या अनुबंध में कोई लीज़ है। अनुबंध या अनुबंध में लीज़ सम्मिलित होती है, यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले कुछ समय तक पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाता है। अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण के अधिकार का पता लगाने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्याः

- अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है; और
- लीज़ अवधि के दौरान परिसंपति के प्रयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और;
- कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग पर निर्देश देने का अधिकार है।

1) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियांः

क) प्रारंभिक मान्यता व मापनः

प्रारंभिक तिथि को, राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों (आरओयू परिसंपत्ति) का मापन, लागत पर किया जाता है। लागत में निम्न शामिल हैं —

क) लीज़ देयता के बराबर राशि

ख) प्रारंभिक तिथि से पहले किया गया लीज़ भुगतान

ग) कोई सीधी लागत

घ) रि—डिलीवरी कर्तव्यों के संबंध में किए जाने वाले व्यय की लागत का अनुमान

ड.) घटाकर, लीज़ की शर्तों में उपकरण उत्पादक से प्राप्त कोई प्रोत्साहन

ख) आगामी मापन :

प्रारंभिक तिथि के पश्चात आरओयू परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयत्र व उपकरण हेतु लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है यानि आरओयू को लागत, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि घटाकर, लागत पर मापा जाता है।

लीज़ संशोधनों के कारण लीज़ देयताओं में किसी पुनः मापन प्रभाव को दर्शानें हेतु आरओयू परिसंपत्तियों को तद्नुसार समायोजित किया जाता है।

खंड सं. VII में उल्लेखित नीति के अनुसार आरओयू परिसंपत्तियों क्षति अधीन होगी।

2) लीज़ देयताएं :

क) प्रारंभिक मान्यता व मापन :

आंरभिक तिथि को कंपनी लीज़ भुगतान, जो उस तिथि तक अदा नहीं किए गए को, वर्तमान मूल्य पर मापती है। लीज़ देयताओं में निम्न सम्मिलित हैं –

क) लीज़ किराए

ख) लीज़ समाप्ति हेतु पैनल्टी का भुगतान यदि लीज़ टर्म में, कंपनी द्वारा समाप्ति के विकल्प का प्रयोग प्रकट को।

ग) घटाकर, प्राप्त प्रोत्साहन

लीज़ भुगतान को लीज़ में शामिल ब्याज दर यदि तत्परता से प्रयोग कर निर्धारित किया जा सके का प्रयोग कर डिस्कांउट किया जाता है। यदि वह दर तत्परता से निर्धारित नहीं की जा सके तो कंपनी द्वारा इन्क्रीमेंटल उधार दर का प्रयोग किया जाता है।

इन्क्रीमेंटल उधार दर वह ब्याज दर है जो कंपनी द्वारा समान अवधि, समान सुरक्षा पर, समान आर्थिक वातावरण में आरओयू परिसंपत्तियों को समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए निधि उधार लेने के लिए अदा की जाएगी।

ख) आगामी मापन :

प्रारंभिक तिथि के पश्चात्, लीज़ देयता की राशि में ब्याज की संवृद्धि दर्शाने हेतु वृद्धि कर दी जाती है व भुगतान की गई लीज़ पर घटा दी जाती है। साथ ही, लीज़ में कोई संशोधन होने की स्थिति में, जिसमें लीज़ अवधि, लीज़ भुगतान शामिल हैं या आधार भूत परिसंपत्ति की खरीद के विकल्प का निर्धारण होने पर लीज़ देयताओं की कैरिंग राशि का पुनः मापन किया जाता है।

3. लीज़ अवधि :

प्रारंभिक तिथि को कंपनी लीज़ अवधि का निर्धारण करती है जिसमें, आरंभिक लीज़ की गैर–रद्द किए जाने योग्य अवधि, जिनके लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प सहित कवर की जाने वाली अवधि, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रारंभिक तिथि को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त हो, शामिल हैं।

4. मूल्यह्रास :

आरओयू के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन आधार पर आरओयू परिसंपत्तियों की आरंभिक तिथि से लेकर उपयोगी जीवन के अंत में शीघ्रातिशीघ्र या लीज़ अवधि की समाप्ति पर, लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

5. अन्य लीज़:

इंड एएस 116 की परिधि से बाहर अन्य किसी लीज़ से संबंधित लीज़ भुगतान लघु अवधि लीज़ (12 माह या उससे कम अवधि की लीज़) या न्यून मूल्य लीज। इन लघु अवधि या न्यून मूल्य लीज़ हेतु कंपनी लीज़ की शर्तों पर, लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रुप में मान्य करती है।

6. रि–डिलीवरी के लिए प्रावधानः

कंपनी के बेड़े में विमान लीज़ पर हैं। लीज़ के अनुबंधों के तहत अनुबंधित रूप से सहमति के अनुसार, निर्धारित अनुबंध वापसी शर्तों के तहत, लीज़ की अवधि की समाप्ति पर विमानों को लीज़कर्ताओं को फिर से रि–डिलीवर किया जाना है। लीज़ के आरंभ के समय, रि–डिलीवरी दायित्वों को प्रबंधन द्वारा, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और अपेक्षित आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य पर उपयोग संपत्ति के अधिकार के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक होता है और इसे देनदारियों के तहत रि–डिलीवरी के प्रावधान में क्रेडिट किया जाता है।

7) निर्माता क्रेडिट (नकद एवं गैर नकद इंसैंटिव)

निर्माता क्रेडिट का अर्थ है किसी भी रिबेट, छूट, प्रोत्साहन भुगतान और अन्य क्रेडिट के रूप में नकद इंसैंटिव और गैर–नकद–आधारित इंसैंटिव जो ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा प्रदान किए जाते हैं और बाद में लैसर द्वारा लीज़ समझौते के समय ग्राहक को दिए जाते हैं।

नकद इंसैंटिवः

कंपनी लीज़ के तहत विमान के अधिग्रहण के संबंध में ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) या लीज़कर्ता से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। इन इंसैंटिवों को संबंधित विमान या विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में, उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

गैर–नकद इंसैंटिवः

गैर–नकद इंसैंटिवों को कंपनी को देय होने के समय, आस्थगित संपत्ति और संबंधित आस्थगित इंसैंटिव आरंभ कर दर्ज किया जाता है। इन इंसैंटिवों को स्वामित्व वाले विमानों के मामले में संबंधित विमान और विमान घटकों की लागत में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है। लीज़ के तहत रखे गए विमानों के मामले में, प्रोत्साहन को संबंधित विमान या लीज़ पर लिए गए विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

VI. इनवेंटरी :

क. इनवेंटरी

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार एवं पूर्जे तथा खुले उपकरण (संपत्ति, संपदा तथा उपकरण के मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त) आते हैं।

2) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपूर्जों को प्रारंभिक जारी करने के समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपूर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपूर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें रिपेयर वर्क के पूरा हो जाने के बाद वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर प्रभारित किया जाता है।

ख. इनवेंटरी का मूल्यांकन

1) इनवेंटरी को न्यूनतम लागत तथा नेट रिलाइजेबल वैल्यू (एनआरवी) पर दर्शाया जाता है। सेवाएं प्रदान करने में, उपयोग में लाए गए भंडार एवं पूर्जे, खुले उपकरणों तथा ईंधन के लिए एनआरवी को लागत से नीचे नहीं दिखाया जाता, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसी मदों की कीमत में कमी आ जाती है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सेवा प्रदान करने की लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक होगी।

2) इनवेंटरी की लागत में गैर वापसी रियायत तथा छूट को घटाकर आने वाली लागत तथा इनवेंटरी को वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लगने वाली सभी लागत सम्मिलित है तथा इसका निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है।

3) वर्ष के अंत में, फ्रेट ड्यूटी और बीमा को वर्ष के दौरान इनवेंटरी की खपत की तुलना में क्लोजिंग इनवेंटरी के अनुपात के आधार पर व्यय किया जाता है। विमान के पुर्जों पर भुगतान किए गए अनाबंटित कस्टम ड्यूटी को इनवेंटरी के तहत दिखाया गया है।

ग. इनवेंटरी के मूल्य में कमी

1) विमान भंडार और हिस्से–पूर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

   i. नीचे दिए गए (ii) एवं (iii) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य की राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया जाता है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया जाता है।

   ii. फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को अनुमानित विक्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सके।

   iii. विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज का प्रावधान, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर किया जाता है।

2) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पूर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए पूर्ण अप्रचलन प्रावधान किए जाते हैं।

3) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पूर्जों को एक रूपए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

VII. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिः

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की क्षति के कोई संकेत होने का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार का कोई संकेत होने की स्थिति में परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाकर इंड एएस–36 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

क्षति परीक्षणः

क्षति परीक्षण हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के सबसे छोटे समूह में रखा जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकद इनफ्लो उत्पन्न करते हैं, जो अन्य परिसम्पत्तियों के नकद इनफ्लो से या नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट (सीजीयू) से व्यापक रुप से स्वतंत्र हैं।

किसी परिसम्पत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि, उसके प्रयोग मूल्य से अधिक व उसके उचित मूल्य से विक्रय कीमत घटाकर प्रयोग मूल्य भविष्य के अनुमानित नकद इनफ्लो, छूट, दर का प्रयोग कर वर्तमान मूल्य पर

डिस्काउंटिड, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसम्पत्ति या सीजीयू से संबंधित विशेष जोखिम को दर्शाता है, पर आधारित है।

क्षति हानि की पहचानः

क्षति हानि को इस स्थिति में मान्य किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की कैरिंग राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानि का लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क्षति हानि का निरसनः

अनुमानित प्रयोग में परिवर्तन होने पर वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने हेतु क्षति हानि का निरसन होता है। इस प्रकार के निरसन उसी सीमा तक किए जाते हैं जिस सीमा तक परिसंपत्ति की कैरिंग राशि निर्धारित कैरिंग राशि से मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल से अधिक न हो यदि कोई क्षति हानि मान्य नहीं की गई है।

किसी परिसंपत्ति हेतु किसी क्षति हानि के निरसन को तुंरत लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाए।

VIII. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को अनुदान प्राप्त होने के तथा सभी संलग्न शर्तों के अनुपालन के युक्तिसंगत आश्वासन के पश्चात मान्य किया जाता है।

सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि के रूप में उस अवधि में जिसमें कंपनी द्वारा संगत लागतों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है व जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है व व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

सरकारी अनुदान, जो व्यय या पिछली अवधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्य होता है उसकी उस अवधि को लाभ व हानि में मान्य किया जाता है जिसमें वह प्राप्य होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी पहचान संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगी आयु में व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि में की जाती है।

IX. राजस्व निर्धारण

क. प्रचालन से राजस्व

राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हो और राजस्व का मापन विश्वसनीय रूप से हो सके।

इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत वस्तुओं या सेवाओं के अधिकार को ग्राहक को सौंपे जाने पर, राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व का मापन छूट को छोड़कर इन्सेन्टिव, थर्ड पार्टी की ओर से एकत्रित राशि या अन्य समान मदों, जो ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में निर्दिष्ट की गई हैं प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

ख. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्य किया जाता है।

क) यात्री, कार्गो तथा डाक राजस्व

यात्री, कार्गो व डाक राजस्व को प्रारंभिक चरण में जब यातायात सेवा, यात्रा किए जाने के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है, यात्री को दी गई छूट, थर्ड पार्टी की और से एकत्रित राशि, लागू कर व एयरपोर्ट

कर जैसे यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि यदि कोई हो, मान्य किया जाता है।

ख) ब्लॉकड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर

ब्लॉकड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर राजस्व/व्यय को वास्तविक आधार पर कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डेटा के आधार पर मान्य किया जाता है। जहाँ भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं हैं, राजस्व/व्यय को दस्तावेजों/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बुक किया जाता है तथा समायोजनों को, यदि कोई हो, इस प्रकार की सूचना की उपलब्धता के समय किया जाता है।

ग) वाएबिलिटी गेप फंडिंग (वी.जी.एफ) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस)

वाएबिलिटी गेप फंडिंग (वी.जी.एफ) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस) की गणना प्रोद्भूत आधार पर राजस्व व प्रचालन लागत के अंतर के आधार पर की जाती है व इसे प्रचालन आय माना जाता है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व

वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व को मान्य किया जाता है।

ड.) अन्य राजस्वः

i) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर मान्य किया जाता है।

ii) बीमा कंपनियों से प्राप्य दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

iii) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किया जाता है।

iv) अन्य मदेंः

स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना वेतन अवकाश का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

X. ऋण लागतः

– परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में चालू पूंजीगत कार्य सहित, अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के अपने इच्छित उपयोग या बिक्री की तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है।

– क्वालिंफाइंग परिसंपत्ति वह है जो अपेक्षित प्रयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय आवश्यक रूप से लेती है।

– 10.0 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई ऋण की निधियों अथवा दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में अन्य अस्थायी ऋणों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

– अन्य उधार लागत को उस विधि में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, जिस अवधि में वे खर्च किए गए।

उधार लागत में उस सीमा तक विनिमय अंतर शामिल है, जिस सीमा तक वे उधार लागत में समायोजित माने जाते हैं।

XI. फंक्शनल मुद्रा और प्रीजेन्टेशन मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन ईकाई के कार्य मुख्य आर्थिक वातावरण की मुद्रा (फंक्शनल करेंसी) में किया जाता है। वित्तीय विवरणियां भारतीय रु. मुद्रा (आईएनआर) में जो कंपनी की फंक्शनल व प्रजेन्टेशन मुद्रा है में प्रस्तुत की जाती है।

XII. विदेशी मुद्रा लेन–देन और अनुवाद

क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व तथा व्यय लेन–देनों को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आईएटीए दरों पर आधारित) पर रिकार्ड किया जाता है। परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता, संबंधित माह के लिए आईएटीए द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन–देनों की प्राप्ति/निपटारे के कारण होने वाले लाभ/(हानि) और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) देयता तथा ऋणों व अग्रिमों जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

XIII. कर्मचारी लाभः

क) लधु अवधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ देयतायें जैसे वेतन व बोनस इत्यादि जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, जिसके भीतर कर्मचारी ने अपनी संबोधित सेवाएं दी, 12 माह के भीतर पूर्णतः निपटाए जाने अपेक्षित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी सेवाओं में मान्य किया जाता है और देयताओं के भुगतान पर अदा की जाने वाली अपेक्षित गैर छूट प्राप्त राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगार समाप्ति के पश्चात लाभ योजना

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में निश्चित अंशदान योजना व निश्चित लाभ योजना शामिल हैं।

क) निश्चित लाभ योजना–पोस्ट इम्प्लाई कम्पनी लाभ योजना है जिसके तहत एक ईकाई दूसरी ईकाई (फंड) में नियत अंशदान करती है और चालू और पूर्वावधि में कर्मचारी सेवाओं से संबंधित लाभ हेतु सभी कर्मचारियों को अदा करने हेतु निधि के पास पर्याप्त परिसम्पत्ति न होने पर आगे अंशदान हेतु विधिक या रचनात्मक से उत्तरदायी नहीं है। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के दायित्व को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में लाभ व हानि विवरणी भी कर्मचारी

लाभ व्यय के तहत मान्य किया जाता है। पूर्वप्रदत्त अंशदान को परिसम्पत्ति के रुप में नकद रीफंड या भविष्य में होने वाले भुगतान में कमी होने पर मान्य किया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना से अलग एक पोस्ट कर्मचारी लाभ योजना है।

ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि योजना के लिए भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता तक कंपनी की देयता है और परिभाषित लाभ योजना के श्रेणी में आते हैं।

कंपनी भविष्य निधि में, पूर्व निर्धारण दर पर, नियत अंशदान एक भिन्न ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत सिक्यूरिटीज़ में निवेश करती है। वर्ष के लिए अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह नियत अंशदान करें व सदस्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर सुनिश्चित करें।

कंपनी ग्रेच्यूटी के लिए उत्तरदायी है। योजना के तहत सेवा निवृत्त, रोजगार पर रहते हुए मृत्यु होने या रोजगार की टर्मिनेशन, कर्मचारी के संबंधित वेतन व सेवा कार्यकाल के आधार पर एक मुश्त राशि का भुगतान निहित कर्मचारी को किया जाता है। कंपनी की ग्रेच्यूटी योजना अनफंडिड है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण के रूप में होने वाले लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में दिखाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का कुल दायित्व भविष्य में उस लाभ राशि की व्यवस्था करना है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान तथा पूर्व के वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इस लाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्मूल्यांकन को लाभ प्राप्त होने के वर्ष में लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

XIV. आयकर

आयकर व्यय में आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्य मदों को छोड़कर, लाभ या हानि खाते में मान्य किया जाता है। उस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

चालू कर वर्ष के दौरान कर योग्य आय, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर व पिछले वर्ष के संबंध में देय कर में किसी समायोजन पर देय, अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु व कराधान उद्देश्य हेतु प्रयुक्त राशि, परिसंपत्तियों व देयताओं की कैरिंग राशि के अस्थायी अंतर हेतु प्रावधान करते हुए मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित रिवर्स होने पर अस्थायी अंतर पर लागू होना अपेक्षित है। यदि वर्तमान कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो तो, आस्थगित कर संपत्तियां तथा देयताएं ऑफसेट होगी तथा यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित है। परंतु वे मौजूदा कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हैं अन्यथा कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं एक साथ वसूली जाएंगी।

आस्थगित कर को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, उस सीमा तक के अलावा जब वह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्य की गई मदों से संबंधित हो, इस मामले में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है, कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि इस बात की संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

XV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियांः

क) गणना में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है तथा यह संभावना होती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ तथा हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में प्रत्येक नोट के माध्यम से प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को उद्घाटित किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्राप्त होना संभावित है।

प्रावधान में परिवर्तनः

प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए, आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लों आवश्यक होगा तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय की अवधि को दर्शाने के लिए प्रत्येक अवधि में प्रावधान की कैरिंग राशि बढ़ जाती है। इस वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

XVI. नकद एवं नकद समकक्षः

नकद एवं नकद समकक्ष में, बैंक और हाथ में नकद राशि तथा तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा सम्मलित हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम़ की शर्त के अधीन हैं।

XVII. प्रति शेयर आयः

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल एवं डायल्यूटेड आय/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) का डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित शेयर संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिड आय की गणना वर्ष के दौरान कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं डायल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के कुल योग से भाग देकर की जाती है।

XVIII. उचित मूल्य मापनः

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में, उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापदण्ड के लिए इनपुट अवलोकनीय हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार वर्णित हैः

- स्तर 1ः इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु उद्धत कीमतें (असमायोजित) निष्क्रिय बाजार हैं, जिन्हें इकाई माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2ः इनपुट्स लेवल 1 में शामिल अन्य उद्धृत मूल्य इनपुट हैं, से इतर, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति के लिए पालनीय हैं, और
- स्तर 3ः परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट अपालनीय इनपुट हैं।

वे परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर की जाती है, उनके लिए कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनः आकलन (न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, के आधार पर) करके निर्धारित करती है कि उनका स्थानांतरण पदानुक्रम में दिए गए स्तरों के बीच हुआ हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटनों के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसम्पत्ति और देयता की प्रकृति, विशेषता व जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णन के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसम्पत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन होता है याः

– संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या

– एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी को/द्वारा सुलभ होना चाहिए।

XIX. वित्तीय उपकरणः

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक एन्टिटी की वित्तीय परिसम्पत्ति तथा दूसरी एन्टिटी की वित्तीय देयता अथवा एक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की उत्पत्ति होती है, वित्तीय उपकरण होता है।

क. वित्तीय परिसम्पत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से, उचित मूल्य या लाभ–हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नगदी प्रवाह की विशेषताओं के संचालन हेतु इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

(ii) आरंभिक पहचान एवं मापन

समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभ में उचित मूल्य प्लस, जहां वित्तीय परिसंपत्तियां यदि लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न की गई हों तो, ट्रांज़ैक्शन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन में देय हैं, पर की जाती है।

(iii) परवर्ती मापन

परवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैंः

क. परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां :

डेरिवेटिव और विशेष निवेशों को छोड़कर कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य, किसी परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूल करने के लिए, उस परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एकमात्र रूप से, मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियांः

विशेष निवेश वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नगदी प्रवाह को वसूलने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने जैसे दोनों कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एक मात्र रूप से मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नगदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव किया है जिन्हें इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परवर्ती बदलाव प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियांः

डेरिवेटिव्स वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई है वह बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

(iv) मान्यता समापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब समाप्त की जाती है जब इस परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी ने परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों। जिसमें कंपनी न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्ड को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उसे बनाए रखती है। यह वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को बनाए नहीं रखती है।

कोई लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्य अथवा कॉन्ट्रैक्ट राजस्व और समस्त लीज़ प्राप्य इत्यादि सम्मिलित हैं, पर क्षति हानि के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर क्षति का निर्धारण करती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, उस स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को जीवनकाल ईसीएल में मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके नुकसान भत्ते में परिवर्तन (वृद्धिशील या उलट), लाभ और हानि में, क्षति लाभ या हानि के रूप में पहचाने जाते हैं।

(vi) बट्टे खाते में डालना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि तब बट्टे खाते में (आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः) उस मात्रा में डाल दी जाती है जब उसकी वसूली की वास्तविक संभावना न हो। सामान्यत यह ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियां अथवा आय के साधन नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाले जाने के अधीन राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर सकें। तथापि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं वे अब भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु बाध्यकरण गतिविधियों के अधीन हैं।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) आरंभिक मान्यता एवं मापन

समस्त वित्तीय देयताओं की मान्यता आरंभ में, ऋणों, उधारियों और देयों के संबंध में, उचित मूल्य पर और प्रत्यक्ष रूप से देय निवल ट्रांजैक्शन लागतों पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड और अन्य देय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियों और डेरिवेटिव वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सम्मिलित हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी, समस्त वित्तीय देयताओं को, लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर किए गए मापन के अनुसार वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव्स सहित ऐसी देयताएं, परवर्ती रूप से उचित मूल्य पर मापी जाएंगी और किसी भी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ और हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त हैं। वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे ट्रेडिंग हेतु रोकी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या यह एक डेरीवेटिव है या इसे प्रारंभिक मान्यता पर इस तरह नामित किया गया है।

(iii) परवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन, नीचे किए गए वर्णन के अनुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता के पश्चात, ब्याज वाले ऋण एवं उधारियां, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से डि–रिकोनाइज्ड किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना, अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम और फीस अथवा लागत जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होते हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को, लाभ एवं हानि विवरणी में, वित्तीय लागतों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

ख) लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य पर, वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग संबंधी व वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य के अनुसार आरंभिक पहचान पर विनिर्दिष्ट वित्तीय देयताएं सम्मिलित हैं। वित्तीय देयताओं को तब ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यदि उनका नजदीकी कालावधि में पुनः क्रय करने के उद्देश्य के लिए वहन किया गया हो। इस श्रेणी में, कंपनी द्वारा अपनाए गए डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट सम्मिलित हैं, जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज़ रिलेशनशिप्स में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स भी तब तक ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेज़िग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

हेल्ड फॉर ट्रेडिंग संबंधी देयताओं पर लाभ एवं हानियों की पहचान लाभ एवं हानि विवरणी में की जाती है।

(iv) मान्यता समापन

कोई भी वित्तीय देयताएं तब डी–रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, जब उस देयता के तहत बाध्यता का निर्वहन कर दिया गया हो अथवा उसे रद्द कर दिया गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। कंपनी शर्तों को संशोधित करने पर और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग होने पर वित्तीय देयता को डी रिकोगनाइज़ कर देती है। इस मामले में, संशोधित मूल्य के

आधार पर एक नया वित्तीय दायित्व उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है। समाप्त हुई वित्तीय देयताएं की कैरिंग राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट की जाती हैं और यदि पहचान की गई राशि को ऑफसेट करने का कोई चालू प्रवर्तनीय कानून अधिकार है, तो परिसंपत्ति के नकदीकरण और देयताओं को साथ–साथ बेचने की निवल आधार पर की गई मंशा हो तो, निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है।

XX. मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाएं

कंपनी ने व्ययों/आयों के वर्गीकरण और प्रकटन में निम्नानुसार मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाओं को अपनाया है:

थ्रेश होल्ड मदें	यूनिट	थ्रेश होल्ड मूल्य
पूर्वावधि व्यय/राजस्व – व्यक्तिगत सीमाओं के आधार पर पहचान – समग्र सीमा के आधार पर रिस्टेटमेंट	 मिलियन मिलियन	 15 पिछले वर्ष का टर्नओवर 1%
पूर्वप्रदत्त व्यय	मिलियन	0.010
विदेशी स्टेशन	मिलियन	0.050
घरेलू स्टेशन	मिलियन	0.010
आकस्मिक देयता एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	मिलियन	0.10
वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन	मिलियन	5.0

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएनः 02055541

हस्ता/–
उषा पाढी
नामित निदेशक
डीआईएनः 03348716

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2022

नोट–2 (क)

संयत्र, परिसम्पत्ति व उपस्कर वित्तीय वर्ष 2021–22

राशि मिलियन रु. में

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	31.03.2021 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2021–22 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2021–22 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	01.04.2021 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2021–22 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2022 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को निवल ब्लॉक	31.3.2021 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
संयत्र और उपस्कर	5 वर्ष	10.54	1.07	0.03	11.58	6.05	1.76	0.03	7.78	3.80	4.49
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10 वर्ष	8.02	0.18	0.25	7.95	3.35	0.62	0.24	3.73	4.22	4.63
वाहन	8 वर्ष	2.81	-	0.24	2.57	1.74	0.04	0.24	1.54	1.03	1.06
डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	3 वर्ष	21.27	2.93	0.43	23.77	16.42	3.51	0.24	19.69	4.08	4.89
स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर)	(पॉलिसी के अनुसार)	8.17	-	2.81	5.36	8.18	-	2.83	5.35	0.01	-
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	178.18	5.86	-	184.04	109.73	14.93	-	124.66	59.38	68.45
एयरो इंजन रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	148.25	-	-	148.25	5.83	7.12	-	12.95	135.30	142.42
31.03.2022 को कुल		**377.24**	**10.04**	**3.76**	**383.52**	**151.30**	**27.98**	**3.58**	**175.70**	**207.80**	**225.94**
31.03.2021 को कुल		**216.59**	**160.65**	**-**	**377.24**	**125.35**	**25.93**	**-**	**151.29**	**225.94**	**91.24**

नोट–2 (ख) : परिसम्पत्ति के उपयोग का अधिकार

राशि मिलियन रु. में

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	01.04.2021 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2021–22 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2021–22 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	01.04.2021 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान समायोजन	31.3.2022 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को निवल कैरिंग मूल्य	31.3.2021 को निवल कैरिंग मूल्य
आरओयू एसेट्स	लीज़ अवधि पर आधारित	26,704.20	-	-	22,055.70	4,648.50	2,381.84		7,030.35	19,673.86	22,055.70
31.03.2022 को कुल		**26,704.20**	**-**	**-**	**22,055.70**	**4,648.50**	**2,381.84**		**7,030.35**	**19,673.86**	**22,055.70**
31.03.2021 को कुल		**21,319.98**	**5,384.22**	**-**	**26,704.20**	**2,266.65**	**2,381.85**		**4,648.50**	**22,055.70**	**-**

नोट–2 (ग) : अमूर्त परिसम्पत्तियां

राशि मिलियन रु. में

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	31.03.2021 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2021–22 के लिए	वर्ष 2021–22 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	01.04.2021 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2021–22 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2022 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को निवल ब्लॉक	31.3.2021 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ट
अमूर्त परिसम्पत्तियां – ट्रेडमार्क	असंख्य	-	2.54	-	2.54	-	-	-	-	2.54	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां – कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	करार के अनुसार	-	23.55	-	23.55	-	0.29	-	0.29	23.26	-
31.03.2022 को कुल		**-**	**26.09**	**-**	**26.09**	**-**	**0.29**	**-**	**0.29**	**25.80**	**-**
31.03.2021 को कुल		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

नोट सं. 03

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
अरक्षित खरे माने गए		
सुरक्षा जमा (12 महीने से अधिक परिपक्वता)	847.65	159.56
अरक्षित संदेहास्पद		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	29.30	29.46
घटाकरः संदेहास्पद ऋण को क्षति भत्ता	(29.30)	(29.46)
कुल	**847.65**	**159.56**

नोट सं. 04

आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
टीडीएस सहित आयकर का अग्रिम भुगतान	387.72	514.47
घटाः कराधान हेतु प्रावधान	-	(16.44)
कुल	**387.72**	**498.03**

नोट सं. 05

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
पूंजी अग्रिम से इतर अग्रिम		
सुरक्षा जमा (अनुरक्षण आरक्षित पॉट)	3,401.42	2,760.55
वसूली योग्य जीएसटी इनपुट कर	1,033.52	823.31
कुल	**4,434.94**	**3,583.86**

नोट सं. 06

इनवेंटरी	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
भंडार एवं हिस्से पूर्जे*	491.37	424.31
खुले औजार*	8.01	3.82
मार्गस्थ माल	-	12.14
घटाकरः अप्रचलन व कमी के लिए प्रावधान	(214.70)	(148.72)
कुल	**284.68**	**291.55**

* मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियों खंड 3(VI) (ख) का संदर्भ लें

नोट सं. 07

व्यापार प्राप्य	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
रक्षित, व्यापार प्राप्य	-	-
अरक्षित व्यापार प्राप्य		
व्यापार प्राप्य खरे माने गए	805.13	636.60
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
व्यापार प्राप्य– क्रेडिट क्षति	25.27	26.46
घटाकरः संदेहास्पद प्राप्य के लिए क्षति भत्ता	(25.27)	(26.46)
कुल	**805.13**	**636.60**

व्यापार प्राप्य अनुसूची						चालू वर्ष
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए	464.62	4.15	39.31	3.01	294.04	**805.13**
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	0.02	-	-	25.25	**25.27**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति						

व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची						पिछले वर्ष
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए	75.92	199.61	19.61	-	341.46	**636.60**
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	0.02	-	-	26.44	**26.46**
(iv) विवादित व्यापार खरे माने गए						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति						

नोटः सं.8

नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2021 को (मिलियन रु. में)
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	145.04	36.86
हाथ में रोकड़	-	0.01
कुल	**145.04**	**36.87**

नोट सं. 09

नकद समतुल्य के अलावा बैंकों में शेष	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
बैंकों में शेष		
चालू खातों में शेष*	12.00	12.00
मार्जिन मनी डिपॉज़िट में (3< मैच्योरिटी <12)**	855.90	902.03
कुल	**867.90**	**914.03**

* आईओबी में 12 मिलियन रुपए की बैंक की शेष राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 (3) के तहत ग्रहणाधिकार/होल्ड के रुप में चिह्नित किया है।

** विभिन्न गैर–निधि आधारित क्रेडिट लियन का लाभ उठाने के लिए सुरक्षा के रुप में बैंकों के पास जमा है और इसमें 10% मार्जिन मनी और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।

नोट सं. 10

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
अरक्षित व खरे माने गए		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	108.80	116.61
कर्मचारियों को अग्रिम	0.10	0.16
अरक्षित व संदेहास्पद माने गए		
कर्मचारियों को अग्रिम	5.45	5.45
घटाकरः संदेहास्पद स्टॉफ अग्रिम हेतु भत्ता	(5.45)	(5.45)
कुल	**108.90**	**116.77**

नोट सं. 11

अन्य चालू परिसम्पत्तियां	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
क) सुरक्षा जमा		
प्राधिकरणों में जमा	0.11	0.11
उच्च न्यायालय में जमा	222.38	222.27
घटाः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	(222.38)	(222.27)
ख) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		
संबंधित पार्टियों से प्राप्य	3.33	144.07
ग) अन्य अग्रिम		
पूर्व प्रदत्त व्यय	130.51	117.63
अन्य से प्राप्य	126.98	5.39
कुल	**260.93**	**267.20**

नोट सं. 12

इक्विटी शेयर पूंजी	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर)	20,000	20,000
	20,000	**20,000**
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	4,022.50	4,022.50
(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 इक्विटी शेयर)	-	-
	4,022.50	**4,022.50**

12 क)

शेयरों की संख्या का समाधान	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	**4,02,25,000**	4,02,25,000
जोड़करः जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-
घटाकरः रीडिम किए गए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	**4,02,25,000**	**4,02,25,000**

12(ख) इक्विटी शेयरः इक्विटी शेयर के लिए संलग्न विनियम एवं शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। लाभांश के भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है। कम्पनी के समापन पर इक्विटी शेयरधारक सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के पश्चात् अपने स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में कम्पनी की बाकी बची परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12(ग) होल्डिंग कम्पनी के नियंत्रण में इक्विटी शेयर

4,02,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 4,02,25,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं।

12(घ) 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौराः

शेयर धारक का नाम	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	शेयरों की संख्या	**शेयरों की संख्या**
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी)		
इक्विटी शेयर	4,02,25,000	4,02,25,000
शेयरों की कुल सं.	**4,02,25,000**	**4,02,25,000**
स्वामित्व का प्रतिशत	100%	100%

12(ङ) प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटरों के पास शून्य शेयर हैं।

नोट सं. 13

अन्य इक्विटी	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
1. लाभ–हानि खाते में अधिशेष/(घाटा)		
प्रारंभिक शेष	(30,539.26)	(26,938.32)
जोड़करः लाभ/(हानि) वर्ष के लिए	(4,477.63)	(3,600.94)
अंतशेष	**(35,016.89)**	**(30,539.26)**
2. अन्य व्यापक आय		
प्रारंभिक शेष	5.16	3.54
जोड़करः वर्ष के लिए	3.71	1.62
अंतशेष	**8.87**	**5.16**
कुल	**(35,008.02)**	**(30,534.10)**

नोट सं. 14

लीज़ देयताएं	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
लीज़ देयताएं	22,465.24	24,207.39
घटाकरः लीज़ देयताओं का चालू भाग (चालू देयताएं नोट सं. 17 में उल्लिखित)	(2,608.93)	(2,252.97)
गैर चालू लीज़ देयताएं	19,856.31	21,954.42
कुल	**19,856.31**	**21,954.42**

नोट सं. 15

प्रावधान	**31 मार्च, 2022 को** **(मिलियन रु. में)**	**31 मार्च, 2021 को** **(मिलियन रु. में)**
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान हेतु प्रावधान	74.67	66.98
घटाकरः उपदान का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(2.77)	(2.38)
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	35.35	34.07
घटाकरः छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(1.57)	(1.44)
अन्य प्रावधान		
विमानों की रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान	571.65	542.34
कुल	**677.33**	**639.57**

नोट सं. 16

चालू उधार	**31 मार्च, 2022 को** **(मिलियन रु. में)**	**31 मार्च, 2021 को** **(मिलियन रु. में)**
संबंधित पार्टियों से ऋण (अरक्षित)		
एयर इंडिया लि.	-	20,656.16
(एयर इंडिया लि. के साथ एमएसए के अनुसार 20/01/2022 तक एआईएल के औसत बकायों के आधार पर @ 9% की दर से ब्याज देय था)		
एआई एसेट्स होल्डिंग लि. के कारण होल्डिंग कम्पनी 21/01/2022 एयर इंडिया लि. के विनिवेश के बाद 23345.28 मिलियन रु. की यह राशि एआईएएचएल को स्थानान्तरित की गई। बकाया राशि पर डीईए से ब्याज लेने का निर्णय लंबित होने के कारण होल्डिंग कम्पनी ने औसत बकाया राशि पर गणना करते हुए प्रतिवर्ष @ 9% की दर से ब्याज लेने का निर्णय लिया है।	23,345.28	-
एआई एसेट्स होल्डिंग लि. के कारण यह राशि एआईएएचएल से प्राप्त हुई है जिस पर एआईएएचएल के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार प्रतिवर्ष 1% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है। पुनर्भुगतान से लंबित विनियम एवं शर्तें, इस अग्रिम को अल्पावधि कार्य के रुप में दर्ज किया गया है।	562.50	-
कुल	**23,907.78**	**20,656.16**

नोट सं. 17

लीज़ देयताएं	**31 मार्च, 2022 को** **(मिलियन रु. में)**	**31 मार्च, 2021 को** **(मिलियन रु. में)**
लीज़ देयताएं का चालू भाग **(नोट संदर्भ सं. 15)**	2,608.93	2,252.96
कुल	**2,608.93**	**2,252.96**

नोट सं. 18

व्यापार देय	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	2.41	4.89
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय	-	-
– व्यय हेतु प्रावधान	1,276.03	1,060.37
– वेंडर भारत में	6,469.02	4,434.65
– वेंडर–भारत से बाहर	794.32	1,203.64
– संबंधित पार्टी–देय	2,236.42	2,041.75
– आपूर्तिकर्ता–रैमको*	324.77	396.34
कुल	**11,102.97**	**9,141.64**

* जीआरएन और पीओ से संबंधित आपूर्तिकर्ता–रैमको लेज़र का मिलान और समाधान प्रक्रियाधीन है।

विवरण	**चालू वर्ष**			**मिलियन रु. में**	
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई	2.41				2.41
ii) अन्य	5786.52	797.42	2400.87	2115.75	11100.56
iii) विवादित देय – एमएसएमई					
iv) विवादित देय – अन्य					
कुल	**5788.93**	**797.42**	**2400.87**	**2115.75**	**11102.97**

विवरण	**चालू वर्ष**			**मिलियन रु. में**	
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई	4.89				4.89
ii) अन्य	3795.22	2634.06	1558.46	1149.01	9136.75
iii) विवादित देय – एमएसएमई					
iv) विवादित देय – अन्य					
कुल	**3800.11**	**2634.06**	**1558.46**	**1149.01**	**9141.64**

नोट सं. 19

अन्य चालू वित्तीय देयताएं	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
अर्नेस्ट धन जमा	2.02	2.72
सुरक्षा जमा	310.05	305.83
अन्य	233.76	153.02
कुल	**545.83**	**461.57**

नोट सं. 20

चालू प्रावधान	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
उपदान देयता हेतु प्रावधान	2.77	2.38
उपदान का चालू भाग (नोट सं. 15 में उल्लिखित)		
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	1.57	1.44
छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट सं. 15 में उल्लिखित)		
कुल	**4.34**	**3.82**

नोट सं. 21

अन्य चालू देयताएं	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
ग्राहक से अग्रिम	2.43	-
देय सांविधिक भुगतान		
– जीएसटी पर टीडीएस देय	1.64	3.50
– आयकर के अनुसार टीडीएस देय	258.85	107.43
– जीएसटी देय	33.79	39.25
– देय भविष्य निधि	4.30	6.09
– देय सेवाकर*	31.13	31.13
– अन्य	0.24	0.17
कुल	**332.38**	**187.57**

* यह राशि मैसर्स गति से संबंधित है। मामला विचाराधीन है।

नोट स. 22

प्रचालन से राजस्व	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
1. प्रचालन राजस्व		
सेवा की बिक्री से		
i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		
क) यात्री	4,193.48	2,443.63
ख) अतिरिक्त सामान	67.80	38.08
ग) डाक	3.72	2.13
घ) कार्गो	18.90	51.95
	4,283.90	2,535.79
ii) गैर अनुसूचित–यातायात सेवाएं		
क) चार्टर	20.72	17.18
ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता	2,842.10	1,971.11
	2,862.82	1,988.29
iii) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
हैंडलिंग सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	28.57	11.31
	28.57	11.31
कुल	**7,175.29**	**4,535.39**

नोट सं. 23

अन्य आय	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
1. सावधि जमा पर ब्याज	42.04	55.30
2. आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	23.61	-
3. अन्य – प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रिर्टन बैक	0.16	1.58
कुल	**65.81**	**56.88**

नोट सं. 24

अन्य प्रचालन व्यय	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	(मिलियन रु. में)	**(मिलियन रु. में)**
i) विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार		
विमान इंजन की लीज़	3.45	22.29
हैंडलिंग	349.08	256.28
अनुरक्षण	1,790.95	1,179.48
	2,143.48	1,458.05
ii) मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग		
अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन	16.76	13.48
हाउसिंग और पार्किंग शुल्क	13.17	16.46
उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार	170.50	94.74
	200.43	124.68
iii) अन्य संचार प्रभार		
आरक्षण प्रणाली पर व्यय	268.53	129.87
पोस्टेज़ टेलीग्राम और कुरियर प्रभार	0.09	0.08
टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार	1.20	1.46
	269.82	131.42
iv) यात्री सुविधाएं		
उड़ानगत एवं होटल उपभोज्य सामग्रियों की खपत		
पैक्स सुविधाएं– स्थल पर केटरिंग	2.40	1.78
पैक्स सुविधाएं– विमान पर केटरिंग	53.63	30.00
पैक्स सुविधाएं– होटल व्यय	1.17	3.71
पैक्स कॉल सेंटर प्रभार	19.16	15.25
पैक्स सुविधाएं– समाचार पत्र और पत्रिकाएं	0.02	0.05
	76.38	50.79
v) बीमा		
बीमा –विमान	101.87	122.41
बीमा सामान्य	0.01	0.01
	101.88	122.42
vi) इनवेंटरी खपत		
उपभुक्त सामग्री – विमान	165.46	155.68
अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल)	34.83	(19.48)
	200.29	136.20
vii) बुकिंग एजेंसी का कमीशन (निवल)		
टिकट विक्रय पर कमीशन	44.73	40.65
	44.73	40.65
कुल	**3,037.01**	**2,064.21**

नोट सं. 25

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2021 को (मिलियन रु. में)
1. वेतन– मजदूरी और बोनस		
वेतन –भारत में कर्मचारी	898.86	693.74
बोनस व्यय	7.22	6.98
	906.08	700.72
2. क्रू भत्ते		
विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे	231.47	318.76
	231.47	318.76
3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान		
सीसी भविष्य निधि– भारत में कर्मचारी	17.18	14.88
	17.18	14.88
4. स्टॉफ कल्याण व्यय		
अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय	16.92	21.79
स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	74.98	71.41
	91.90	93.20
5. उपदान	14.43	12.53
6. छुट्टी नकदीकरण	1.35	8.89
कुल	**1,262.41**	**1,148.98**

नोट सं. 26

वित्तीय लागत	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2021 को (मिलियन रु. में)
(i) ऋण पर ब्याज		
– होल्डिंग कम्पनी द्वारा प्रभारित ब्याज*	1,837.20	1,614.00
(ii) लीज़ देयताओं पर ब्याज व्यय	207.85	222.24
(iii) लीज़ देयताओं पर विदेशी मुद्राओं का प्रभाव	612.63	(856.70)
(iv) बैंक प्रभार	21.52	9.60
(v) ईंधन कम्पनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार	255.23	213.53
(vi) संबंधित पार्टियों और अन्य द्वारा प्रभारित ब्याज	237.76	204.28
कुल	**3,172.19**	**1,406.95**

* एआई और एआईएएचएल द्वारा बकाया राशि पर औसत 09% की दर से ब्याज लगाया गया है। एआईएएचएल द्वारा 562.50 मिलियन रुपए जमा किए गए जिस पर 01% की दर से ब्याज लगाया गया है।

नोट सं. 27

अन्य व्यय	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2021 को (मिलियन रु. में)
यात्रा व्यय	25.04	32.20
किराया	29.12	26.56
मरम्मत प्रभार	1.37	2.11
परिवहन का किराया	33.83	36.77
विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार	6.48	5.79
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.01	1.93
प्रचार और विक्रय संवर्धन	0.15	1.15
कोविड व्यय	8.22	21.02

अन्य व्यय	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2021 को (मिलियन रु. में)
विधिक प्रभार	2.38	0.16
लेखा परीक्षकों को भुगतान	1.21	1.63
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय	31.63	20.82
इनपुट रिवर्सल	11.83	36.36
मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	(125.53)	105.61
डीजीसीए को शुल्क	1.13	2.19
कार्यालय सफाई हेतु व्यय	-	0.07
मनोरंजन व्यय–सामान्य	0.12	0.10
पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी	22.45	46.55
परिसम्पत्ति बिक्री या स्क्रैप्ड पर अंतशेष हानि	0.01	-
अन्य विविध खर्चे	4.62	2.47
टीडीएस का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	35.65	31.36
सेवा कर/जीएसटी का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	0.57	2.47
इनवेंटरी की कमी हेतु प्रावधान	31.13	-
कुल	**126.42**	**377.32**

नोट सं. 28

प्रतिशेयर आय का प्रकटीकरण इंड–एएस 33	31 मार्च, 2022 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2021 को (मिलियन रु. में)
क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या		
आरंभिक	4,02,25,000	4,02,25,000
जारी		-
वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या (भाजक के रुप में उपयोग करना)	4,02,25,000	4,02,25,000
ख) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ (अंश के रुप में उपयोग करना) (मिलियन रु. में)	(4,477.63)	(3,600.94)
ग) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रु. में)	(111.31)	(89.52)
घ) शेयर का अंकित मूल्य (रु. में)	100.00	100.00

29 विनिवेश प्रक्रिया

एयर इंडिया लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया के हिस्से के रूप में और एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार, एसपीवी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल), जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, को 22 जनवरी 2018 में शामिल किया गया था।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने पत्र संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से एयर इंडिया की चार सहायक कंपनियों (एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड में हस्तांतरित करने के निर्णय से अवगत कराया था। एयर इंडिया के विनिवेश के कारण और यह देखते हुए कि सहायक कंपनियों को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) में स्थानांतरित किया जा रहा है, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) सहायक कंपनियों की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। इसके अलावा, उपरोक्त आदेश के अनुसार, एयर इंडिया की सभी सहायक कंपनियों (एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार एयर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों यानी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल), एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल), एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल) और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई) से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को, उपरोक्त सहायक कंपनियों के शेयरों को एआई से एआईएएचएल को बुक वैल्यू पर स्थानांतरित किया जा रहा था। तदनुसार, एएएल के शेयरों के हस्तांतरण के लिए एआई और एआईएएचएल के बीच शेयर खरीद अनुबंध (एसपीए) 10 जनवरी 2022 को निष्पादित किया गया।

भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयर धारिता एयर इंडिया लिमिटेड से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के बोर्ड को भी 25 जनवरी 2022 से पुनर्गठित किया गया है। परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की नई मूल कंपनी/होल्डिंग कंपनी बन गई है।

30. इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटीकरण –प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

क. आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

एएएल के विरूद्ध दावों को, ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है (ब्याज और दंड को छोड़कर (जिसके लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जहां लागू हो) और सुनिश्चियन व परिणाम निर्धारित किए जाने तक प्रतिवादित किए जा रहे हैं।

(रु. मिलियन में)

विवरण	01.04.2021 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	प्रावधान के विरूद्ध प्रभारित राशि	वर्ष के दौरान हटाई गई अप्रयुक्त राशि	छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	31 मार्च 2022 को शेष
कंपनी को प्राप्त आय कर मांग नोटिस जो अपील के अधीन है	37.16	11.59	14.04	17.43	लागू नहीं	17.28
* अन्य आकस्मिक देयताओं पर अन्य दावे	117.26	शून्य	95.18	5.12	लागू नहीं	16.96
सकल योग	**154.42**	**11.59**	**109.22**	**22.55**	**लागू नहीं**	**34.24**

ख. *अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण

विविध दावों **16.96 मिलियन रु.** (पिछले वर्ष में 117.26 मिलियन रु.) सहित

- विभिन्न विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त दावे मिलियन रु. कोई नहीं (पिछले वर्ष–95.18 मिलियन रु.) इंजीनियरिंग द्वारा सेवाओं के लिए सहमत शर्तों के गैर–अनुपालन के आधार पर स्वीकार्य नहीं है और इन्हें एएएल द्वारा विवादित माना गया है।
- चल रहे कानूनी मामलों के संबंध में 16.96 मिलियन रु. (22.08 मिलियन रु.) के अनिश्चित कानूनी दावे।

ग) पूंजीगत और अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रु. मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
–	कोई नहीं	कोई नहीं

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 2 एटीआर–42 600 और 2 डोर्नियर डीओ–228 के प्रचालन के लिए मैसर्स ट्रूनोर्ड जांस्कर लि. और मैसर्स एयरोनॉटिक्स लि. के साथ लीज़ समझौता किया है।

घ) रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान

रि–डिलीवरी के प्रावधानों में गतिविधियों का प्रकटन यहां किया गया है:

(राशि रु. मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	542.33	507.34
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	90.92
वर्ष के दौरान प्रावधानों पर ब्याज वृद्धि	5.34	5.07
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि/समायोजन	-	(41.91)
प्रांरभिक प्रावधान बहाल करने पर विनिमय हानि का प्रभाव	-	-
अंतशेष प्रावधान बहाल करने पर विनिमय लाभ/हानि का प्रभाव	23.98	(19.09)
वर्ष के अंत में शेष	**571.65**	**542.33**
वर्ष के अंत में शेष – गैर–चालू	**571.65**	**542.33**
वर्ष के अंत में शेष – चालू	**-**	**-**

31. इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटीकरण ''लेखा नीति, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन''

वर्ष के दौरान कंपनी ने **शून्य रुपए** (पिछले वर्ष 345.74 मिलियन रु.) की पूर्व अवधि त्रुटि की पहचान की है।

32. वास्तविक सत्यापन व समाधान

क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

कम्पनी की नीति के अनुसार कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर एवं फिक्सचर, इंजन और एयरफ्रेम रोटेबल आदि से युक्त सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन और मिलान द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य का लगभग 98% भाग दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर स्थित है।

दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर स्थित सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन और मिलान 31.03.2022 तक पूरा कर लिया गया है।

परिसम्पत्ति मुख्य रूप से फर्नीचर, फिक्सचर और ग्राउंड स्पोर्ट उपस्कर से युक्त है जिसका सकल मूल्य 3.29 मिलियन रु. है और 14,952 निवल बही मूल्य सामान्य टूट–फूट के कारण किफायती मरम्मत से परे पाए गए।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 31.03.2022 को लेखा बहियों में आवश्यक समाधान एवं लेखांकन कार्रवाई की जा चुकी है।

ख) विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन

विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रुप दिया जाता है।

इनवेंटरी का वर्तमान वास्तविक सत्यापन वित्त वर्ष 2021–22 में किया गया। वर्ष 2021–22 में कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया।

वर्ष 2021–22 की अवधि के लिए विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन पूरा हो चुका है और यह पाया गया है कि 52.22 मिलियन रु. की कमी और 5.22 मिलियन रु. की अधिकता है। सक्षम प्राधिकारी से लंबित अनुमोदन 31.13 मिलियन रु. के निवल प्रावधान है। मौजूदा प्रावधान में 15.86 मिलियन रु. की कमी बही खातों में पाई गई है।

ग) पुष्टि/समाधान

1) कंपनी ने प्रमुख प्राप्तियों, भुगतानों के लिए शेष राशि की पुष्टि मांगी है। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष राशि बहियों के अनुसार सही नहीं है वहां अंतर के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

अपुष्टिकृत शेष का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

(राशि मिलियन रु. में)

खाता शीर्ष	खातों के अनुसार शेष राशि	शेष अपुष्ट राशि	अपुष्ट राशि का %
व्यापार देय	11,102.97	38.81	0.35%
व्यापार प्राप्य	805.13	29.47	3.66%

2) 31 मार्च 2022 को शेष पुष्टिकरण प्रमाण पत्र सभी विक्रेताओं और ग्राहकों को भेज दिए गए हैं। विक्रेताओं के मामले में कुल राशि के मामले में 99.65% (पिछले वर्ष 91.70%) से पुष्टि प्राप्त हो गई है और ग्राहकों के मामले में सभी पार्टियां सरकारी विभाग/मंत्रालय हैं और 31 मार्च 2022 तक कुल देय राशि का 96.34% (पिछले वर्ष 98.06%) पुष्टि की है।

3) 324.77 मिलियन रु. की राशि आपूर्तिकर्ता सस्पेंस लेज़र के बही खातों पर शेष है। जीआरएन और पीओ से संबंधित आपूर्तिकर्ता रैमको, सस्पेंस लेज़र का समाधान और मिलान प्रक्रिया में है। समाधान के पूरा होने के वर्ष में इन लेज़रों का समायोजन किया जाएगा। प्रबंधन के मत के अनुसार समायोजन का लाभ और हानि खाते के विवरण में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

33. आंतरिक नियंत्रण

विनियामक और संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ निगमित प्रशासन का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास व्यवसाय के सुचारू और कुशल प्रचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया है। सुचारू रुप से निर्णय लेने के लिए व्यापक रुप से शक्तियों का प्रत्यायोजन मौजूद है जो कि बदलते व्यवसायिक वातावरण और त्वरित निर्णय लेने के अनुरुप आवधिक समीक्षा करता है। समान रुपी अनुपालन के लिए खातों को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जाँच और बकाया सही है, सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है। इसके अलावा आंतरिक लेखा परीक्षक के दायरे की समय–समय पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों और एसएपी में लेनदेन की एक समान और समयबद्ध लेखा प्रविष्टियों के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखने हेतु कम्पनी के अलावा लेखा परीक्षा समिति है।

वर्ष 2021–22 के दौरान कोई नई गतिविधि और प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आईएफसी के तहत प्रस्तुत जोखिम मैट्रिक्स की समीक्षा की गई है और 2021–22 में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

34. इनवेंटरी

1. इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियां और एटीआर विमानों के उपकरण शामिल हैं। एटीआर विमानों में विशेष उपयोग के लिए पुर्जो को एमएमडी विभाग के माध्यम से खरीदा जा रहा है और रैमको नामक इनवेंटरी प्रबंधन प्रणाली की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका उपयोग एआईईएसएल द्वारा मेंनटेन की जाने वाली संपूर्ण एयर इंडिया समूह की कंपनियों की इनवेंटरी को खरीदने, नियंत्रित करने, जारी करने और प्रबंधित करने के लिए भी किया जाता है। उपभोग्य सामग्रियों सहित इनवेंटरी के लिए, जिसका उपयोग आमतौर पर एटीआर, एयरबस और बोइंग विमान के लिए किया जा सकता है एआईएल द्वारा या एएएल द्वारा खरीदे जा रहे हैं।
2. रैमको और एसएपी के बीच इंटरफ़ेस को लागू किया गया ताकि रैमको में होने वाले सभी लेनदेन अब इंटरफेस के माध्यम से सीधे एसएपी में हो सकें।

35 एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समाधान की स्थिति

1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समाधान किया जा चुका है और 31.3.2022 तक समाधान किया गया है।

2) बीआईएएल, डीआईएएल, एचआईएएल और एमआईएएल के साथ खातों का समाधान 31.03.2022 तक कर लिया गया है।

36. इंड–एएस 108 के अनुसार प्रकटीकरण ''ऑपरेटिंग सेगमेंट''

क. इंड एएस–108 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन से संबंधित व्यवसाय में है, जो इसका प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट है और इसलिए सेगमेंट के परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रवार अर्जित सकल यात्री राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र से यात्री ने यात्रा प्रारंभ की है, उस क्षेत्र में राजस्व आबंटित करके व्युत्पन्न) निम्नानुसार हैं:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
भारत	7,175.29	4,535.39
भारत से बाहर	0.00	0.00
कुल	**7,175.29**	**4,535.39**

कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति, विमान बेड़ा है, जो कम्पनी के रूट नेटवर्क में लचीले और अनुकूलतम रूप से तैनात है। भौगोलिक सेगमेंट में परिसंपत्तियों और देयताओं के आबंटन के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं है, इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रवार संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

37. इंड–एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण''

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–24) के अनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान आवश्यक संबंधित पार्टियों के नाम और पदनामों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

i) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क. निदेशक मंडल, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) (वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि से आज तक)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
1	श्री राजीव बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया लि.	अध्यक्ष	14/02/2020	21/01/2022
2	श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया लि.	अध्यक्ष	24/01/2022	25/01/2022
3	श्री विनोद एस. हेजमाड़ी निदेशक (वित्त) एयर इंडिया लि.	निदेशक	20/11/2015	25/01/2022
4	श्रीमती मीनाक्षी मलिक निदेशक (वाणिज्य) एयर इंडिया लि.	निदेशक	14/07/2020	25/01/2022
5	श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	31/08/2018	25/01/2022
6	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	निदेशक	25/01/2022	27/01/2022
7	श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	अध्यक्ष	27/01/2022	आज तक
8	श्रीमती उषा पाढी संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	25/01/2022	आज तक

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
9	श्री प्रांजोल चंद्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	11/02/2022	आज तक
10	श्री दीपक सजवान उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	27/01/2021	आज तक

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समापन की तिथि
1.	श्रीमती हरप्रीत ए.डी. सिंह	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	03/11/2020	31/07/2021
2.	श्री विनीत सूद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	31/07/2021	आज तक
3.	श्री अम्बर कुमार मंडल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26/07/2019	आज तक
4.	श्रीमती मंजिरी एम. वझे	कम्पनी सचिव	21/03/2017	14/01/2022
5.	श्रीमती शिल्पा भाटिया	कम्पनी सचिव	14/01/2022	आज तक

ग. संबंधित पार्टियां:

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित संबंधित पार्टियां हैं जो पार्टियां (सरकार) हैं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

नाम	संबंधों की प्रकृति	नियंत्रण प्रभाव
एयर इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी 25.01.2022 तक	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली इकाई
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड)	सहयोगी संस्था (एयर इंडिया की सहायक कंपनी) तत्पश्चात् 12.01.2022 से एआईएएचएल की सहायक कम्पनी	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)	सहयोगी संस्था (एयर इंडिया की सहायक कंपनी) तत्पश्चात् 13.01.2022 से एआईएएचएल की सहायक कम्पनी	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
भारतीय होटल निगम	सहयोगी संस्था (एयर इंडिया की सहायक कंपनी) तत्पश्चात् 11.01.2022 से एआईएएचएल की सहायक कम्पनी	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।
एयर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड	सहयोगी संस्था एयर इंडिया के विनिवेश तक	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।

ii) पार्टी (सरकार के अलावा)

एयर इंडिया सैट्स	एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण नहीं है।

घ. संबंधित पार्टी लेनदेन

i. वर्ष 2021–22 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 3.81 मिलियन रुपये (पिछले वर्षः 2.02 मिलियन रुपये) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी को 1.71 मिलियन रुपये (पिछले वर्षः 1.29 मिलियन रुपये) और कम्पनी सचिव को 0.37 मिलियन रु. पारिश्रमिक और अनुलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

ii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों में एयरलाइन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेन उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

iii. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

iv. कार्गो कमीशन की राशि शून्य मिलियन रु., (पिछले वर्षः शून्य) यात्री कमीशन की राशि 44.73 मिलियन रु., (पिछले वर्षः 40.65 मिलियन रुपये) पीजीपी को एमएसएफ कमीशन 18.96 मिलियन रु., (पिछले वर्षः 18.06 मिलियन रुपये) क्रेडिट कार्ड पर बैंक शुल्क 58.46 मिलियन रु. (पिछले वर्षः 16.83 मिलियन रुपये) के आधार पर एआईएल द्वारा आबंटित राशि के आधार पर एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट।

v. अतिरिक्त सामान विक्रय, नो शो प्रभार, रद्दकरण के संबंध में एएएएल ने एआई और एएएएल के सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के आधार पर 322.84 मिलियन रु. (पिछले वर्षः 213.50 मिलियन रुपये) के राजस्व की गणना की है।

vi. इंड एएस 24 के संबंध में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और गैर सरकारी संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं।

ड. लेनदेन विवरण – संबंधित पार्टी

1. एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य सहयोगी संस्था (एयर इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनी)

ब्यौराः

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	1 अप्रैल, 2021 से 20 जनवरी, 2022 तक (राशि मिलियन रु. में)	2020–21 (राशि मिलियन रु. में)
क) एयर इंडिया लि.		
(20.01.2022 तक होल्डिंग कम्पनी होने के कारण)		
व्यय/एयर इंडिया लि. द्वारा सेवा प्राप्त हुई		
हैंडलिंग	25.05	33.16
एसओडी	4.61	6.21
कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	112.78	71.80
निगमित गारंटी प्रभार	16.81	22.00
एआईएल द्वारा प्रभारित ब्याज	1,433.15	1,614.00
बीमा	9.57	11.13
अन्य व्यय	6.03	0.87

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	**1 अप्रैल, 2021 से 20 जनवरी, 2022 तक (राशि मिलियन रु. में)**	**2020–21 (राशि मिलियन रु. में)**
अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	2.15	-
एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	(1.67)	(1.79)
एयर इंडिया लि. के निम्नलिखित विनिवेश के कारण एयर इंडिया लि. का अंतशेष एआईएएचएल को स्थानांतरण (क्रेडिट)*	**23,345.28**	**20,657.32**
एएएएल की ओर से एआईएल द्वारा (20 जनवरी, 2022 से) दी गई निगमित गारंटी	4,556.67	4,400.64

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति (एयर इंडिया लि. के विनिवेश तक)	**2021–22 (जनवरी, 2022 तक) (राशि मिलियन रु. में)**	**2020–21 (राशि मिलियन रु. में)**
ख) एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्रा. लि.		
व्यय हैंडलिंग प्रभार	118.67	124.63
अंतशेष (क्रेडिट)*	**501.85**	**435.22**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति (एयर इंडिया लि. के विनिवेश तक)	**2021–22 (जनवरी, 2022 तक) (राशि मिलियन रु. में)**	**2020–21 (राशि मिलियन रु. में)**
ग) एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड		
इनवेंटरी का स्थानांतरण	0.003	0.13
एएएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	(0.85)	(1.27)
अंतशेष (क्रेडिट)	**(0.54)**	**(1.79)**

2. 21.01.2022 से मूल कम्पनी एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) एवं अन्य सहयोगी संस्था

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति **क) 21.01.2022 से एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल)**	**21.01.2022 से 31.03.2022 तक (राशि मिलियन रु. में)**	**2020–21 (राशि मिलियन रु. में)**
व्यय ब्याज	404.05	-
अंतशेष (क्रेडिट)	**24,320.69**	-
एएएएल की ओर से एआईएएचएल द्वारा (21 जनवरी, 2022 से) दी गई निगमित गारंटी	2,012.29	-

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति **ख) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.**	**2021–2022 (राशि मिलियन रु. में)**	**2020–21 (राशि मिलियन रु. में)**
व्यय होटल आवास	0.43	1.09
अंतशेष (क्रेडिट)	**0.52**	**0.30**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति ग) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) पूर्व में एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.	2021–2022 (राशि मिलियन रु. में)	2020–21 (राशि मिलियन रु. में)
व्यय		
मरमत्त अन्य	499.22	453.44
मानव शक्ति	50.81	-
एएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	-	(1.53)
ब्याज	134.59	117.10
अंतशेष (क्रेडिट)	**1,710.52**	**1,414.87**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति घ) एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) पूर्व में एयर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि.	2021–2022 (राशि मिलियन रु. में)	2020–21 (राशि मिलियन रु. में)
व्यय हैंडलिंग प्रभार	191.29	124.00
क्रेडिट प्राप्त हुआ एएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	(0.95)	(0.86)
ब्याज	70.18	75.32
अंतशेष (क्रेडिट) *	**911.11**	**718.52**

*** वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान सहित अंतशेष**

(3) भविष्य निधि ट्रस्ट के साथ लेन–देन

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	2021–22		2020–21	
	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2022 को देय	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2021 को बकाया
एएएसएल पीएफ ट्रस्ट	17.18	3.60	14.88	6.10

(4) संबंधित सरकारी संस्थाओं से प्रमुख लेनदेन

संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ कंपनी के राजस्व और व्यय के प्रमुख लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	2021–22	2020–21
	व्यय		
i)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (स्थान सहित)	190.29	125.37
ii)	तेल कंपनियाँ		
	इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड	1,082.39	610.39
	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	414.81	166.69
	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	324.44	183.10
	राजस्व		
i)	**सरकार से प्रचालन हेतु सब्सिडी**		
	भारत सरकार	2,842.10	1,971.11
ii)	**चार्टर राजस्व – अन्य**		
	भारत सरकार	20.72	17.18

नोटः सरकार/सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन–देन में वे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने, अन्य सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ भी अन्य लेनदेन किया है। तथापि, ये लेनदेन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

38. कर्मचारी लाभ

कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार, स्वतंत्र एक्चूरीज़ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र तिथि के अनुसार ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।

क. सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण सभी योग्य कर्मचारियों को देय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नगदीकरण देयता 1.35 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 8.89 मिलियन रुपये) है।

ख. परिभाषित लाभ योजना–

1) भविष्य निधि (फंडेड)

कंपनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर का भुगतान सुनिश्चित करे।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास योजना से रिफंड के रूप में या बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 0.23 मिलियन रुपये के शुद्ध अधिशेष के लिए योजना में भविष्य में कम योगदान के रूप में लाभों का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को एक परिसंपत्ति के रूप में और 'अन्य व्यापक आय' में बीमांकिक लाभ के रूप में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि यह भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित है न कि कंपनी से।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, तुलन पत्र की तारीख पर निम्न तालिका भविष्य निधि योजना की स्थिति निर्धारित करती है

	परिसंपत्तियां / देयताएं	**31 / 03 / 2022**
क	वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	42,04,71,990
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	42,06,98,749
ग	निवल परिसंपत्तियां / (देयताएं) तुलन पत्र में मान्य प्रावधान	2,26,759

दायित्व के वर्तमान लाभ में परिवर्तन

		31 / 03 / 2022
क	अवधि के आरंभ में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	37,51,95,284
ख	ब्याज लागत	3,09,45,799
ग	चालू सेवा लागत	1,71,82,965
घ	योजना प्रतिभागियों / कर्मचारियों द्वारा योगदान	2,20,41,466
ड.	लाभ भुगतान	(2,39,61,574)
च	दायित्व पर कुल एक्चूरियल (लाभ) / हानि में परिवर्तन	(9,31,950)
छ	निपटान / स्थानान्तरण में	--
ज	**अवधि के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**	42,04,71,990

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

		31 / 03 / 2022
क	अवधि के आरंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	37,65,26,190
ख	योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	2,89,09,702
ग	नियोक्ता का अंशदान	1,71,82,965

घ	योजना प्रतिभागियों / कर्मचारियों का अंशदान	2,20,41,466
ड.	लाभ भुगतान	(2,39,61,574)
च	निपटान / स्थानान्तरण में	--
छ	**अवधि के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**	42,06,98,749

2) ग्रेच्यूटी (अनफंडेड)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है जो अनफंडेड है और इसे अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में पहचानता है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। ग्रेच्यूटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कम्पनी योजना के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती या समझौते नहीं थे।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता में परिवर्तन

क) परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का समाधान

2.1 (क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।

अवधि	**01–04–2021 से 31–03–2022**	**01–04–2020 से 31–03–2021**
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,69,88,047	5,67,78,149
ब्याज लागत	48,56,633	39,74,470
चालू सेवा लागत	95,69,809	85,50,945
पूर्व सेवा लागत	0	0
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(30,30,159)	(6,96,865)
एक्चूरियल (लाभ) / हानि	(37,14,406)	(16,18,652)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,46,69,924	6,69,88,047

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ) / हानि का विभाजन

अवधि	**01–04–2021 से 31–03–2022**	**01–04–2020 से 31–03–2021**
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ) / हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ) / हानि	(21,22,388)	0
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ) / हानि	(15,92,018)	(16,18,652)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(37,14,406)	(16,18,652)

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	**31–03–2022 तक**	**31–03–2021 तक**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,46,69,924	6,69,88,047
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं / (परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	7,46,69,924	6,69,88,047
वित्तीय स्थिति – अधिशेष / (घाटा)	(7,46,69,924)	(6,69,88,047)

2.3 (क) लाभ और हानि विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
ब्याज लागत	48,56,633	39,74,470
चालू सेवा लागत	95,69,809	85,50,945
पूर्व सेवा लागत	0	0
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	1,44,26,442	1,25,25,415

2.3 (ख) अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनःमापन)

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित	(1,49,34,832)	(1,33,16,180)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – दायित्व	(37,14,406)	(16,18,652)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां	0	0
कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(37,14,406)	(16,18,652)
कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(1,86,49,238)	(1,49,34,832)

2.3 (ग) निवल ब्याज लागत

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
निर्धारित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	48,56,633	39,74,470
योजना परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	48,56,633	39,74,470

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
योजना देयताओं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(15,92,018)	(16,18,652)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2022 को	31–03–2021 को
कर्मचारियों की संख्या	835	764
कुल मासिक वेतन	1,74,66,564	1,40,25,920
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.9	6.9
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	22.3	23.1
औसत आयु (वर्ष)	37.7	36.9
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	16	16
औसत मासिक वेतन	20,918	18,359
कमी (वर्षों) को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित भावी सेवा	16	

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई एक्च्यूरियल मान्यताएं और गणनाओं के लिए लागू निम्नानुसार हैंः

डिस्काउंट दर	7.25% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012–14	आईएएलएम 2012–14
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभः

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।
सीमा	20,00,000.00	20,00,000.00

3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	31–03–2022 को	31–03–2021 को
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	27,77,804	23,78,297
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	7,18,92,120	6,46,09,750
कुल देयताएं	**7,46,69,924**	**6,69,88,047**

3.5 इकाई के भविष्य के नकदी प्रवाह पर योजना के प्रभाव

3.5(क) वित्त प्रबंधन और वित्तीय पोषण नीति–

लागू नहीं

3.5(ख) आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संभावित योगदान

आगामी वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान	1,08,54,815	91,69,416

3.5(ग) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइल–भारित औसत

भारित औसत अवधि वर्ष में (डिस्काउंटेड नकद प्रवाह पर आधारित)	16	16

3.5(घ) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइलः लाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण।

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	27,77,804
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024	9,88,079
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025	16,14,264
01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026	16,97,896
01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027	12,33,969
01 अप्रैल 2027 से आगे	6,63,57,912

3.6 अगली अवधि के लिए प्रक्षेपण:

अगली अवधि के दौरान योगदान के लिए सर्वोत्तम अनुमान	1,08,54,815	

3.7 संवेदनशीलता विश्लेषण: परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

अवधि	**31–03–2022 को**
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	7,46,69,924@ वेतन वृद्धि दर:8% और डिस्काउंट दर: 7.25%
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% वृद्धि सहित	6,63,87,372; x=1.00% [परिवर्तन 11%]
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% कमी सहित	8,45,46,503; x=1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% वृद्धि सहित	8,43,72,875; x=1.00% [परिवर्तन 13%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% कमी सहित	6,63,69,958; x=1.00% [परिवर्तन (11)%]
देयताएं –निकासी दर में x% वृद्धि सहित	7,39,37,941; x=1.00% [परिवर्तन (1)%]
देयताएं –निकासी दर में x% कमी सहित	7,54,85,869; x=1.00% [परिवर्तन 1%]

3.8 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	**01–04–2021 से 31–03–2022**	**01–04–2020 से 31–03–2021**
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	6,69,88,047	5,67,78,149
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	1,44,26,442	1,25,25,415
ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि)/हानि– कुल वर्तमान अवधि	(37,14,406)	(16,18,652)
लाभ देय (यदि कोई हो)	(30,30,159)	(6,96,865)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	7,46,69,924	6,69,88,047

3) छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड)

कंपनी की भारत में परिभाषित लाभ छुट्टी योजना (अनफंडेड) है जिसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में माना जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य में तय किए जाने वाले लाभ की राशि है, जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभ में छूट दी गई है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है।

2.1 (क) वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है।

अवधि	**01–04–2021 से 31–03–2022**	**01–04–2020 से 31–03–2021**
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,40,69,349	2,54,83,067
ब्याज लागत	24,70,028	17,83,815
चालू सेवा लागत	52,81,085	56,09,101
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(70,875)	(3,04,920)

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(63,96,172)	14,98,286
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,53,53,415	3,40,69,349

2.1(ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(10,25,378)	0
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(53,70,794)	14,98,286
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(63,96,172)	14,98,286

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	31–03–2022 तक	31–03–2021 तक
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,53,53,415	3,40,69,349
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	3,53,53,415	3,40,69,349
वित्तीय स्थिति–अधिशेष/(घाटा)	(3,53,53,415)	(3,40,69,349)

2.3(क) लाभ और हानि की विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
ब्याज लागत	24,70,028	17,83,815
चालू सेवा लागत	52,81,085	56,09,101
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
निवल एक्चूरियल (लाभ)/हानि की अवधि में मान्य	(63,96,172)	14,98,286
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	13,54,941	88,91,202

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(53,70,794)	14,98,286
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2022 को	31–03–2021को
कर्मचारियों की संख्या	835	764
कुल मासिक वेतन	1,74,66,564	1,40,25,920
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.9	6.9
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	22.3	23.1

अवधि	**31—03—2022 को**	**31—03—2021को**
औसत आयु (वर्ष)	37.7	36.9
कैप के साथ/कैप रहित कुल अवकाश	43,879/43,892	43,114/43,134
कुल सीटीसी/उपलब्ध दर	3,49,33,128 / 3%	2,80,51,840 / 3%
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	17	18
औसत मासिक वेतन	20,918	18,359
कमी (वर्षों) को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित भावी सेवा	16	

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई बीमांकिक मान्यताओं और गणनाओं के लिए नियोजित किया गया।

डिस्काउंट दर	7.25% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आइएएलएम 2012—14	आइएएलएम 2012—14
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)	3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)	2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभः

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कम्पनी के नियमानुसार	कम्पनी के नियमानुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या	1/30 *वेतन, *छुट्टियों की संख्या
जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार

3.4 चालू देयताएं (* कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	**31—03—2022 को**	**31—03—2021 को**
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	15,65,018	14,40,763
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	3,37,88,397	3,26,28,586
कुल देयताएं	**3,53,53,415**	**3,40,69,349**

3.5 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैः

अवधि	**31—03—2022 को**
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	3,53,53,415
देयताएं —डिस्काउंट दर में x% वृद्धि सहित	3,12,81,779; = 1.00% [परिवर्तन(12)%]
देयताएं —डिस्काउंट दर में x% कमी सहित	4,02,51,457x = 1.00% [परिवर्तन 14%]
देयताएं —वेतन वृद्धि दर में x % वृद्धि सहित	4,01,65,012; x = 1.00% [परिवर्तन 14%]

अवधि	31–03–2022 को
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% कमी सहित	3,12,73,221; x = 1.00% [परिवर्तन (12)%]
देयताएं –निकासी दर में x% वृद्धि सहित	3,50,82,330; x = 1.00% [परिवर्तन (1)%]
देयताएं –निकासी दर में x% कमी सहित	3,56,65,334; x = 1.00% [परिवर्तन 1%]

3.6 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	01–04–2021 से 31–03–2022	01–04–2020 से 31–03–2021
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	3,40,69,349	2,54,83,067
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	13,54,941	88,91,202
लाभ देय (यदि कोई हो)	(70,875)	(3,04,920)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	3,53,53,415	3,40,69,349

39. आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता

कंपनी घाटे में रही है, इसलिए इस बात के ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके स्थान पर अप्रयुक्त कर नुकसान, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग यूनिट द्वारा निकट भविष्य में किया जा सकता है, वित्तीय विवरणीयों में आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयताओं की गणना नहीं की गई है।

40. इंड–एएस 33 के अनुसार प्रकटीकरण ''प्रति शेयर आय''

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर पश्चात लाभ/(हानि) विवरणी के अनुसार लाभ और हानि (रु. में)	(4,47,76,28,672)	(3,60,09,43,517)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं. (संख्या)	4,02,25,000	4,02,25,000
ईपीएस बेसिक और डायल्यूटिड (रुपये में)	(111.31)	(89.52)

41. प्रकटीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों के बकाया राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। एसएपी प्रणाली में वेंडर मास्टर में एक क्षेत्र, माइनॉरिटी संकेतक होता है, जिसे विक्रेता कोएसएसआई के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है। एसएसआई विक्रेताओं के अधिक विवरणों को रिकार्ड करने के लिए प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए अधिकतर उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। एमएसएमई को देरी से भुगतान करने पर कोई ब्याज देयता नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की 31 मार्च 2022 को सूचना

विवरण	31 मार्च, 2022 (राशि मिलियन रुपये में)	31 मार्च, 2021 (राशि मिलियन रुपये में)
क) आपूर्तिकर्ता की शेष बकाया राशि		
मूल राशि	शून्य	4.89
उस पर ब्याज	शून्य	शून्य

विवरण	31 मार्च, 2022 (राशि मिलियन रुपये में)	31 मार्च, 2021 (राशि मिलियन रुपये में)
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई राशि, नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ।	शून्य	शून्य
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
घ) उपार्जित ब्याज की राशि और भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
च) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट रोकने के प्रयोजन के लिए, आगे के वर्षों तक बकाया व देय ब्याज की राशि शेष राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	शून्य	शून्य

42. गोइंग कंर्सन

भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता एयर इंडिया लिमिटेड से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के बोर्ड को भी 25 जनवरी 2022 से पुनर्गठित किया गया है। परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) की नई मूल कंपनी होल्डिंग कंपनी बन गई है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एआईएएचएल) सहित नागर विमानन मंत्रालय के तीन निदेशक शामिल हैं। नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दैनिक प्रचालन गतिविधियों को छोड़कर, बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित सभी निर्णयों को निष्पादित किया जा रहा है।

कंपनी (एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के नाते) एयर इंडिया के विनिवेश के बाद कंपनी को पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कंपनी ने अपनी परिचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, चूंकि कंपनी को परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे के बावजूद ''गोइंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए गए हैं और निवल मूल्य नष्ट हो रहा है।

कंपनी भारत सरकार की योजना 'उड़ान' में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है, जो गैर–सेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों के विकास के साथ विभिन्न टायर II और टायर III शहरों को जोड़ती है। टायर II और टायर III शहरों में वृद्धि अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त है और एलाइंस एअर के इन छोटे हवाई अड्डों पर प्रचालन के लिए उपयुक्त

नवीन एटीआर 72–600 बेड़े के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना है।

कंपनी ने भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में प्रमुख संसाधनों का निवेश करने के लिए रणनीतिक योजना बनाई है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसमें कंपनी का प्रचालन सकारात्मक रहा है। कंपनी द्वारा जीता गया कुल उड़ान मार्ग अब 117 है। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक 81 मार्गों का संचालन किया, जो 31 मार्च 2021 तक 73 मार्ग थे। 2021–22 में एएएल द्वारा प्रचालित कुल मार्ग में से, लगभग 69% (पिछले वर्ष 56%) उड़ान योजना के तहत थे। एलाइंस एअर उड़ान क्षेत्रों पर अधिक संसाधनों को तैनात करके लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उड़ान योजना के तहत एएएल संचालन पर परिचालन लाभ प्राप्त कर रहा है।

एलाइंस एअर ने शिमला और अन्य आरसीएस क्षेत्रों या सेक्टरों पर प्रचालन के लिए 2 एटीआर 42 को परिचालन लीज़ पर लेने के लिए एक समझौता किया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के ''मेक इन इंडिया'' के सपने को साकार करने हेतु अप्रैल, 2022 से डोर्नियर विमान को वाणिज्यिक प्रचालन में प्रचालित करने हुए एलाइंस एअर ने एक और उपलब्धि हासिल की।

नागर विमानन मंत्रालय के निर्देश पर एलाइंस एअर ने अप्रैल, 2022 से हवाई सम्पर्क स्थापित करने हेतु अरूणांचल प्रदेश के विभिन्न हवाई क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के साथ सफलतापूर्वक प्रचालन आंरभ किया है।

वीजीएफ व्यवस्था के तहत ना.वि.म. तीन साल की अवधि के लिए योजना हेतु सहमत हो गया है। स्थिर और परिवर्तशील दोनों लागतों की प्रतिपूर्ति हेतु सहमत हो गया है जोकि लगभग 86 करोड़ रुपए वार्षिक है।

उपरोक्त मॉडल न केवल 9.74 करोड़ रु. प्रतिमाह के कुल राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करता है बल्कि परियोजना की लाभप्रदता भी सुनिश्चित करता है।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। कोविड–19 के पश्चात् नवम्बर, 2021 से एएएल रिकवरी की राह पर है और ईबीआईटी एक सकारात्मक रूझान दिखाता है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

43. राजस्वः

कंपनी, यात्री, कार्गो, बैगेज और अन्य राजस्व से संबंधित डाटा के प्रसंस्करण के लिए एक बाहरी एजेंसी की सेवाओं का लाभ उठा रही है। टिकटों की बुकिंग आदि के लिए एआईएल की प्रणाली का उपयोग किया गया है। समूह से संबंधित राजस्व डाटा, एआईएल द्वारा आउट सोर्स एजेंसी को उपलब्ध करवाया जाता है और संसाधित डाटा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एएएल से संबंधित राजस्व को एएएल को सौंपे गए कोड के आधार पर अलग किया गया है, और एफटीपी सर्वर पर अपलोड की गई रिपोर्टों के आधार पर लेखांकित किया गया है। एआईएल द्वारा एएएल के राजस्व को मान्य करने के लिए रिपोर्ट के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए डाटा, जो एएएल राजस्व की मान्यता के लिए आधार है, का रखरखाव किया जाता है। इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, एयर इंडिया द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डाटा की प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। एलाइंस एअर के लिए विशेष रूप से नई पीएसएस/डीसीएस प्रणाली 15 अप्रैल, 2022 से परिचालित की जा रही है और इसके प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने हेतु डेटा के प्रसंस्करण के लिए अलग से एजेंसी नियुक्त की गई है।

44. क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

31.3.2022 तक आरसीएस (4 राउंड) के तहत एएएएल को (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) 117 मार्ग (पूर्व में 109 मार्ग) आंबटित किए गए, जिनमें से 81 (पूर्व में 73) प्रचालन में हैं। आने वाले महीनों में शेष मार्गों का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आबंटन के दूसरे दौर में प्रदान किए गए 10 मार्ग शामिल हैं, और आबंटन के तीसरे दौर में दिए गए 12 मार्ग और आबंटन के 3.1 दौर में 06 मार्ग, और आबंटन 4 और 4.1 के दौर में 08 मार्ग शामिल हैं जो 31.03.2022 तक प्रचालन में नहीं हैं, हालांकि एलओआई की शर्तों के अनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान इन्हें चालू करना आवश्यक है। प्रबंधन का विचार है कि मार्गों को परिचालनात्मक करने में विलम्ब विभिन्न कारकों पर आधारित है। एएएएलकी ओर से विलम्ब नहीं हुआ है, इसलिए एएएएल मार्ग प्रचालनात्मक करने में उपर्युक्त विलम्ब का उत्तरदायी नहीं है।

45. मैसर्स गति

एयर इंडिया लि. व मैसर्स गति के बीच मालवाहक चार्टर प्रचालन (एएएएल द्वारा किए जा रहे) हेतु करार गति द्वारा मार्च, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गति के पास जमा करवाए गए 300 मिलियन रु. की बैंक गारंटी एयर इंडिया द्वारा इन्वोक की गई। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया जिसके विरूद्ध एयर इंडिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है जिन्होंने मध्यस्थता अभिकरण के निर्णय को मान्य ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) में इस आदेश के विरोध में अपील फाइल करने हेतु एयर इंडिया लि. द्वारा 17/11/2015 को माननीय उच्च न्यायालय में डिपॉजिट मनी के रूप में 220 मिलियन रु. जमा करवाए गए हैं। मामला न्यायाधीन है तथापि इस जमा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार संदिग्ध रक्षा जमा के रुप में 220 मिलियन रु. का प्रावधान किया गया है। सुनवाई की अंतिम तिथि जिरह के लिए 26.09.2022 तक स्थगित कर दी गई है।

46. प्रावधान व्यय पर टीडीएस

2022–23 के दौरान वैंण्डर से प्राप्त बिलों के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन 2021–22 में सेवा का लाभ लिया है। (अर्थात, 2021–22 के बाद के सभी बिल) अपनाई गई प्रणालीनुसार 2021–22 के लिए बनाए गए प्रावधानों को 2022–23 में रिवर्स कर दिया गया है और 2022–23 में प्राप्त वास्तविक बिलों को 2022–23 में लागू टीडीएस में कटौती के बाद वैंण्डर के बहीखातों में बुक किया गया है। जीएसटी परिदृश्य के कारण, 2022–23 में प्राप्त बिल को 2021–22 के बिलों के लिए टीडीएस की कटौती के बिना प्रावधान किए गए हैं।

47. इंड एएस 116 के प्रकटीकरण के अनुसार ''लीज़''

क) कंपनी द्वारा 18 एटीआर 72–600 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए गए हैं। लीज़ के संबंध में भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये के आधार पर देयताएं निम्नानुसार हैंः –

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
लीज देयताएं	19,856.31	2,608.93	21,954.42	2,252.96

ख) <u>**लीज़ के लिए प्रकटीकरण जहां कंपनी इंड एएस 116 में पट्टेदार है–**</u>

कंपनी की लीज़ परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से विमान और इंजन के लीज़ शामिल हैं।

लघु अवधि लीज़

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने लघु अवधि हेतु लीज़ 03.45 मिलियन रु. के व्यय को मान्य किया और लीज़बद्ध इंजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य अल्पकालिक लीज़ का पोर्टफोलियो, जिसके लिए कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिबद्ध है, अन्य लघु–अवधि के लीज़ के पोर्टफोलियो से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, जिसके लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय को मान्यता दी गई है।

अन्य प्रकटीकरण

(राशि मिलियन रुपये में)

1) लीज़ देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	2021-22	2020-21
एक वर्ष से कम	2,636.50	2,492.93
एक से 5 वर्ष	11,525.05	10,959.00
5 वर्ष से अधिक	9,049.77	11,458.32
31 मार्च 2022 को कुल गैर छूट प्राप्त लीज़ देयताएं	**23,211.32**	**24,910.25**
31 मार्च 2022 को वित्तीय स्थिति विवरणी में शामिल लीज़ देयताएं	**22,465.24**	**24,207.38**

2) लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य की गई राशि

विवरण	2021-22	2020-21
आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यहास व्यय	2,381.85	2,381.85
लीज़ देयताओं पर ब्याज	207.85	222.24
लीज़ देयताओं की माप में शामिल नहीं वैरिएबल लीज़ भुगतान	0	0
राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को उप लीज़ पर देने से आय	0	0
अल्पावधि लीज़ से संबंधित व्यय*	3.45	22.29
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पावधि लीज़ को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ से संबंधित व्यय	0	0

*** लीज़ पर लिए गए इंजनों को अल्पावधि लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि लीज़ अवधि 12 महीने से कम है। इसके कारण प्रबंधन ने व्यावहारिक प्रणाली का लाभ उठाया है।**

3) नकदी प्रवाह विवरणी में मान्य की गई राशि

विवरण	2021-22	2020-21
वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह में दिखाई गई राशि लीज़ के लिए कुल नकद आउटफ्लो	2,533.31	2,193.07

48. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षकों के व्यय का विवरणः –

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	2021–22	2020–21
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
सांविधिक लेखा शुल्क (व्ययों की प्रतिपूर्ति सहित)	1.20	1.20
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.16	0.15
विशेष प्रयोजन लेखा परीक्षा शुल्क	0.35	-
कुल	**1.71**	**1.35**

विवरण	2021–22	2020–21
अन्य लेखा परीक्षकों को भुगतान		
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.22	0.22
अन्य मामलों के लिए शुल्क	0.48	0.06
कुल	**0.70**	**0.28**
सकल कुल	**2.41**	**2.17**

49. कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनियों के अनुच्छेद 77 के अनुसार रजिस्ट्रार के साथ कम्पनी के **2805.03 मिलियन रु.** (पिछले वर्ष 2805.03 मिलियन रु.) के पंजीकृत प्रभार हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 82 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर कंपनी इन प्रभारों को चुकाने की प्रक्रिया में है।

50. पूंजी प्रबंधनः

कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखते हुए शेयर धारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। प्रबंधन, पूंजी पर रिटर्न तथा ऋण इक्विटी अनुपात को मॉनीटर करती है तथा व्यापार के विकास के लिए पूंजीगत संरचना में आवश्यक समायोजन करता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

ऋण इक्विटी अनुपातः

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
उधार	23,907.78	20,656.16
कुल ऋण (क)	**23,907.78**	**20,656.16**
इक्विटी शेयर पूंजी	4,022.50	4,022.50
अन्य इक्विटी	(35,008.02)	(30,534.11)
कुल इक्विटी (ख)	**(30,985.52)**	**(26,511.61)**
ऋण इक्विटी अनुपात (क/ख)	**(0.68)**	**(0.78)**

इक्विटी पर रिर्टन और पूंजीगत गेयरिंग अनुपात :

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(4,477.63)**	**(3,600.94)**
इक्विटी शेयर पूंजी	4,022.50	4,022.50
अन्य इक्विटी	(35,008.02)	(30,534.11)
कम्पनी के स्वामित्व वाली इक्विटी	**(30,985.52)**	**(26,511.60)**
इक्विटी अनुपात (%) पर रिर्टन	**(14.45%)**	**(13.58%)**
पूंजीगत गेयरिंग अनुपात	**(5.94)**	**(5.14)**

51. फेयर वेल्यू मैजरमेंट तथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट – श्रेणी तथा उचित मापन क्रम के अनुसार

नीचे दी गई तालिका कैरिंग राशि तथा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य, जिसमें निष्पक्ष बाज़ार मूल्य क्रम के अनुसार उनके स्तर शामिल है, दर्शाती हैः–

i) **31 मार्च, 2022 को** (राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओ सीआई	अमार्टराइज़्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य			847.65	847.65	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य			805.13	805.13	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष			145.04	145.04	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ख) के अलावा* बैंक शेष			867.90	867.90	0.00	0.00	0.00
ऋण*			-	-	-	-	-
अन्य			108.90	108.90	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैरचालू							
लीज़ देयताएं	19,856.31			19,856.31	0.00	0.00	0.00
अन्य							
चालू							
उधारी			23,907.78	23,907.78	0.00	0.00	0.00
लीज़ देयताएं	2,608.93			2,608.93	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय			11,102.97	11,102.97	0.00	0.00	0.00
अन्य			545.83	545.83	0.00	0.00	0.00

ii) **31 मार्च, 2021 को** (राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसी आई	अमार्टराइज्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य **			159.56	159.56	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य *			636.60	636.60	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष'*			36.87	36.87	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (बी) के अलावा बैंक शेष			914.03	914.03	0.00	0.00	0.00
ऋण*			-	-	-	-	-
अन्य			116.77	116.77	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू							
लीज़ देयताएं	21,954.42			21,954.42	0.00	0.00	0.00
अन्य							
चालू							
उधार			20,656.16	20,656.16	0.00	0.00	0.00
लीज़ देयताएं	2,252.96			2,252.96	0.00	0.00	0.00

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमार्टराइज्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
व्यापार देय			9,141.64	9,141.64	0.00	0.00	0.00
अन्य			461.57	461.57	0.00	0.00	0.00

*व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, नकदी एवं नकदी तुल्यों, नकदी एवं नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि अपनी अल्पावधि प्रकृति के कारण उचित मूल्य के लगभग बराबर होती है।

**अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के बाद परिपक्वता बैंक जमा व अर्जित ब्याज पर वित्तीय साधनों पर देय नहीं है को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर इसका कैरिंग मूल्य उचित मूल्यों को अनुमानित करता है।

52. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से प्रभावित होती है:–

i क्रेडिट जोखिम

ii लिक्विडिटी जोखिम

iii बाज़ार जोखिम

क) ब्याज दर जोखिम

ख) मुद्रा जोखिम

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और डेरिवेटिव शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्षों को वित्त उपलब्ध करवाना है जो सीधे इनके परिचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन देखता है जिसकी सहायता एक ट्रेजरी (सरकारी) टीम द्वारा की जाती है। यह ट्रेजरी टीम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंध कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए समस्त डेरिवेटिव गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा कराई जाती है जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। यह कंपनी की नीति है कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) क्रेडिट जोखिम

किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का कोई ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष अपने कॉन्ट्रेक्ट के दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम, क्रेडिट जोखिम कहलाता है।

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्यों) और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा विदेशी विनिमय लेन–देनों एवं अन्य वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सहित, निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम से प्रभावित है।

रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट में अधिकतम एक्सपोज़र मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से होता है। व्यापार प्राप्य आरक्षित हैं व ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण को मॉनीटर करती है जिसमें यह

प्रचालन करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन क्रेडिट अनुमोदनों के माध्यम से, क्रेडिट सीमाएं निर्धारित कर तथा उन ग्राहकों, जिन पर कंपनी व्यवसाय की सामान्य स्थिति में क्रेडिट शर्तें लगाती है, की क्रेडिट योग्यता को निरंतर मॉनीटर करके करती है।

कंपनी अपनी अधिकांश यात्री सेवाओं को एजेंटों (ग्राहकों) को जमा योग्यता द्वारा ऑन लाइन माध्यमों से बेचती है।

इंड एएस 109 को स्वीकार करने पर, कंपनी लाभ या हानि की क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। व्यापार प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए कंपनी एक प्रोविजन मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रोविजन मैट्रिक्स उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट जोखिम घटक जैसे ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव, पर विचार करती है। जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर प्रबंधन यह मान लेता है कि यदि भुगतान 36 महीनों से अधिक समय से देय हैं तो व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्त प्राप्यों को छोड़कर) डिफाल्ट में है।

वर्षान्त में व्यापार प्राप्य में यात्री सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के **805.13 मिलियन रु.** (636.60 मिलियन रु.) शामिल है।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार हैः

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	**31/03/2022 तक**		**31/03/2021 तक**	
	सकल कैरिंग राशि	**हानि भत्ता**	**सकल कैरिंग राशि**	**हानि भत्ता**
अदेय ऋण	-	-	-	-
अतिदेय ऋण	830.40	25.27	663.06	26.46

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में परिवर्तन :

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**
वर्ष के आरंभ में शेष	26.46	26.46
वर्ष के दौरान जोड़े गए	0.00	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते/समायोजन	(1.19)	0.00
वर्ष के अंत में शेष	25.27	26.46

(ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को डिलीवर करके निपटाया जाता है।

लिक्विडिटी का प्रबंध करने के लिए कंपनी की पद्धति यह है कि अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति का जोखिम उठाए बिना सामान्य और दबाव वाली दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उचित समय पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी यह मानती है कि इसकी लिक्विटी की स्थिति जिसमें (अभारित बैंक जमा प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज को छोड़कर) नकदी, प्रत्याशित भविष्य में प्रचालनों से आंतरिक रूप से सृजित निधियां, व्यवसाय की सामान्य स्थितियों

में, भविष्य के निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी तथापि यदि लिक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो तो, कम्पनी यह मानती है कि उसके पास मूल कम्पनी के साथ वित्त पोषण, व्यवस्था करने का मार्ग है जिससे वह इसकी वर्तमान ऑनगोईंग पूंजीगत, प्रचालनात्मक और लिक्विटी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी। कम्पनी जरूरत के अनुसार लिक्विटी को बढ़ाने और नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उधारियों अथवा लिज़िग विकल्पों पर विचार करना जारी रखेगी।

प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए मॉनीटरिंग के अनुसार कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

- भावी नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग द्वारा दिन प्रतिदिन की फंडिंग का प्रबंध किया जाता है जिससे आवश्यता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हो।
- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के रोलिंग (अनवरत) पूर्वानुमान को मेंटेन करना।
- विविध क्रेडिट लाइनों को मेंटेन करना।

लिक्विडिटी जोखिम में एक्सपोज़र

रिपोर्टिंग डाटा में वित्तीय देयताओं की बकाया संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार है। संविदात्मक नगदी प्रवाह राशि समग्र हैं एवं छूट प्राप्त नहीं है और इनमें उपार्जित ब्याज सम्मिलित है।

(राशि मिलियन रु. में)

		संविदात्मक नकद फ्लो			
31 मार्च, 2022 तक	**कैरिंग राशि**	**1 वर्ष तक**	**1–5 वर्ष**	**5 साल से अधिक**	**कुल**
होल्डिंग कंपनी को देय	23,907.78	23,907.78	-	-	23,907.78
व्यापार देय	11,102.97	11,102.97	-	-	11,102.97
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	545.83	545.83	-	-	545.83
विमान लीज़	23,211.32	2,636.50	11,525.05	9,049.77	23,211.32
कुल	**58,767.90**	**38,193.08**	**11,525.05**	**9,049.77**	**58,767.90**

		संविदात्मक नकद फ्लो			
31 मार्च, 2021 तक	**कैरिंग राशि**	**1 वर्ष तक**	**1–5 वर्ष**	**5 साल से अधिक**	**कुल**
होल्डिंग कंपनी को देय	20,656.16	20,656.16	-	-	20,656.16
व्यापार देय	9,141.64	9,141.64	-	-	9,141.64
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	461.57	461.57	-	-	461.57
विमान लीज़	24,910.25	2,492.93	10,959.00	11,458.32	24,910.25
कुल	**55,169.62**	**32,752.30**	**10,959.00**	**11,458.32**	**55,169.62**

(iii) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह है जिसमें बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्यऔर भावी नगदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैः मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को इष्टतम बनाते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंध एवं नियंत्रण करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नगदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के जोखिम का संबंध मुख्य रूप से कंपनी की फ्लोटिंग ब्याज दरों वाली उधारियों से होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंध वर्ग को रिपोर्ट किए गए के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनों के लिए कंपनी की उधारियों से संबंधित एक्सपोज़र निम्नानुसार हैः–

(राशि मिलियन रु. में)

परिवर्तनशील दर इन्स्ट्रूमेंट	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
होल्डिंग कम्पनी एयर इंडिया लि. को 20.01.2022 को देय तक 23,345.28 रु. की राशि एआईएएचएल को 21.01.2022 को स्थानान्तरित	-	20,656.16
होल्डिंग कम्पनी एआईएएचएल को देय	23,907.78	-
कुल	**23,907.78**	**20,656.16**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में तार्किक रूप से संभव 0.50 प्रतिशत का परिवर्तन लाभ एवं हानि को नीचे दर्शाई गई राशि तक प्रभावित करेगा। विश्लेषण के अनुसार अन्य सभी परिवर्तनशील दरें विशेष रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, अपरिवर्तनीय रहती हैं।

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	लाभ और हानि का विवरण	
दूसरों से लिए गए विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण पर तथा वित्त लीज़ देयता पर ब्याज में वृद्धि / (कमी)	0.50% तक बढ़ाए	0.50% तक कमी
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	119.54	(119.54)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	103.28	(103.28)

ख) मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नगदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नगदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों से प्रभावित है। एक्सपोज़र मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण होता है।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2022 तक आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित जानकारी दी गई हैः

	यूएसडी	यूरो	अन्य
निवल वित्तीय परिसम्पत्तियां	55.87	-	-
निवल वित्तीय देयताएं	10.48	-	-

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में 10% की वृद्धि / मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप कर पूर्व कम्पनी के लाभ में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 344.02 मिलियन रु. की वृद्धि / कमी होगी।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2021 तक आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित जानकारी दी गई है:

	यूएसडी	**यूरो**	**अन्य**
निवल वित्तीय परिसम्पत्तियां	40.72	-	-
निवल वित्तीय देयताएं	16.47	-	-

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में 10% की वृद्धि/मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप कर पूर्व कम्पनी के लाभ में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 177.36 मिलियन रु. की वृद्धि/कमी होगी।

53. इंड–एएस 115 के अनुसार प्रकटन, ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त राजस्वः

राजस्व को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सके भले ही भुगतान कभी भी किया जाए।

कंपनी का प्रमुख राजस्व सेवाओं (यात्री और कार्गो) से प्राप्त होता है। प्रमुख गतिविधि का विवरण निम्नानुसार है।

प्रकृति, कार्य निष्पादन दायित्व की पूर्ति का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

यात्री राजस्व को यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर अर्थात् सेवाएं प्रदान करने पर, यात्रियों को दी गई छूट के पश्चात् निवल मान्यता प्राप्त राजस्व, लागू करों और यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि जैसे एयरपोर्ट करों के आधार पर मान्य किया जाता है।

कार्गो राजस्व को वस्तुओं के परिवहन, एयरपोर्ट करों व लागू करों के निवल जैसी सेवाएं प्रदान करने पर मान्य किया जाता है ।

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार संबंधित राशि के बिल तैयार किए जाते हैं एयर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौते के तहत संविदात्मक आधार पर सहमत क्रेडिट अवधि के दौरान इनका भुगतान किया जाता है।

राजस्व का विभाजन

राजस्व मान्यता सेवाओं की प्रकृति व प्रकार के आधार पर राजस्व का विभाजन किया जाता है।

सेवाओं का प्रतिपादन

(राशि मिलियन रु. में)

क्र. सं.	**विवरण**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2021**
1	यात्री	4,193.48	2,443.63
2	अतिरिक्त सामान	67.80	38.08
3	डाक	3.72	2.13
4	कार्गो	18.90	51.95
5	चार्टर	20.72	17.18
6	सरकार से प्रचालन हेतु अनुदान	2,842.10	1,971.11
7	हैंडलिंग सेवाएं एवं आकस्मिक राजस्व	28.57	11.31
	कुल	**7,175.29**	**4,535.39**

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्य के प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष की सूचना प्रदान की गई हैः

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
व्यापार प्राप्य	805.13	636.60

31 मार्च 2022 तक कंपनी 81 मार्गों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत प्रचालन कर रही है, यह मार्ग बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल की वैधता के लिए चार राउंड में कंपनी को प्रदान किए गए हैं। आरसीएस समझौते के अन्तर्गत, कंपनी को करों के समावेशी रियायती किरायों पर निर्दिष्ट सीटें बेचनी आवश्यक होती है। समझौते की षर्तों के अनुपालन पर, कंपनी वीजीएफ दावा राशि के लिए पात्र है।

चूंकि आरसीएस मार्ग 3 साल की अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं, इसलिए यह मार्ग स्लॉट की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के अधीन इस अवधि के बाद सभी वाहकों के लिए खुले हैं।

इंड एएस 115 के अनुसार लागू व्यावहारिक प्रणालीः

31 मार्च, 2022 और 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी ग्राहक कम्पनी के कुल राजस्व का 10% या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

इंड–एएस 115 के पैरा 120 के अनुसार शेष निष्पादनकर्तव्य के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकता के रूप में इंड–एएस् 115के पैरा 121 के अनुसार व्यावहारिक समीचीन को देखते हुए नहीं किया जा रहा है।

54. सार्स–कोविड–2 (कोविड–19) से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमानः

कोविड–19 महामारी एक वैश्विक चुनौती बनी रही, जिसने दुनिया भर में व्यवधान पैदा किया। वित्तीय वर्ष 2022 के आरंभ के तीन महीनों में, महामारी की दूसरी लहर ने भारत के चिकित्सा ढांचे को चरमर्रा दिया।

हालांकि दुनिया भर के देशों ने टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया और कोविड–19 के प्रभाव को कम करने और आर्थिक सुधार में वृद्धि हेतु विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहनों को लागू किया।

कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर भी विचार किया है जो कोविड–19 से संबंधित महामारी के कारण प्राप्य राशियों पर हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी में उपयोग की गई धारणाओं पर संवेदनशील विश्लेषण किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की उम्मीद है।

हालांकि, कंपनी के प्रचालन पर कोविड–19 महामारी के पूर्ण प्रभाव, और वित्तीय मैट्रिक्स, कंपनी के प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली भागी गतिविधियों, तथा इन पर सरकारी, नियामक और कंपनी स्तर की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा, जो कि इस समय अत्यधिक अनिश्चित है और इसका अनुमान लगाना संभाव नहीं है, तथापि, हम अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभाव आकलन करना जारी रखेंगे और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहन निगरानी करेंगे।

55. पिछले वर्ष के आंकड़े इंड–एएस की अपेक्षाओं के अनुसार पुनः प्रस्तुत/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

56. अतिरिक्त नियामक सूचना (कम्पनी अधिनियम–2022 की अनुसूची 3, खंड 2 के अनुपालन में)

क्र. सं.	अनुपात	विश्लेषणात्मक	भाजक	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	% परिवर्तन	कारण
1.	चालू अनुपात	चालू परिसम्पत्तियां	चालू देयताएं	0.0417	0.04125	-1%	-
2.	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयर होल्डर इक्विटी	-0.77	-0.78	1%	-
3.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा हेतु आय उपलब्ध है	ऋण सेवा	0.43	0.89	52%	वर्ष 2020–21 के दौरान विनिमय दर में अनुकूल परिवर्तन के कारण वित्त लागत में कमी आई। इस वर्ष विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण वित्त लागत में भारी वृद्धि हुई है।
4.	ऋण इक्विटी अनुपात		औसत शेयर होल्डर इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वर्ष के दौरान नकारात्मक शेयरधारक की इक्विटी और हानि के कारण अनुपात विनिमय नहीं है।
5.	इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस	औसत स्टॉक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-
6.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापार प्राप्य	3.94	2.77	42%	वर्ष 2020–21 के दौरान चल रही महामारी के कारण उड़ान प्रचालन में भारी कमी आई। वर्ष 2020–21 में 2443.63 रु. से 2021–22 में पैक्स राजस्व बढ़कर 4193.48 मिलियन रु.
7.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	मुख्य व्यवसाय यात्री वाहक है और व्यवसाय की प्रकृति तथ्यों को प्रतिबंधित नहीं करेगी।
8.	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल विक्रय	औसत कार्य पूंजी	-0.20	-0.15	33%	वर्ष 2020–21 के दौरान चल रही महामारी के कारण उड़ान प्रचालन में भारी कमी आई। वर्ष 2020–21 में 2443.63 रू. से 2021–22 में पैक्स राजस्व बढ़कर 4193.48 मिलियन रु.

क्र. सं.	अनुपात	विश्लेषणात्मक	भाजक	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	% परिवर्तन	कारण
9.	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/हानि	(विक्रय)	-0.62	-0.79	-21%	वर्ष 2020–21 के दौरान चल रही महामारी के कारण उड़ान प्रचालन में भारी कमी आई। वर्ष 2020–21 में 2443.63 रु. से 2021–22 में पैक्स राजस्व बढ़कर 4193.48 मिलियन रु.
10.	नियोक्ता पूंजी पर रिर्टन	(ब्याज और कर से पूर्व आय)	नियोजित पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वर्ष के दौरान नकारात्मक शेयरधारक की इक्विटी और हानि के कारण अनुपात विनिमय नहीं है।
11.	निवेश पर रिर्टन	(निवल निवेश पर रिर्टन)	निवेश पर लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एस. के. कपूर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000745C

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएनः 02055541

हस्ता/–
उषा पाढी
नामित निदेशक
डीआईएनः 03348716

हस्ता/–
वी.बी. सिंह
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 073124
यूडीआईएनः 22073124AMWIMD4044

हस्ता/–
विनीत सूद
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
अम्बर कुमार मंडल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2022

Note:

एलाइंस एअर नेटवर्क

(31 मार्च, 2022 तक)

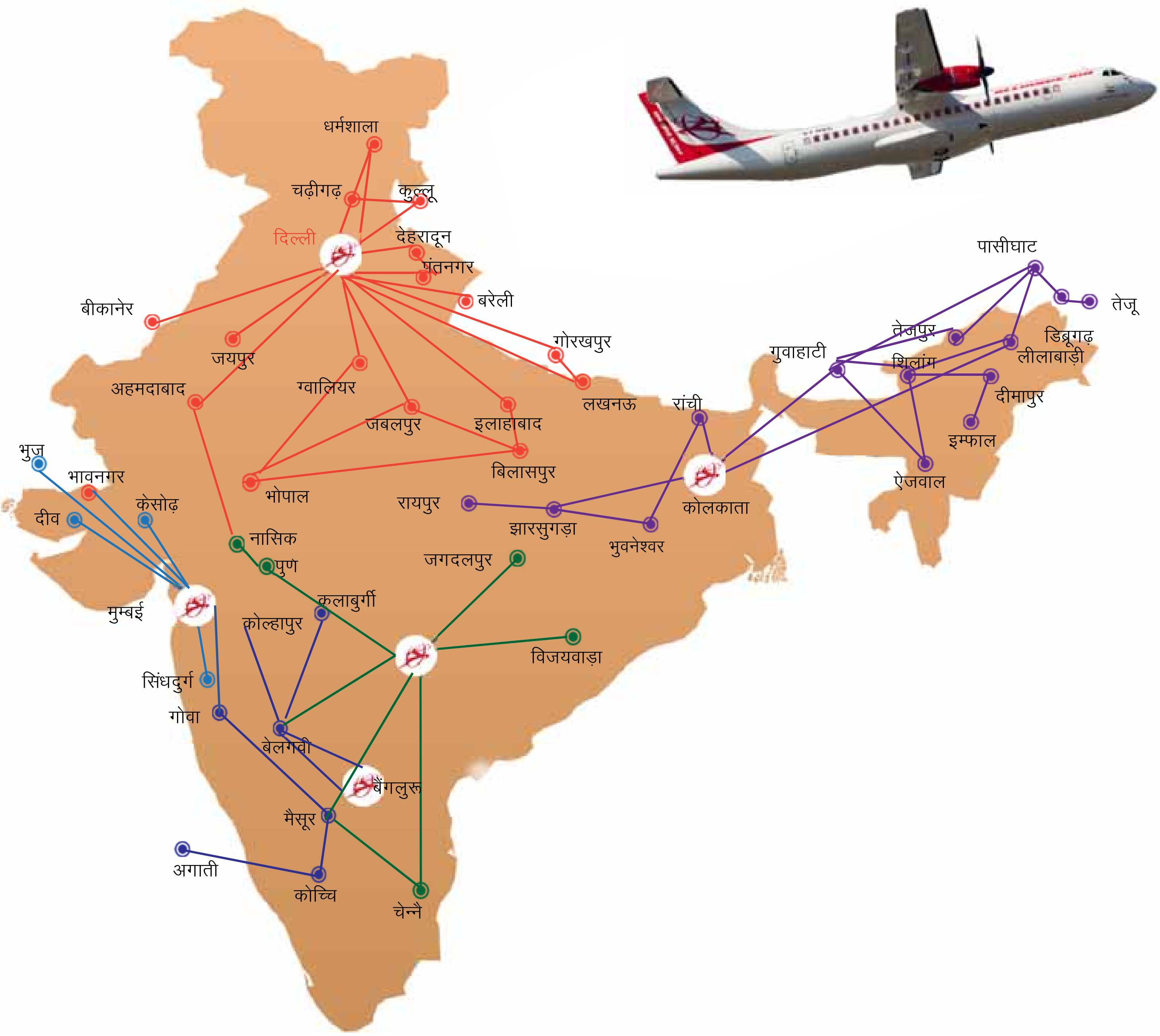

एलाइंस एअर
ALLIANCE AIR
Connecting India

पंजीकृत कार्यालयः एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, एलाइंस भवन, अन्तरदेशीय टर्मिनल–1, आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
वेबसाईटः **www.allianceair.in**